न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर
अजमेर न्याय क्षेत्र, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी	**–**	**डॉ. विमल व्यास आर.जे.एस**
सी.आई.एस. संख्या	**–**	**6257/2015**
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	**–**	**59/2015**
एफआईआर संख्या	**–**	**52/2014**
सीएनआर नंबर	**–**	**RJAJ220000442015**
आरक्षी केन्द्र	**–**	**पीसांगन**

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, पुष्कर **.....अभियोगी**

बनाम

1– रमेश उर्फ रामेश्वर पुत्र श्री भंवरूराम उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम पादू खुर्द पुलिस थाना पादूकला जिला नागौर।

2– शक्ति सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी जसवंतपुरा ग्राम पंचायत सुदवाड़ पुलिस थाना थांवला जिला नागौर।

3– विजय सिंह पुत्र श्री हीरालाल उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम डूमाडा पुलिस थाना मांगलियावास, जिला अजमेर।

4– श्रवण पुत्र श्री मूलाराम उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम लेसवा पुलिस थाना पीसांगन, अजमेर।

5– हिम्मत सिंह पुत्र श्री केशर सिंह उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम ढीमडा बेरा, भांवता पुलिस थाना पीसांगन जिला अजमेर।

6– राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू पुत्र श्री नारायण सिंह निवासी रासलियावास पुलिस थाना मेड़ता सिटी जिला नागौर। **(मृतक कार्यवाही ड्रोप दिनांक 04.12.2021)** **.....अभियुक्तगण**

अपराध अंतर्गत धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम

उपस्थित:–

अभियोजन अधिकारी, वास्ते राजस्थान राज्य।

श्री अर्जुन सिंह राठौड़, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण।

–:प्रकरण के संक्षिप्त विवरण:–

अपराध की तिथि	02.06.2014
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	02.06.2014
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	12.01.2015
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	01.12.2015
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	26.07.2023

निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	08.05.2026
निर्णय की तिथि	08.05.2026
दंड दिए जाने की तिथि (यदि हो तो)	–

–:अभियुक्त का विवरण:–

अभियुक्त की क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिए गए दण्ड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा–428 द.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गई अवधि
1–	रमेश उर्फ रामेश्वर	02.06.2014	07.06.2014	19/54 व 54 ए राजस्थान आबकारी अधिनियम	दोष सिद्ध	दण्डादेशानुसार	06 दिवस
2–	विजय सिंह	02.06.2014	07.06.2014				
3–	शक्ति सिंह	02.06.2014	07.06.2014	19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम			
4–	श्रवण	02.06.2014	07.06.2014				
5–	हिम्मत सिंह	02.06.2014	07.06.2014				

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय साक्षी सूची:–

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू–1	पूजा अवाना	जब्तीकर्ता
पीडब्ल्यू–2	देवकरण	मौका साक्षी
पीडब्ल्यू–3	रेखराज	सैम्पल एफ.एस.एल. में जमा कराना
पीडब्ल्यू–4	मुखराज	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त राजेन्द्र सिंह
पीडब्ल्यू–5	इन्द्राज सिंह	नक्शा मौका घटना एवं तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल
पीडब्ल्यू–6	भारतराम	नक्शा मौका घटना एवं तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल
पीडब्ल्यू–7	महिपाल सिंह	मौका साक्षी
पीडब्ल्यू–8	सोहनलाल	मालखाना इंचार्ज

पीडब्ल्यू–9	विजेन्द्र सिंह	फर्द जब्ती आर.सी. प्रति वाहन बोलेरो
पीडब्ल्यू–10	अश्विनी सिंह	फर्द जब्ती आर.सी. प्रति वाहन बोलेरो
पीडब्ल्यू–11	हरिराम	फर्द जब्ती आर.सी. एवं पॉवर ऑफ अटोर्नी वाहन पिकअप
पीडब्ल्यू–12	धर्माराम	फर्द जब्ती आर.सी. एवं पॉवर ऑफ अटोर्नी वाहन पिकअप
पीडब्ल्यू–13	भागचंद टाक	आरोपपत्र पेशकर्ता
पीडब्ल्यू–14	बलवीर सिंह	किरायानामा का साक्षी
पीडबल्यू–15	दलपत सिंह	मौका साक्षी
पीडब्ल्यू–16	चैनाराम	अनुसंधानकर्ता
पीडब्ल्यू–17	सरवर खां	मौका साक्षी
पीडब्ल्यू–18	छीतरलाल	मौका साक्षी

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची:–

क. अभियोजन

क्र.सं.	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	टंकणशुदा तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श पी–1
2	फर्द जब्ती शराब, बोलेरो जीप व पिकअप	प्रदर्श पी–2
3	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी अभियक्त रमेश	प्रदर्श पी–3
4	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी अभियक्त श्रवण	प्रदर्श पी–4
5	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी अभियक्त विजय सिंह	प्रदर्श पी–5
6	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी अभियक्त हिम्मत सिंह	प्रदर्श पी–6
7	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी अभियक्त शक्ति सिंह	प्रदर्श पी–7
8	माल निस्तारण का पंचनामा	प्रदर्श पी–8
9	पुलिस अधीक्षक कार्यालय अजमेर का अग्रेषणपत्र	प्रदर्श पी–9
10	एफ.एस.एल. में माल जमा कराने की प्राप्ति रसीद	प्रदर्श पी–10
11	एफ.एस.एल. रिपोर्ट	प्रदर्श पी–11
12	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू	प्रदर्श पी–12

13	फर्द तस्दीक घटनास्थल नक्शा मौका अभियुक्त रमेश व अभियुक्त श्रवण	प्रदर्श पी–13
14	पफर्द तस्दीक घटनास्थल नक्शा मौका अभियुक्त विजय सिंह, शक्ति सिंह व हिम्मत सिंह	प्रदर्श पी–14
15	नक्शा मौका घटनास्थल	प्रदर्श पी–15
16	मालखाना रजिस्टर प्रति	प्रदर्श पी–16ए
17	फर्द पेशकशी आर.सी. बोलेरो नंबर आरजे–21–जीए–9484	प्रदर्श पी–17
18	प्रमाणित प्रति आर.सी. बोलेरो नंबर आरजे–21–जीए–9484	प्रदर्श पी–18
19	फर्द जब्ती पॉवर ऑफ अटोर्नी वाहन पिकअप आरजे–01–जीए–2631	प्रदर्श पी–19
20	असल पॉवर ऑफ अटोर्नी वाहन पिकअप आरजे–01–जीए–2631	प्रदर्श पी–20
21	प्रति आर.सी.वाहन पिकअप आरजे–01–जीए–2631	प्रदर्श पी–21
22	किरायानामा	प्रदर्श पी–22
23	प्रति नकल रपट रोजनामचा सर्च वारंट के सम्बंध में दिनांक 02.06.2014	प्रदर्श पी–23
24	प्रति नकल रपट रोजनामचा रवानगी दिनांक 02.06.2014	प्रदर्श पी–24
25	प्रति नकल रपट रोजनामचा दिनांक 02.06.2014 पुलिस थाना पीसांगन	प्रदर्श पी–25
26	धारा–27 साक्ष्य अधिनियम सूचना अभियुक्त रमेश	प्रदर्श पी–26
27	धारा–27 साक्ष्य अधिनियम सूचना अभियुक्त रमेश	प्रदर्श पी–27
28	धारा–27 साक्ष्य अधिनियम सूचना अभियुक्त श्रवण	प्रदर्श पी–28
29	धारा–27 साक्ष्य अधिनियम सूचना अभियुक्त विजय सिंह	प्रदर्श पी–29
30	धारा–27 साक्ष्य अधिनियम सूचना अभियुक्त हिम्मत सिंह	प्रदर्श पी–30
31	धारा–27 साक्ष्य अधिनियम सूचना अभियुक्त शक्ति सिंह	प्रदर्श पी–31
32	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श पी–32
33	सर्च वारंट के सम्बंध में पुलिस थाना पीसांगन का पुलिस थाना पुष्कर को जारी पत्र की प्रति	प्रदर्श पी–33
34	सर्च वारंट के सम्बंध में पुलिस थाना पुष्कर का पुलिस थाना पीसांगन को जारी पत्र	प्रदर्श पी–34

ख. बचाव

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी संख्या
1	पुलिस बयान देवकरण	प्रदर्श डी–1
2	पुलिस बयान दलपत सिंह	प्रदर्श डी–2
3	पुलिस बयान सरवर खां	प्रदर्श डी–3
4	पुलिस बयान रेखराज	पुनः प्रदर्श डी–3
5	पुलिस बयान सोहनलाल	प्रदर्श डी–4
6	पुलिस बयान छीतरलाल	पुनः प्रदर्श डी–4
7	पुलिस बयान बलवीर सिंह	प्रदर्श डी–5

निर्णय **दिनांक 08.05.2026**

1– इस प्रकरण का उद्भव थानाधिकारी पुलिस थाना पीसांगन की ओर से दिनांक 12.01.2015 को अभियुक्तगण रमेश उर्फ रामेश्वर एवं विजय सिंह के विरुद्ध धारा–19/54 व 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम में एवं शक्ति सिंह, श्रवण, हिम्मत सिंह एवं राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू के विरुद्ध धारा–19/54 व 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर में आरोपपत्र प्रस्तुत करने पर हुआ। कालांतर में श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर के आदेश क्रमांक 27 दिनांक 01.05.2025 की पालना में हस्तगत प्रकरण अंतरित होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हुआ, जिस पर प्रकरण को नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसका निस्तारण हस्तगत निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय रहे कि अभियुक्त राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू की मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध दिनांक 04–12–2021 को कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है। हस्तगत निर्णय के जरिये अभियुक्त रमेश उर्फ रामेश्वर, शक्ति सिंह, श्रवण, हिम्मत सिंह एवं विजय सिंह के विरूद्ध आरोपित अपराध के आरोप का निस्तारण किया जा रहा है।

2– अभियोजन वृतांत संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीया पूजा अवाना, आईपीएस एसएचओ, पुलिस थाना पुष्कर ने एक टंकणशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 थानाधिकारी पुलिस थाना पीसांगन के समक्ष दिनांक 02.06.2014 को इस आशय की पेश की कि उसे जरिये टेलीफोन मुखबिर खास ने इत्तला दी कि ग्राम लेसवा में बलवीर सिंह के नोहरे में एक दुकान व दुकान के पीछे एक कमरा बना हुआ है, जिसमें सादा देशी शराब व अंग्रेजी शराब विभिन्न ब्राण्ड की पड़ी है, जहां अभी–अभी एक सफेद रंग की पिकअप व काले शीशे की सफेद बोलेरो गाड़ी में सादा देशी शराब व अंग्रेजी शराब परिवहन करने की फिराक में है, जिस पर उसने एसपी अजमेर को हालात निवेदन कर सर्च वारंट व दिगर रहबरी हासिल की, जिस पर एसपी अजमेर ने उसे मौखिक निर्देश दिए कि ग्राम लेसवा थाना पीसांगन का क्षेत्र है और मैं आपको अधिकृत करता हूं कि आप अपना जाप्ता लेकर तुरंत लेसवा पहुंचे व कार्यवाही करें। जिस पर वह, श्री दलपत सिंह एएसआई, श्री सरवर खां एच.सी.197, श्री छीतरलाल एच.सी.113, श्री राजेन्द्र सिंह

कानि.605, श्री श्रवण कुमार कानि.1997, श्री देवकरण कानि.1009, श्री शिवकरण कानि. 1149, श्री महिपाल कानि.644 मय बोलेरो वाहन आरजे–01–यूए–4584 चालक श्री जगतसिंह व सरकारी जीप आरजे–01–यूए–5340 चालक राजेन्द्र सिंह मय अनुसंधान बॉक्स के समय समय 06:15 पीएम पर थाना पुष्कर से रवाना होकर ग्राम लेसवा में मुताबिक ईतला मुखबीर के 06:45 पीएम पर श्री बलवीर सिंह के नोहरे पर पहुँचे व श्री छीतरलाल एचसी.113 को दो स्वतंत्र साक्षी लाने के लिए हिदायत देकर भेजा, जिसने कुछ ही देर बाद में वापस आकर बताया कि कोर्ट कचहरी के पडपंच में कोई साक्षी बनना नहीं चाहते हैं। कोई साक्षी नहीं मिला, जिस पर हमराही जाप्ता में से ही श्री दलपत सिंह एएसआई व श्री सरवर खाँ एचसी.197 को साक्षी मामूर किया, जहाँ बोलेरो बरंग सफेद आरजे–21–यूए–9484 के अन्दर दो आदमी एक ड्राईवर सीट पर व एक पास में खलासी साईड में बैठा मिला व पास में एक पिकअप बरंग सफेद नंबर आरजे–01–जीए–2631 खड़ी मिली, जिसमें ड्राईवर सीट पर बैठा था व एक व्यक्ति पीछे शराब की पेटियां पिकअप में रख रहा था तथा एक व्यक्ति कमरे में से पेटियां उठाकर लाकर पिकअप में चढवा रहा था, जिस पर उसने मय हमराही जाप्ता के घेरा देकर ज्यों के त्यों खड़े रहने की हिदायत दी। रूबरू मौतविरान के समक्ष बोलेरो के ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछा तो अपना नाम रमेश पुत्र श्री भंवरू राम जाति जाट उम्र 35 साल निवासी पादू खुर्द नागौर का होना बताया तथा खलासी साईड में बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम श्रवण पुत्र श्री मूलाराम जाति हरिजन उम्र 20 साल निवासी ग्राम लेसवा का होना बताया, जिनसे बोलेरो में भरे सामान के बारे में पूछा तो घबरा गये। दोबारा तसल्ली देकर पूछा तो सादा देशी शराब की पेटियां होना बताया, जिस पर मौतविरान के समक्ष बोलेरो की खिड़कियों को खोलकर अन्दर देखा व गिना तो 70 पेटी सादा देशी शराब ढोला मारू का लेबल लगे हुए कार्टन मिले। कार्टनों को खोलकर चैक किया तो ढोला मारू सादा, देशी शराब 180 एमएल के पव्वे प्रत्येक में 48–48 पव्वे भरे मिले। प्रत्येक कार्टन मे से एक–एक पव्वा के ढक्कन को खोलकर उसने सूंघा तथा हमराही जाप्ता को सूँघाया व चखाया तो सभी ने सादा देशी शराब होना बताया, जिस पर रमेश व श्रवण से इतनी भारी मात्रा में सादा देशी शराब बोलेरो में रखना व परिवहन करने का लाईसेन्स व परमिट माँगा तो नहीं होना बताया व न ही मिला। जिनका यह जुर्म धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का पाया जाने पर 70 पेटी सादा देशी शराब के कार्टनों, जो एक ही ब्रान्ड के होने के कारण प्रत्येक कार्टन में से एक–एक पव्वा सैम्पल निकाल कर मार्का ए–1 से ए–70 अंकित किया व शेष बचे कार्टनों पर मार्का बी–1 से बी–70 अंकित किया व 70 सादा देशी शराब के कार्टनों मय वाहन बोलेरो नंबर आरजे–21–यूए–8494 को जरिये फर्द जब्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। मुल्जिम रमेश व श्रवण को जरिये फर्द गिरफ्तार कर एचसी.113 श्री छीतरलाल, कानि.605 राजेन्द्र सिंह व कानि. 1997 श्री श्रवणराम को मूनासिब हिदायत देकर निगरानी हेतू सुपुर्द किया। तत्पश्चात पिकअप वाहन आरजे–01–जीए–2631 में बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम विजय सिंह पुत्र श्री हीरालाल जाति रावत उम्र 27 साल निवासी डूमाड़ा का होना बताया व पीछे कार्टन लेने वाले का नाम पूछा तो अपना नाम हिम्मत सिंह पुत्र श्री केसर सिंह जाति राजपूत उम्र 30 साल निवासी भाँवता का होना बताया व नीचे से कार्टन पकड़वाने वाले से नाम पता पूछा तो अपना

नाम शक्ति सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत उम्र 25 साल निवासी जूगपुरा थाना थाँवला नागौर होना बताया, जिनको पिकअप में भरे कार्टनों में क्या सामान हैं, के बारे में पूछा तो रूबरू मौतविरान के समक्ष कोई संतोषजनक जबाव नही दिया। साक्षी श्री दलपत सिंह एएसआई व श्री सरवर खाँ एचसी.197 के समक्ष पिकअप में भरे विभिन्न ब्रान्ड के कार्टनों को चैक कर गिना तो 87 कार्टन सादा देशी शराब, जिसमें महखाना देशी शराब के पव्वे के कुल 34 कार्टन प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे व ढोला मारू के कुल 53 कार्टन प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे भरे मिले। इसी प्रकार से हेवर्डस 5000 बियर के 5 कार्टन प्रत्येक कार्टन में 12–12 बोतल मिली। इसी प्रकार ड्राईजिन का एक कार्टन जिसमें 12 बोतल व एक कार्टन ड्राईजिन का जिसमें 48 पव्वे भरे मिले। इसी तरह ऑफिसर चॉईस की कुल 4 बोतल व टूबॉर्ग के दो कार्टन प्रत्येक कार्टन में 12–12 बोतल व स्ट्रांग बियर की कुल 17 बोतल छोटी 330 एमएल व बुलेट बियर का एक कार्टन जिसमें 12 बोतल मिली। सभी ब्रान्ड में से एक–एक बोतल व पव्वा के ढक्कन खोलकर उसने सूंघा व हमराही जाप्ता को भी सुंघाया व चखाया तो सभी ने सादा देशी शराब व अंग्रेजी शराब व बियर होना बताया, जिस पर मुल्जिम विजय सिंह, हिम्मत सिंह व शक्ति सिंह से इतनी भारी मात्रा में शराब अपने पास रखना व लाने व ले जाने का लाईसेन्स व परमिट माँगा तो नहीं होना बताया व ना ही मिला। जिनका यह जुर्म धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम की हद को पहुँचने पर सादा देशी शराब महखाना के कुल 34 कार्टनों में से एक–एक पव्वा सैम्पल निकाल कर मार्का सी–1 से सी–34 अंकित किया गया व शेष बचे पव्वों के 34 कार्टनों पर मार्का डी–1 से डी–34 अंकित किया गया व ढोला मारू के 53 कार्टन में से एक–एक पव्वा सैम्पल निकाल कर मार्का ई–1 से ई–53 अंकित किया व शेष बचे कार्टनों पर मार्का एफ–1 से एफ–53 अंकित किया गया। इसी प्रकार हेवर्डस बियर 5000 के 5 कार्टनों में से एक–एक बोतल सैम्पल निकालकर मार्का जी–1 से जी–5 अंकित किया व शेष बचे कार्टनों को मार्का एच–1 से एच–5 अंकित किया गया। ड्राईजिन के एक कार्टन में से एक बोतल सैम्पल निकालकर मार्का–आई अंकित किया व कार्टन पर मार्का आई–1 अंकित किया गया। इसी प्रकार ड्राईजिन पव्वे के एक कार्टन में से एक पव्वा सैम्पल निकाल कर मार्का जे अंकित किया व शेष बचे 47 पव्वों के कार्टन पर मार्का जे–1 अंकित किया। ऑफिसर चॉईस की 4 बोतल में से एक बोतल सैम्पल निकाल कर मार्का के अंकित किया व शेष बोतलों पर मार्का के–1, के–2, के–3 अंकित किया गया। इसी तरह टूबॉर्ग के दो कार्टन में से एक–एक बोतल सैम्पल निकाल कर मार्का एल–1 व एल–2 अंकित किया व दो कार्टनों पर मार्का एम–1 व एम–2 अंकित किया। इसी तरह स्ट्रांग बियर की कुल 17 बोतल छोटी 330 एमएल में से एक बोतल सैम्पल निकाल कर मार्का एन अंकित किया तथा शेष बोतल 16 पर मार्का एन–1 से एन–16 अंकित किया गया। इसी तरह बुलेट बियर का एक कार्टन में से एक बोतल सैम्पल निकाल कर मार्का ओ अंकित किया व शेष बची बियर बोतलों के कार्टन पर मार्का ओ–1 अंकित किया गया। विभिन्न ब्रान्ड के शराब कार्टनों को मय पिकअप गाड़ी आरजे–01–जीए–2631 जरिये फर्द जब्ती के कब्जे पुलिस में लिया गया। कार्टनों पर मार्कर पैन से मार्का अंकित किया गया व सैम्पलों को सील्डमोहर कर चिटचैपा किया गया। मुल्जिमान विजय सिंह, शक्ति सिंह, हिम्मत सिंह, रमेश व श्रवण को मौके पर

गिरफ्तार किया गया। नमूना सील फर्दात पर अंकित की गई। मौके से 9:30 पीएम पर रवाना हो पुलिस थान पीसांगन पहुॅच कर तहरीरी रिपोर्ट मय फर्दात मय जब्तशुदा शराब आर्टिक्लस व जप्तशुदा बोलेरो वाहन व गिरफ्तारशुदा मुलजिमान के मुकदमा दर्ज करने हेतु पेश है....आदि।

03– उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना पीसांगन द्वारा अभियोग संख्या–52/2014 अपराध अंतर्गत धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण शक्ति सिंह, हिम्मत सिंह व श्रवण के विरुद्ध अपराध धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में एवं अभियुक्त रमेश उर्फ रामेश्वर व विजय सिंह के विरूद्ध अपराध धारा 19/54 व 54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त शक्ति सिंह, हिम्मत सिंह व श्रवण के विरुद्ध अपराध धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में एवं अभियुक्त रमेश उर्फ रामेश्वर व विजय सिंह के विरूद्ध अपराध धारा 19/54 व 54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू की मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध दिनांक 04–12–2021 को कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है।

04– दिनांक 01.12.2015 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण शक्ति सिंह, हिम्मत सिंह व श्रवण को अपराध धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का एवं अभियुक्तगण रमेश उर्फ रामेश्वर व विजय सिंह अपराध धारा 19/54 एवं 54 ए राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इंकार किया गया और अन्वीक्षा चाही गई।

05– दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार साक्षीान को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाये गए।

06– तत्पश्चात अभियुक्तगण का परीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–313 के अंतर्गत किया गया तो अभियुक्तगण ने कोई साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

07– बहस अंतिम सुनी गई। अभियुक्तगण के धारा–437–क दण्ड प्रक्रिया संहिता के बंध–पत्र व प्रतिभूति पत्र प्राप्त किए गए।

08– इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिंदु यह है कि:–

''क्या, अभियुक्त शक्ति सिंह से दिनांक 02.06.2014 को करीब 6:00 पीएम के लगभग ग्राम लेसवा में वाहन पिकअप संख्या आरजे–01–जीए–2631 में महखाना देशी शराब के 34 कार्टून व 53 कार्टून धोलामारू देशी शराब के जिसमें प्रत्येक कार्टून में 48–48 पव्वे थे व इसी प्रकार हेवर्ड 5000 बियर के 5 कार्टून प्रत्येक में 12–12 बोतल व ड्राईजिन का एक कार्टून जिसमें 12 बोतल व एक कार्टन ड्राईजिन का जिसमें 48 पव्वे व ऑफिसर चॉईस की कुल 4 बोतल व टूबॉर्ग ग्रीन के दो कार्टन जिसमें 12–12 बोतल व स्ट्रांग बियर की 17 बोतल छोटी 330 एम एल व बुलेट बियर का एक कार्टून जिसमें 12 बोतल बरामद हुई, जिन्हे रखने एवं परिवहनित करने का लाईसेंस/परमिट नहीं था? यदि हाँ तो अभियुक्त किस प्रकार के

समुचित दण्ड से दण्डनीय है? "

" क्या अभियुक्त रमेश उर्फ रामेश्वर से दिनांक 02.06.2014 को ही करीब 6:00 पीएम के लगभग ग्राम लेसवा में वाहन बोलेरो संख्या आरजे–21–यूए–9484, जिसका स्वामी अभियुक्त था, में 70 पेटी सादा देशी शराब ढोलामारू, जिसमें प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे थे, बरामद हुए, जिन्हे रखने व परिवहित करने का लाईसेंस/परमिट नहीं था? यदि हाँ तो अभियुक्त किस प्रकार के समुचित दण्ड से दण्डनीय है? "

" क्या अभियुक्त श्रवण से दिनांक 02.06.2014 को करीब 6:00 पीएम के लगभग ग्राम लेसवा में वाहन बोलेरो संख्या आरजे–21–यूए–9484 में 70 पेटी सादा देशी शराब ढोलामारू, जिसमें प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे बरामद हुए, जिन्हे रखने एवं परिवहनित करने का लाईसेंस / परमिट नहीं था? यदि हाँ तो अभियुक्त किस प्रकार के समुचित दण्ड से दण्डनीय है? "

" क्या अभियुक्त विजय सिंह से दिनांक 02.06.2014 को करीब 6:00 पीएम के लगभग ग्राम लेसवा में वाहन पिकअप संख्या आरजे–01–जीए–2631, जिसका स्वामी अभियुक्त था, में महखाना देशी शराब के 34 कार्टन व 53 कार्टन ढोलामारू देशी शराब के, जिसमें प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे थे व इसी प्रकार हेवर्डस 5000 बियर के 5 कार्टन प्रत्येक में 12–12 बोतल व ड्राइजिन का एक कार्टन, जिसमें 12 बोतल व एक कार्टन ड्राइजिन का जिसमें 48 पव्वे व ऑफिसर चॉईस की कुल 4 बोतल व टूबॉर्ग ग्रीन के दो कार्टन जिसमें 12–12 बोतल व स्ट्रांग बियर की 17 बोतल छोटी 330 एम एल व बुलेट बियर का एक कार्टून जिसमें 12 बोतल मिली, जिन्हे रखने एवं परिवहनित करने का लाईसेंस / परमिट नहीं था? यदि हाँ तो अभियुक्त किस प्रकार के समुचित दण्ड से दण्डनीय है? "

"क्या अभियुक्त हिम्मत सिंह से दिनांक 02.06.2014 को करीब 6:00 पीएम के लगभग ग्राम लेसवा में वाहन पिकअप संख्या आरजे–01–जीए–2631 में महखाना देशी शराब के 34 कार्टन व 53 कार्टन ढोलामारू देशी शराब के, जिसमें प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे थे व इसी प्रकार हेवर्डस 5000 बियर के 5 कार्टन प्रत्येक में 12–12 बोतल व ड्राइजिन का एक कार्टन, जिसमें 12 बोतल व एक कार्टन ड्राइजिन का जिसमें 48 पव्वे व ऑफिसर चॉईस की कुल 4 बोतल व टूबॉर्ग ग्रीन के दो कार्टन जिसमें 12–12 बोतल व स्ट्रांग बियर की 17 बोतल छोटी 330 एम एल व बुलेट बियर का एक कार्टून जिसमें 12 बोतल मिली, जिन्हे रखने एवं परिवहनित करने का लाईसेंस/ परमिट नहीं था? यदि हाँ तो अभियुक्त किस प्रकार के समुचित दण्ड से दण्डनीय है? "

09– दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने दलील दी कि पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध बखूबी प्रमाणित हुआ है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जाए।

10– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क प्रस्तुत किया कि साक्षीान के कथनों में घोर विरोधाभास है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो आरोपित अपराध में अभियुक्तगण की लिप्तता को प्रकट करे। अंत में, अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

11– उपरोक्त परस्पर विरोधी दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के प्रमाणीकरण हेतु कुल 18 साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है, जिनकी साक्ष्य का विवेचन निम्न प्रकार है:–

साक्षी पीडब्ल्यू–1 पूजा अवाना ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 02–06–2014 को पुलिस थाना पुष्कर पर एसएचओ आईपीएस (पी) के पद पर तैनात थी। उस दिन जरिये टेलीफोन मुखबिर खास ने इत्तला दी कि ग्राम लेसवा में बलवीर सिंह के नोहरे में एक दुकान व दुकान के पीछे एक कमरा बना हुआ है, जिसमें सादा देशी शराब व अंग्रेजी शराब विभिन्न ब्राण्ड की पड़ी है, जहां अभी अभी एक सफेद रंग की पिकअप व काले शीशे की सफेद बोलेरो गाड़ी में सादा देशी शराब व अंग्रेजी शराब परिवहन करने की फिराक में है, जिस पर एसपी अजमेर को हालात निवेदन कर सर्च वारंट व दिगर रहबरी हासिल की, जिस पर एसपी अजमेर ने उसे मौखिक निर्देश दिए कि आप तुरंत जाप्ते के साथ लेसवा पहुंचे व कार्यवाही करें। जिस पर वह, दलपत सिंह एएसआई, हेड कानि. सरवर खां, छीतरलाल व कानि. राजेन्द्र सिंह, श्रवण कुमार, देवकरण, शिवकरण, महिपाल मय बोलेरो वाहन मय चालक जगतसिंह व सरकारी जीप मय चालक राजेन्द्र सिंह मय अनुसंधान बॉक्स पुष्कर थाने से रवाना होकर मुताबिक इत्तला लेसवा ग्राम बलवीर सिंह के नोहरे पर पहुंचे। जहां पर बोलेरो बरंग सफेद आरजे–21–यूए–9484 के अन्दर दो आदमी बैठे मिले व पास में एक पिकअप आरजे–01–जीए–2631 खडी मिली, जिसमें एक व्यक्ति चालक सीट पर तथा एक व्यक्ति पीछे शराब पेटियां पिकअप में रख रहा था। एक व्यक्ति कमरे में से पेटियां उठाकर पिकअप में चढ़ा रहा था। जिनको जाप्ते की मदद से घेरा देकर ज्यो के त्यों खड़े रहने की हिदायत दी। बोलेरो की चालक सीट पर बैठे व्यक्ति को नाम पूछा तो उसने अपना नाम रमेश होना बताया तथा खलासी साइड में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम श्रवण होना बताया, जिनसे बोलेरो में रखे सामान के बारे में पूछा तो घबरा गए। दोबारा तसल्ली देकर पूछा तो सादा देशी शराब की पेटियां होना बताया। बोलेरो को चैक किया तो उसमें 70 पेटी सादा देशी शराब ढोला मारू का लेबल लगे कार्टन मिले जिनको चैक किया तो उनमें 48–48 पव्वे भरे मिले। प्रत्येक कार्टन में से एक–एक पव्वे का ढक्कन खोलकर उसने सूंघा व जाप्ते को सुंघाया व चखाया तो सभी ने सादा देशी शराब होना बताया, जिस पर रमेश व श्रवण से इतनी मात्रा में सादा देशी शराब बोलेरो में रखने व परिवहन करने बाबत लाईसेस व परमिट बाबत पूछा तो नहीं होना बताया व ना ही मिला, जिस पर इनका उक्त कृत्य 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम की नोयत में आने पर 70 पेटी सादा देशी शराब की कार्टन को एक ही ब्राण्ड के कार्टन होने के कारण प्रत्येक कार्टन में से एक–एक पव्वा बतौर सैम्पल निकालकर मार्का ए–1 से ए–70 अंकित किया व शेष बचे कार्टन पर मार्का बी–1 से बी–70 अंकित किया। 70 सादा देशी शराब के कार्टन को मय वाहन बोलेरो आरजे–21–यूए–9484 को जरिये फर्द जब्त कर कब्जा पुलिस लिया। मुलजिम रमेश व श्रवण को जरिये फर्द गिरफतार कर हेड कानि. छीतरलाल, कानि राजेन्द्र, श्रवण कुमार को हिदायत देकर निगरानी हेतु सूपूर्द किया। उसके बाद पिकअप वाहन आरजे–01–जीए–2631 में बैठे व्यक्ति से नाम पूछा तो उसने अपना नाम विजय सिंह होना बताया व पीछे कार्टन लाने वाले का नाम

पूछा तो उसने अपना नाम हिम्मत सिंह होना बताया व नीचे कमरे में से कार्टन लाने वाले का नाम पूछा तो उसने अपना नाम शक्ति सिंह होना बताया, जिनको पिकअप में रखे सामान बाबत पूछा तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिस पर दलपत सिंह व सरवर खान ने कार्टन को चैक कर गिना तो 87 कार्टन सादा देशी शराब, जिसमें महखाना देशी शराब के पव्वे के कुल 34 कार्टन, जिनपर प्रत्येक में 48–48 पव्वे मिले व ढोला मारू के कुल 53 कार्टन प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे मिले। इसी प्रकार हेवर्डस 5000 बियर के पांच कार्टन मिले, प्रत्येक कार्टन में 12–12 बोतल मिली। ड्राईजिन का एक कार्टन जिसमें 12 बोतल व एक कार्टन ड्राईजिन का जिसमें 48 पव्वे मिले। इसी तरह ऑफिसर चॉईस की 4 बोतल व टूबोर्ग ग्रीन के दो कार्टन प्रत्येक कार्टन में 12–12 बोतल व स्ट्राँग बियर की कुल 17 बोतल छोटी 330 एमएल व बुलेट बियर का एक कार्टन जिसमें 12 बोतल मिली। सभी ब्राण्ड में से एक–एक बोतल व पव्वे के ढक्कन खोलकर उसने सूंघा व जाप्ते को सुंघाया व चखाया तो सभी सादा देशी शराब व अंग्रेजी शराब व बियर होना बताया, जिस पर मुलजिम विजय सिंह, हिम्मत सिंह व शक्ति से इतनी मात्रा में शराब रखने व परिवहन बाबत लाईसेस व परमिट बाबत पूछा तो नहीं होना बताया, जिनका यह कृत्य 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम की नोयत में आने पर सभी देशी शराब महखाना के कुल 34 कार्टनों में से एक–एक पव्वा सैम्पल निकाल मार्का सी–1 से सी–34 अंकित किया तथा शेष बचे पव्वों के 34 कार्टन पर मार्का डी–1 से डी–34 अंकित किया। ढोलामारू के कुल 53 कार्टन में से एक–एक पव्वा सैम्पल निकालकर मार्का ई–1 से ई–53 अंकित किया तथा शेष बचे पव्वों के 53 कार्टनों पर मार्का एफ–1 से एफ–53 अंकित किया। इसी प्रकार हेवर्डस बियर 5000 के कुल 5 कार्टन में से एक–एक बोतल सैम्पल निकालकर मार्का जी–1 से जी–5 अंकित किया तथा शेष बचे बियर के 5 कार्टन पर मार्का एच–1 से एच–5 अंकित किया। ड्राईजिन के एक कार्टन में से एक बोतल सैम्पल निकालकर मार्का आई अंकित व कार्टन पर मार्का आई–1 अकित किया। इसी प्रकार ड्राईजिन पव्वे के एक कार्टन में से एक पव्वा सैम्पल निकालकर मार्का जे व शेष बचे 47 पव्वों के कार्टन पर मार्का जे–1 अंकित किया। ऑफिसर चॉईस की 4 बोतल में से एक बोतल सैम्पल निकालकर मार्का के व शेष बोतलों पर मार्का के–1, के–2, के–3 अंकित किया। इसी प्रकार टूबॉर्ग ग्रीन के दो कार्टन में से एक–एक बोतल सैम्पल निकालकर मार्का एल–1 व एल–2 अंकित किया व दो कार्टन पर मार्का एम–1 एम–2 अंकित किया। इसी प्रकार स्ट्रांग बियर की कुल 17 बोतल छोटी 330 एमएल में से एक बोतल सैम्पल निकालकर मार्का एन अंकित किया तथा शेष 16 पर मार्का एन 1 से एन 16 अंकित किया। इसी प्रकार बुलेट बियर के एक कार्टन में से एक बोतल बियर सैम्पल निकालकर मार्का ओ अंकित किया तथा शेष बची बियर के कार्टन पर मार्का ओ–1 अंकित किया। शराब के विभिन्न ब्राण्ड के कार्टनों को मय पिकअप गाड़ी आरजे–01–जीए–2631 को जरिये फर्द जब्त किया। कार्टनों पर मार्कर पेन से मार्का अंकित किया गया। सैम्पलों को सील्डमोहर कर चिट चैपा किया व मुलजिमान विजय सिंह, हिम्मत, शक्ति को जरिये फर्द गिरफ्तार किया। बाद कार्यवाही जब्तशुदा शराब, वाहन, गिरफतारशुदा अभियुक्तगण को पीसांगन थाने पर लाये, जहां उसने मुकदमा दर्ज कराया। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती शराब व वाहन प्रदर्श पी–2 है जिस पर ए से बी उसके

हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। फर्द गिरफ्तारी मुलजिम रमेश, श्रवण, विजय सिंह, हिम्मत, शक्ति क्रमशः प्रदर्श पी–3 से प्रदर्श पी–7 है। जिन पर ए से बी उसके व सी से डी अभियुक्तगण के हस्ताक्षर है। उक्त प्रकरण में जब्तशुदा माल को नष्ट किया जा चुका है, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–8 है, जिसके साथ फोटोग्राफस संलग्न है। उक्त प्रकरण में जब्तशुदा माल को नष्ट किया जा चुका है, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–8 है, जिसके साथ फोटोग्राफ्स संलग्न हैं। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि पुष्कर थाने में मार्च 2014 से जुलाई 2014 के पहले सप्ताह तक पदस्थापित रही थी। वह पुष्कर थाने पर पदस्थापित रही, इसका कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है, ना ही उसकी नॉलेज में है। इस घटना की तहरीर मौके पर ही लिखी थी। यह सही है कि प्रदर्श पी–1 पर ए से बी भाग में कांट छांट हो रखी है। प्रदर्श पी–2 में समय का अंकन नहीं है। इस प्रकरण में कार्यवाही करने हेतु एसपी अजमेर से कोई लिखित आदेश उसे नहीं मिला अज खुद कहा कि जरिये टेलीफोन निर्देश मिला। यह सही है कि वह पीसांगन थाने वालों से उच्च पद पर थी। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि इस प्रकरण का चालान उसके स्थानान्तरण के पहले पेश हो गया था। यह सही है कि नमूना सील की अलग से कोई फर्द नहीं बनाई। इस घटना की सूचना उसे पुष्कर थाने पर मिली। उसे सूचना देने वाले का पर्चा बयान लिया या नहीं उसे याद नहीं है। उसे जरिये टेलीफोन सूचना मिली, उसने इसका रोजनामचा में इद्राज किया। पर्चा बयान की प्रति पत्रावली में है कि नहीं, उसे जानकारी नहीं है। पत्रावली देखकर बताया कि पत्रावली पर नहीं है। यह सही है कि जब माल नष्ट किया तब वह मौके पर नहीं थी, इसलिए वह यह नहीं बता सकती कि कितनी बोतल खाली थी या कितनी भरी थी। नष्ट करते समय माल पर क्या मार्का था या नहीं था, उसे जानकारी नहीं है। सूचना मिलने के करीब 10 मिनिट बाद वह घटना स्थल के लिए रवाना हो गई। पुष्कर थाने से उसके साथ एएसआई दलपत, श्रवण कुमार कानि., महिपाल, शिवकरण, देवकरण, राजेन्द्र चालक व जगत सिंह थे। वे सरकारी बोलेरो व सरकारी जीप से ही गए थे। यह सही है कि पुष्कर राजकीय चिकित्सालय से किसी राजकीय कर्मचारी को साथ नहीं लिया। पुष्कर थाने से पहले लेसवा गई थी। पुष्कर से लेसवा कितना किमी दूर आज उसे जानकारी नहीं है। लेसवा जाने के कितने रास्ते हैं उसे जानकारी नहीं है। यह सही है कि इस घटना की सूचना मिलने के बाद पीसांगन थाने को सूचित नहीं किया। यह सही है कि प्रदर्श पी–2, 3, 4, 5 पर किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं हैं। आरोपीगण की गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार वालों को दी हो ऐसा कोई इंद्राज नहीं है। बोलेरो में दो आदमी थे। पिकअप में एक बैठा हुआ था, एक सामान ला रहा था। पिकअप में लगभग 87 पेटियां थी। नीचे जमीन पर कितनी पेटियां थी आज उसे याद नहीं है। बोलेरो में 70 पेटी थी तथा नीचे कोई पेटी नहीं थी। उसने कार्टन से कोई फिंगर प्रिंट नहीं लिए, ना ही आरोपीगण के फिंगर प्रिंट लिए। यह सही है कि उसने आरोपीगण को गिरफतार करने से पहले उनके पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं लिए। यह सही है कि घटनास्थल आबादी क्षेत्र है, आसपास में मकान बने हुए है। उसने आस–पास के पड़ोसी मकान वालों को मौके पर बुलाया था। आज उसे आसपास के लोगों के नाम याद नहीं है। उन लोगो ने फर्दो पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उसने उन लोगों को साक्षी बनने के लिए लिखित नोटिस नहीं दिया।

उसने संबंधित सरपंच या वार्ड पंच को मौके पर नहीं बुलाया था, ना ही लिखित तहरीर जारी की। ग्राम लेसवा में राजकीय चिकित्सालय है या नहीं उसे याद नहीं है। उसने सभी बोतलों को चखा नहीं था। अज खुद कहा कि उसके द्वारा केवल सूंघा गया था। उसे यह याद नहीं कि उस समय जमीन पर कोई कार्टन पडा हो। कार्टन पर किसी व्यक्ति का नाम या मार्का लगा हुआ था या नहीं उसे जानकारी नहीं है। वह घटना स्थल पर करीब ढाई घंटे तक रूकी थी। समस्त लिखा–पढ़ी की कार्यवाही उसने ही की थी। वह पीसांगन थाने पर करीब साढे नौ बजे के करीब पहुंची थी। उसने घटना स्थल के मालिकाना हक के कोई दस्तावेज नहीं लिया। यह सही है कि किसी स्थल की तलाशी लेने से पहले धारा–47 का पर्चा बनाया जाता है। यह सही है कि धारा–47 का पर्चा पत्रावली पर नहीं है। जब्तशुदा माल में करीब 50 बोतल थी व पव्वे करीब 1000 से ज्यादा थे। उसने प्रत्येक बोतल में से सैम्पल लिया या नहीं उसे याद नहीं है। यह सही है कि प्रत्येक बोतल में से सैम्पल लिया हो ऐसा लिखा हुआ नहीं है। उक्त दोनों गाड़ियां घटना स्थल पर चार पांच मीटर की दूरी पर खड़ी थी। आज उसे याद नहीं कि कौनसा व्यक्ति, कौनसी ब्राण्ड चढ़ा रहा था। यह सही है कि उसने दोनों गाड़ियों को परिवहन करते हुए नहीं देखा। दोनों गाड़ियां खड़ी थी। उसने गाड़ियों के स्टेयिरिंग से फिंगर प्रिंट नहीं लिए। जब्तशुदा शराब के बैच नंम्बर आज उसे याद नहीं है। सारी शराब के एक ही बैच नम्बर थे या अलग अलग थे आज उसे याद नहीं है। बोलेरो में रमेश चालक व श्रवण खलासी था। पिकअप में विजय चालक व हिम्मत सिंह व शक्ति सिंह खलासी थे। सैम्पल का अलग से कार्टन बनाया था, फिर कहा कि कार्टन नहीं बनाया ऐसे ही रखे थे। बोलेरो व पिकअप के इंजन नम्बर व चेसिस नम्बर क्या थे उसे याद नहीं है। उसने इंजन नम्बर व चेसिस नम्बर ट्रेस नहीं किए। उसने गाड़ियों से कोई दस्तावेज जब्त नहीं किए। उसने सैम्पल लेकर गाड़ी में रख दिए थे। उसने किसी कानि. को नहीं दिए थे। उसने उस नोहरे के मालिक को मौके पर नहीं बुलाया था। बोलेरो गाड़ी के अलावा और कोई गाड़ी लेकर नहीं आये। यह सही है कि घटना स्थल के सामने गोविदगढ से पुष्कर जाने वाली सड़क है। यह सही है कि उस सड़क पर लोगबाग चल रहे थे और वाहन भी आ जा रहे थे। उसने किसी राहगीर या वाहन चालक को रोककर पूछताछ नहीं की। यह सही है कि बाड़ा खुला स्थान है। बाड़े में चार दीवारी है। उसे याद नहीं है कि खुले बाड़े में कोई भी आ–जा सकता है। वे जब गए तब उस बाड़े का गेट खुला था। दुकान पर किसी व्यक्ति का नाम था या नहीं आज उसे याद नहीं है। पीसांगन थाने पर वह करीब आधा घंटा रूकी थी। उसने पीसांगन थाने वालों को मौके पर नहीं बुलाया। उसने सभी आरोपीगण को एक समय ही गिरफतार किया था। घटना स्थल के आसपास के किन–किन के मकान हैं आज उसे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि उसने समस्त फर्द थाने पर बैठकर बनाई हो। यह कहना गलत है कि वह मौके पर नहीं गई हो। यह कहना गलत है कि वह घटना के दौरान प्रोबेशन में थी, इसलिए झूठा मुकदमा बनाया हो।

साक्षी साक्षी पीडब्ल्यू–2 देवकरण ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 02.06.2014 को पुलिस थाना पुष्कर पर हैड कानि. के पद पर तैनात था। उस रोज शाम के 6 बजे के आसपास थानाधिकारी पूजा अवाना आईपीएस प्रोबेशनर ने उनको अवगत कराया कि उसे मुखबिर खास से इत्तला मिली है कि लेसवा ग्राम में बलबीर सिंह के नोहरे में एक

दुकान है तथा दुकान के पीछे बने कमरे में भारी मात्रा में देशी शराब व अंग्रेजी शराब अलग–अलग ब्राण्ड की रखी हुई है, जहां अभी भी एक बोलेरो गाड़ी व एक पिकअप खड़ी है, जो उक्त शराब के परिवहन की फिराक में खड़ी है, उक्त इत्तला पर एसएचओ पूजा अवाना के साथ वह, दलपत सिंह एएसआई, छीतरलाल एचसी, राजेन्द्र कानि., श्रवणराम कानि., देवकरण कानि., शिवकरण कानि., महिपाल कानि., मय चालक जगत सिंह के मय अनुसंधान बॉक्स से सरकारी वाहन बोलेरो व सरकारी जीप से थाने से 6:15 पीएम पर रवाना होकर मुताबिक मुखबिर इत्तला 6:45 पीएम पर बलवीर सिंह के नोहरे पर पहुंचे, जहाँ एसएचओ पूजा अवाना ने छीतरलाल हैड कानि. को दो स्वतंत्र साक्षी लाने की हिदायत देकर भेजा, जिसने कुछ समय बाद आकर बताया कि कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी के डर से साक्षी बनने को तैयार नहीं है, जिस पर एसएचओ ने जाब्ते में सम्मिलित उसे व दलपत सिंह को साक्षी मामूर किया तथा मुखबिर की इत्तला अनुसार बलवीर सिंह के नोहरे में एक बोलेरो सफेद रंग की, जिसके नंबर आरजे–21–यूए–9484 थे, जिसके अन्दर दो आदमी बैठे थे, एक ड्राईवर सीट पर व एक खलासी साईड मे बैठा था जिसके पास में ही एक पिकअप सफेद रंग की खड़ी थी, जिसके नंबर आरजे–01–जीए–2631 थे, जिसमें भी एक व्यक्ति ड्राईवर सीट पर व एक व्यक्ति पीछे शराब की पेटियां पिकअप में रख रहा था व एक व्यक्ति कमरे में से पेटियां उठा–उठा कर पिकअप में चढ़वा रहा था, जिस पर एसएचओ के निर्देशानुसार उन सब ने चारो तरफ से उनको घेरा दिया और एसएचओ ने उन व्यक्तियों को ज्यों के त्यों खड़े रहने की हिदायत दी। तत्पश्चात एसएचओ ने बोलेरो के ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रमेश पुत्र भंवरू राम निवासी पादूखुर्द होना बताया तथा खलासी साईड में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम श्रवण पुत्र मूलाराम निवासी लेसवा होना बताया तथा एसएचओ ने रमेश व श्रवण से बोलेरो में क्या भरा है, इस बाबत पूछा तो घबरा गए। तत्पश्चात तसल्ली देकर पूछने पर बोलेरो में देशी शराब की पेटियां भरी होना बताया। तत्पश्चात एसएचओ ने साक्षी व जाब्ते के समक्ष बोलेरो में रखी शराब की पेटियों की गिनती करवाई तो बोलेरो में 70 पेटियां रखी हुई थी, जिस पर ढोला मारू शराब का लेबल लगा हुआ था। उक्त कार्टनों को खोलकर चैक किया तो प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे ढोला मारू सादा देशी शराब 180 एमएल क्षमता के भरे हुए सीलबंद अवस्था में थे, जिस पर पूजा अवाना ने प्रत्येक कार्टन में से एक पव्वे का ढक्कन खोलकर सूंघा व उन सब को सुंघाया तो उन सब ने देशी शराब भरा होना पाया, जिस पर रमेश व श्रवण से इतनी मात्रा में शराब बोलेरो में रखने व परिवहन करने बाबत लाइसेंस व परमिट मांगा तो नहीं होना बताया, जिस पर उपरोक्त मुलजिम रमेश व श्रवण का उक्त कृत्य धारा–19/54 आबकारी अधिनियम का पाया जाने पर उक्त बोलेरो में बरामदशुदा 70 पेटी देशी शराब के कार्टन जिनमें एक ही ब्रान्ड की शराब थी, जिस पर एसएचओ ने प्रत्येक कार्टन में से एक–एक पव्वा वास्ते एफएसएल सैम्पल पृथक से निकाल कर सील्ड मोहर कर मार्क ए–1 से ए–70 अंकित किया तथा शेष बची शराब को उन्हीं कार्टनों में रहना दिया जाकर कार्टनों को सील्ड मोहर कर मार्का बी–1 से बी–70 अंकित किया तथा बोलेरो व उक्त 70 शराब के कार्टनों को मौके पर ही कब्जा पुलिस लिया तथा जरिये फर्द जब्त किया तथा मुलजिम रमेश व श्रवण को मौके पर ही जरिये फर्द गिरफ्तार किया तथा जब्तशुदा शराब बोलेरो व मुलजिमान को छीतरलाल एचसी,

कानि. राजेन्द्र श्रवणराम को हिदायत देकर निगरानी हेतु एसएचओ ने सुपुर्द किया। तत्पश्चात एसएचओ ने वहां मौके पर खड़ी सफेद पिकअप नंबर आरजे–01–जीए–2631में चालक सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विजय सिंह पुत्र हीरालाल निवासी डूमाडा होना बताया तथा पिकअप में पीछे की तरफ कार्टन रखने वाले व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हिम्मत सिंह पुत्र केसर सिंह निवासी भांवता होना बताया तथा नीचे खड़े व्यक्ति जो कि कमरे में से कार्टन पकड़ा रहा था उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शक्ति सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी जुगपुरा पीएस थांवला होना बताया। तत्पश्चात एसएचओ ने उक्त व्यक्तियों से पिकअप में भरे कार्टन में क्या सामान है, इस बाबत पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया तो एसएचओ के निर्देशानुसार उसके व दलपत सिंह के सामने एसएचओ ने पिकअप में भरे विभिन्न ब्रान्ड के कार्टनों को चैक किया और गिना तो पिकअप में 87 कार्टन सादा देशी शराब के, जिनमें महखाना देशी शराब के 34 कार्टन थे। प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे देशी शराब के भरे हुए सीलबंद अवस्था में थे तथा 53 कार्टन ढोला मारू देशी शराब के थे। प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे शराब के भरे हुए सीलबंद अवस्था मे थे। 5 कार्टन हेवर्डस 5000 बियर के थे, जिनमें प्रत्येक कार्टन में 12–12 बोतल बियर भरी हुई सीलबंद थी। एक कार्टन ड्राईजिन का था, जिसमें 12 बोतल ड्राईजिन शराब से भरी हुई थी। उसके पास ही एक और कार्टन था जो भी ड्राईजिन शराब का ही था, जिसमें 48 पव्वें ड्राईजिन शराब के भरे हुए सीलबंद अवस्था में थे। ऑफिसर्स चॉइस की 4 बोतल भरी हुई सीलबंद अवस्था में थी व 2 कार्टन टूबॉर्ग ग्रीन बियर के भरे हुए थे, जिनमें प्रत्येक कार्टन में 12–12 बोतल बियर की भरी हुई सीलबंद थी, 17 बोतल स्ट्रांग बियर की 330 एमएल की भरी हुई थी। 1 कार्टन बुलेट बियर का था, जिसमें 12 बोतल बियर की भरी हुई सीलबंद थी। तत्पश्चात सरवर खां और उसने प्रत्येक ब्राण्ड में से एक–एक बोतल व पव्वा निकाल कर ढक्कन खोलकर सूंघा व उनको व जाब्ते को भी दिखाया, सुंघाया तो उन सब ने उक्त कार्टनों में देशी शराब व अंग्रेजी शराब होना पाया। तत्पश्चात एसएचओ ने मुलजिम विजय सिंह, हिम्मत सिंह व शक्ति सिंह से इतनी मात्रा में अपने पास शराब रखने लाने व ले जाने का लाईसेंस व परमिट के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया, जिससे मुलजिमान का उक्त कृत्य धारा–19/54 राज आबकारी अधिनियम का पाया जाने पर उक्त शराब व पिकअप को कब्जा पुलिस लेकर देशी शराब मयखाना के 34 कार्टनों में से एक–एक पव्वा एफएसएल सैम्पल पृथक–पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का सी–1 से सी–34 अंकित किया तथा शेष शराब को उन्हीं कार्टनों में रहना दिया जाकर कार्टनों को सील्ड मोहर कर मार्का डी 1 से डी–34 अंकित किया। ढोलामारू शराब के 53 कार्टनों में से एक–एक पव्वा एफएसएल सैम्पल पृथक–पृथक निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का ई–1 से ई–53 अंकित किया तथा शेष शराब को उन्हीं कार्टनों में रहना दिया जाकर कार्टनों को सील्ड मोहर कर मार्का एफ–1 से एफ–53 अंकित किया। इसी प्रकार हेवर्डस 5000 बियर के 5 कार्टनों में से एक–एक बियर की बोतल एफएसएल सैम्पल पृथक–पृथक निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का जी–1 से जी–5 अंकित किया तथा शेष बियर को उन्हीं कार्टनों में रहना दिया जाकर कार्टनों को सील्ड मोहर कर मार्का एच–1 से एच–5 अंकित किया। ड्राईजिन के एक कार्टन में से एक बोतल एफएसएल हेतु सैम्पल पृथक से निकालकर

सील्ड मोहर कर मार्का आई अंकित किया तथा शेष ड्राईजिन बोतल को उसी कार्टन में रहना दिया जाकर कार्टन को सील्ड मोहर कर मार्का आई–1 अंकित किया। इसी प्रकार ड्राईजिन के पव्वों के कार्टन में से एक पव्वा एफएसएल सैम्पल पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का जे अंकित किया तथा शेष शराब को उसी कार्टन में रहना दिया जाकर कार्टन को सील्ड मोहर कर मार्का जे–1 अंकित किया। ऑफिसर चॉइस की 4 बोतलों में से 1 बोतल एफएसएल सैम्पल पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का के अंकित किया तथा शेष शराब की तीन बोतलों को सील्ड मोहर कर मार्का के–1, के–2, के–3 अंकित किया। टूबॉर्ग ग्रीन बियर के 2 कार्टनों में से एक–एक बियर की बोतल एफएसएल सैम्पल पृथक–पृथक निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का एल–1 से एल–2 अंकित किया तथा शेष बियर की बोतलों को उन्हीं कार्टनों में रहना दिया जाकर कार्टनों को सील्ड मोहर कर मार्का एम–1 व एम–2 अंकित किया। इसी तरह टूबॉर्ग स्ट्रांग बियर 330 एमएल की 17 छोटी भरी हुई सीलबंद बोतलों में से भी एक बोतल एफएसएल हेतु सैम्पल पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का एन अंकित किया तथा शेष बची 16 छोटी बोतलों को सील्ड मोहर कर मार्का एन–1 से एन–16 अंकित किया। बुलेट बियर के एक कार्टन में से बियर की एक बोतल एफएसएल हेतु सैम्पल पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का ओ अंकित किया तथा शेष बची बियर की बोतल को उसी कार्टन में रहना दिया जाकर कार्टन को सील्ड मोहर कर मार्का ओ–1 अंकित किया। पिकअप गाड़ी आरजे–01–जीए–2631 व शराब के कार्टनों को जरिये फर्द जब्त किया। मौके पर ही फर्द जब्ती बनाई, कार्टनों पर मार्कर पेन से मार्का अंकित किया। मौके पर ही मुलजिम विजय सिंह, शक्ति सिंह, हिम्मत सिंह, रमेश व श्रवण को पृथक–पृथक जरिये फर्द गिरफतार किया। मौके की कार्यवाही पूर्ण कर मय माल, मुलजिम, फर्दात, अनुसंधान बॉक्स के वापसी थाने पीसांगन पर पहुंचे, जहाँ एसएचओ पूजा अवाना द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट मय फर्दात, जब्तशुदा शराब आर्टिकल मय जब्तशुदा बोलेरो, पिकअप, गिरफ्तारशुदा मुलजिमान को एसएचओ पीसांगन को सुपुर्द कर एसएचओ को पेश की, जिस पर एसएचओ पीसांगन द्वारा प्रकरण दर्ज किया। दौराने अनुसंधान एसएचओ पीसांगन ने उसके कथनानुसार उसके बयान लेखबद्व कर शामिल पत्रावली किए। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि प्रदर्श डी–1 में बोलेरो रंग सफेद आरजे–21–यूए–9484 पर ए से बी, सी से डी भाग में कांट छांट हो रखी है। यह कहना सही है कि प्रदर्श डी1 में बोलेरो रंग सफेद में आरजे–21–यूए–9484 पर ए से बी भाग व सी से डी भाग पर कांट छांट हो रखी है। वह पुष्कर थाने में 21–08–2008 से सन् 2016 तक कार्यरत था। यह कहना सही है कि वह पुष्कर थाने में 2008 से 2016 तक रहा हो ऐसा कोई पदस्थापन आदेश पत्रावली पर नहीं है। तहरीरी रिपोर्ट पूजा अवाना ने पुलिस थाना पीसांगन पर लिखी थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–2 के पृष्ठ संख्या 1 पर समय का अंकन नहीं है। फर्द नमूना सील की उसे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि फर्द नमूना सील की अलग से फर्द बनायी हो तो वो पत्रावली पर नहीं है। इस घटना की सूचना उसे एसएचओ ने दी थी। यह कहना सही है कि एसएचओ पूजा अवाना ने थाने से रवाना होने से पहले यह बता दिया हो कि कहां चलना है। यह कहना सही है कि जब माल नष्ट किया गया था तब वह मौके पर नहीं था, इसलिए वह नहीं

बता सकता कि कितनी बोतले भरी हुई थी व कितनी खाली थी व उन पर क्या–क्या मार्का हुआ था। वे थाने से करीब शाम को 6:15 बजे रवाना हुए थे। वे थाने से रवाना हुए तब उनके साथ पूजा अवाना आईपीएस, दलपत सिंह एएसआई, सरवर खां हैड कानि. छीतरलाल हैड कानि. व कानि. राजेन्द्र, कानि. श्रवण व कानि. महिपाल, कानि. शिवकरण व मय थाने के जीप चालक राजेन्द्र, सरकारी बोलेरो चालक जुगराज थे। कानि. राजेन्द्र, शिवकरण, जीप चालक राजेन्द्र, सरकारी बोलेरो चालक जुगराज के बयान उसके सामने लिए या नहीं लिए उसे जानकारी नहीं है, पत्रावली पर नहीं है। यह कहना सही है कि पुष्कर में एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, चिकित्सालय है व राजकीय विद्यालय व अन्य सरकारी कार्यालय भी है। यह कहना सही है कि उसके सामने एसएचओ ने किसी सरकारी कर्मचारी को साथ में नहीं लिया था। पुष्कर से वे लेसवा गनाहेड़ा होते हुए गए थे और लेसवा से पीसांगन वे गोविन्दगढ़ होते हुए गए थे। पुष्कर से लेसवा करीब 15 किलोमीटर है। यह कहना सही है कि फर्द जब्ती व फर्द गिरफ्तारी पर किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। प्रदर्श पी–3, 4, 5, 6,7 पर गिरफ़्तारी की सूचना उनके परिवार वालों को दी गई हो उसका इन्द्राज है, अजखुदकहा की पृथक से देना अंकित है। बोलेरो में दो आदमी थे रमेश और दूसरा एक और आदमी था जिसका नाम उसे पता नही है। पिकअप में तीन आदमी थे। पिकअप में करीब 100 के आसपास पेटियां थी। जमीन पर कितनी पेटियां रखी थी उसे आज याद नहीं है। बोलेरो में 70 पेटियां थी। बोलेरो के नीचे कितनी पेटियां थी उसे आज याद नही है। पिकअप में शक्ति सिंह, विजय सिंह माल लोड कर रहे थे। बोलेरो पहले से ही भरी हुई थी। यह कहना सही है कि उसके सामने जब्तशुदा पेटियों से कोई फिन्गरप्रिन्ट नहीं लिए थे। आरोपीगण को गिरफ़्तार करने से पहले उनकी पहचान संबंधी कोई दस्तावेज लिए हो तो उसे याद नहीं है। आरोपियों के पहचान संबंधी दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यह कहना सही है कि घटनास्थल आबादी क्षेत्र है। यह कहना सही है कि उसके सामने एसएचओ ने किसी आस–पडोसियों को मौके पर नहीं बुलाया था अजखुदकहा की स्वतंत्र साक्षी हेतु भेजा था लेकिन स्वतंत्र साक्षी नहीं मिला। आसपास के मकान वालों के नाम पते आज उसे याद नही है। एसएचओ पूजा अवाना ने आस–पड़ोसियो को स्वतंत्र साक्षी बनने के लिए लिखित में तहरीरी जारी की हो तो आज उसे याद नही है, पत्रावली में ऐसी कोई तहरीरी नहीं है। उसके सामने संबंधित सरपंच या वार्डपंच को साक्षी बनने के लिए लिखित में कोई तहरीर जारी नहीं की गई थी। लेसवा में राजकीय चिकित्सालय हो तो उसे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि उसने सभी बोतलों को चखा नहीं था। जमीन पर कितने कार्टन पड़े थे, आज उसे याद नहीं है। उन कार्टनों पर किसी व्यक्ति का नाम व मार्का लगा हो तो आज उसे याद नही है। वे मौके पर करीब 3–3:30 घंटे तक रूके थे। समस्त लिखापढी की कार्यवाही एसएचओ व उनके रीडर ने की थी। उनके रीडर दलपत जी होंगे। पीसांगन थाने पर वे रात्रि 10:30 बजे पहुंचे थे। जब्तशुदा माल बोलेरो व पिकअप में लेकर गए थे। जब्त शुदा बोतलों से लिए गए सैम्पल दलपत व छीतर को संभलाये थे। यह कहना सही है कि प्रत्येक बोतल से सैम्पल नहीं लिया गया था अजखुदकहा की प्रत्येक कार्टन में से सैम्पल लिया गया था। यह कहना सही है कि उसके सामने उक्त घटनास्थल/बाड़ा किसके मालिकाना हक व कब्जे का था ऐसा कोई दस्तावेज नही लिया था। उसके सामने पूजा अवाना ने

घटनास्थल की तलाशी लेने के लिए धारा–47 का पर्चा बनाया हो तो आज उसे याद नही है। यह कहना सही है कि धारा–47 का पर्चा पत्रावली पर नहीं है। जब्तशुदा माल में कितनी बोतले व कितने पव्वे थे आज उसे याद नहीं है। गाड़ियां कौन–कौनसी दिशा में खडी थी, आज उसे याद नहीं है। गाड़ियां कितनी–कितनी दूरी पर थी उसे याद नहीं है। कौनसा व्यक्ति, कौनसे ब्राण्ड की शराब गाड़ी मे चढ़ा रहा था उसे याद नहीं है। यह कहना सही है कि उसने किसी गाड़ी को परिवहन होते हुए नहीं देखा था। उसके सामने एसएचओ ने गाड़ियों की स्टेयिरिंग से कोई फिन्गरप्रिन्ट नहीं लिए थे। जब्तशुदा शराब का बैच नंबर नहीं बता सकता। आज उसे याद नहीं है कि शराब के बैच नंबर एक थे या अलग–अलग थे। पिकअप में हिम्मतसिंह चालक था व पीछे विजयसिंह था। बोलेरो में रमेश ड्राईवर था व खलासी का नाम उसे पता नही है। आज उसे याद नहीं है कि जब्तशुदा शराब का सैम्पल का कोई अलग से कार्टन बनाया था या नहीं। जब्तशुदा पिकअप व बोलेरो के इंजन नंबर व चेसिस नंबर वह नहीं बता सकता। उसके सामने एसएचओ ने बोलेरो व पिकअप के इंजन नंबर व चेसिस नंबर ट्रेस नहीं किए थे। यह कहना सही है कि एसएचओ ने बोलेरो व पिकअप के मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज जब्त नहीं लिए थे। आज उसे याद नहीं है कि उसके सामने पूजा अवाना ने नोहरे/बाड़ा के मालिक को बुलाया था या नहीं। यह कहना सही है कि घटनास्थल के पास पुष्कर से गोविन्दगढ जाने वाली सड़क है। यह कहना सही है कि उक्त सड़क पर राहगीरों व वाहन चालकों का आना जाना रहता है। यह कहना सही है कि उसके सामने एसएचओ ने किसी राहगीर व वाहन चालक को रोककर पूछताछ नहीं की थी। यह उसे याद नही है कि नोहरा/बाड़ा खुला था या नहीं, जब वे गए तब नोहरा/बाड़ा का गेट खुला था या बंद था उसे याद नही है। नोहरा/बाडा में कोई मकान बना हुआ हो तो उसे पता नहीं है। अजखुदकहा की एक कमरा बना हुआ था। उस कमरे पर किसी व्यक्ति का नाम लिखा हो तो उसे पता नही है। उसके सामने एसएचओ ने घटनास्थल की फोटोग्राफी करवाई हो तो उसे याद नही है। लेसवा से वे पीसांगन के लिए 9:30 बजे रवाना हुए। पीसांगन वे 10:15 बजे पहुंच गए थे। यह कहना सही है कि उसके सामने एसएचओ पूजा अवाना ने लेसवा गांव में पीसांगन थाने के पुलिस वालों को नहीं बुलाया था। पीसांगन थाने पर वे एक घण्टा रूके थे। यह कहना सही है कि किसी फर्द पर हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना गलत है कि वह मौके पर नहीं गया हो इसलिए उसके किसी फर्द पर हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि वह एसएचओ पूजा अवाना के अधीनस्थ कर्मचारी था। यह कहना गलत है कि वह एसएचओ पूजा अवाना के अधीनस्थ कर्मचारी होने से आज झूठे बयान दे रहा है।

साक्षी पीडब्ल्यू–3 रेखराज ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 24.06.2014 को पुलिस थाना पीसांगन पर कानि. के पद पर तैनात था। उस रोज थानाधिकारी चैनाराम द्वारा उसे तहरीरी देकर निर्देशित किया कि मुकदमा नंबर 52/2014 धारा–19/54 राज. आबकारी अधिनियम में जब्तशुदा शराब के सैम्पल मालखाना इंचार्ज से सीलबंद अवस्था में प्राप्त कर एसपी कार्यालय अजमेर जाकर अग्रेषण पत्र बनवाकर प्रकरण हाजा का सैम्पल विधि विज्ञान प्रयोगशाला अजमेर में जमा कराने हैं, जिसकी पालना में वह एसएचओ चैनाराम की तहरीर के साथ प्रकरण हाजा का सैम्पल सीलबंद अवस्था में मालखाना इंचार्ज से प्राप्त कर एसपी कार्यालय अजमेर गया, जहां से अग्रेषण पत्र बनवाया जो प्रदर्श पी–9

है। तत्पश्चात अग्रेषण पत्र के साथ प्रकरण हाजा का सैम्पल सीलशुदा हालत में लेकर आबकारी प्रयोगशाला अजमेर गया, जहां सैम्पल सीलबंद अवस्था में ही 19 पैकिट आबकारी प्रयोगशाला अजमेर में जमा करवाकर नमूना प्राप्ति रसीद क्रमांक 821/14 प्राप्त कर वापसी थाने पर आया। नमूना प्राप्ति रसीद मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द की। नमूना प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–10 है जिस पर ए से बी नमूना प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके द्वारा कोर्ट में लाकर पेश की थी एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी–11 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–9 व पी–10 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि पीसांगन थाने से पुलिस अधीक्षक अजमेर को भेजे गये अग्रेषण पत्र की प्रति पत्रावली पर नहीं है। यह कहना सही है कि उसे सैम्पल दिया गया था वो सीलबंद था इसलिए वह नहीं बता सकता कि उसमें क्या था। उसे आज याद नहीं है कि उसे जिस दिन एसपी कार्यालय से अग्रेषण पत्र दिया गया उसी दिन वह प्रयोगशाला अजमेर चला गया था या नहीं। यह कहना सही है कि उक्त सैम्पल उसे मालखाना से निकाल कर दिया इस बाबत उसके हस्ताक्षर मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–16 ए पर नहीं कराये थे। यह कहना सही है कि मालखाना से उसे सैम्पल निकाल कर दिया हो, उसका इन्द्राज प्रदर्श पी–16 ए पर नहीं है। यह कहना सही है कि असल मालखाना रजिस्टर आज पत्रावली पर नहीं है। यह कहना गलत है कि वह चैनाराम के अधीनस्थ कर्मचारी होने से झूठे बयान दे रहा है।

साक्षी पीडब्ल्यू–4 मुखराम ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 04.06.2014 को पुलिस थाना पीसांगन पर कानि. के पद पर तैनात था उस रोज अनुसंधान अधिकारी चैनाराम ने उसके और इन्द्राज के समक्ष मुकदमा नंबर 52/2014 धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में मुलजिम राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू को जरिये फर्द गिरफ्तार किया था। जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–12 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मुलजिम राजेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने कथन किया कि यह कहना सही है कि राजेन्द्र सिंह को थाने पर गिरफतार किया। यह कहना गलत है कि राजेन्द्र सिंह थाने पर स्वयं आया हो। राजेन्द्र सिंह की जामातलाशी किसके द्वारा ली गई थी आज उसे याद नहीं है। उसने उस समय कौनसे कपड़े पहन रखे थे उसे आज याद नहीं है। गिरफ्तारी की सूचना मुलजिम के द्वारा बताए गए मोबाइल नंबर पर दी थी लेकिन किस संबंधी को दी थी, उसे आज याद नहीं है। यह कहना गलत है कि वह थानेदार के अधीनस्थ कर्मचारी होने के कारण आज न्यायालय में झूठे बयान दे रहा है।

साक्षी पीडब्ल्यू–5 इन्द्राज सिंह ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 03.06.2014 को पुलिस थाना पीसांगन पर कानि. के पद पर तैनात था उस रोज अनुसंधान अधिकारी चैनाराम एसएचओ ने घटनास्थल लेसवा जाकर उसके और भारत राम साक्षी के समक्ष चश्मदीद साक्षी सरवर खां की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शामौका घटनास्थल बनाया जो प्रदर्श पी–15 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। साथ ही उसी रोज अनुसंधान अधिकारी चैनाराम के साथ वह, भारतराम कानि. तथा जैर हिरासत मुलजिमान रमेश, श्रवण, विजयसिंह, हिम्मत सिंह, शक्ति के साथ उनकी धारा–27 की इत्तला अनुसार उनके बताए अनुसार लेसवा पहुँचे, जहां जैर हिरासत मुलजिम रमेश व श्रवण ने उन साक्षी के

समक्ष घटनास्थल की तस्दीक की, जिस पर एसएचओ ने फर्द निरीक्षण तस्दीक घटनास्थल नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी–13 है जिस पर ए से बी मुलजिम रमेश, सी से डी मुलजिम श्रवण व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है, मुलजिमान ने उसके सामने हस्ताक्षर किए थे। तत्पश्चात जैर हिरासत मुलजिम विजय सिंह, हिम्मत सिंह, शक्ति द्वारा भी अपनी धारा–27 की इत्तला अनुसार घटनास्थल की तस्दीक की, जिस पर एसएचओ ने उन साक्षी के समक्ष ही मुलजिमान की निशादेही से तस्दीक घटनास्थल नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी–14 है जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ मुलजिमान तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। अगले दिन दिनांक 04.06.2014 को अनुसंधान अधिकारी चैनाराम एसएचओ द्वारा उसके और मुखराम साक्षी के समक्ष मुकदमा नंबर 52/2014 धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में मुलजिम राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू को जरिये फर्द गिरफ्तार किया था, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–12 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर व सी से डी मुलजिम राजेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने कथन किया कि यह कहना सही है कि मुलजिम राजेन्द्र को एसएचओ कहां से लेकर आये या वह स्वयं चलकर आया उसे जानकारी नहीं है, उसके सामने तो थाने पर गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय मुलजिम राजेन्द्र की जामा तलाशी किसने ली थी और उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे, आज वह नहीं बता सकता। फर्द प्रदर्श पी–13, पी–14 व पी–15 एक ही स्थान के हैं। यह कहना भी सही है कि फर्द प्रदर्श पी–13, पी–14 व पी–15 की उसको, भारतराम को और एसएचओ को दिनांक 03.06.2014 को ही जानकारी हो गई थी। यह कहना सही है कि फर्द प्रदर्श पी–13, पी–14 जो मुलजिमान की निशादेही से बनाया गया था, उस स्थान की जानकारी 03 तारीख को ही सरवर खां द्वारा उन्हे हो गई थी। यह कहना गलत है कि वह एसएचओ के साथ लेसवा नहीं गया हो और प्रदर्श पी–13,14,15 को एसएचओ ने थाने पर बनाई हो और उनके कहने पर उसने थाने पर ही हस्ताक्षर किए हों।

साक्षी पीडब्ल्यू–6 भारतराम ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 03.06.2014 को पुलिस थाना पीसांगन पर कानि. के पद पर तैनात था उस रोज चैनाराम एसएचओ ने मुकदमा नंबर 52/2014 धारा–19/54 राज. आबकारी अधिनियम में उसके और इन्द्राज साक्षी के साथ लेसवा पहुंच कर उन साक्षी के समक्ष चश्मदीद साक्षी सरवर खां की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शामौका घटनास्थल बनाया जो प्रदर्श पी–15 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा उसी रोज अनुसंधान अधिकारी ने उक्त प्रकरण में ही उन साक्षी के समक्ष जैर हिरासत मुलजिम रमेश व श्रवण की धारा–27 की इत्तला अनुसार उनकी निशादेही से घटनास्थल की तस्दीक कर तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल बनाया जो प्रदर्श पी–13 है जिस पर ए से बी, सी से डी मुलजिमान, ई से एफ साक्षी इंद्राज व जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा उसी रोज ही उक्त प्रकरण में ही उसके और इन्द्राज साक्षी के समक्ष जैर हिरासत मुलजिमान विजय सिंह, हिम्मत सिंह ओर शक्ति की निशादेही से घटनास्थल की तस्दीक कर तस्दीक नक्शामौका घटनास्थल बनाया जो प्रदर्श पी–14 है जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ मुलजिमान तथा जी से एच साक्षी इन्द्राज सिंह व आई से जे उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने कथन किया कि यह कहना

सही है कि प्रदर्श पी–14 व पी–15 में समय में कांटछांट हो रखी है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–13,14,15 वाला स्थान आबादी क्षेत्र है वहां पर लोगबाग रहते हैं। यह उसे याद नहीं है कि घटनास्थल के आसपास में किन–किन लोगों के मकान है। यह उसे ध्यान नहीं है कि आईओ चैनाराम ने आस–पड़ोसियों को मौके पर बुलाया था या नहीं। यह कहना सही है कि घटनास्थल के पास में पुष्कर से गोविन्दगढ़ जाने वाली रोड़ है। यह कहना सही है कि सड़क पर लोगबाग व वाहन चालक, राहगीर आ–जा रहे थे। यह कहना सही है कि उसके सामने आईओ चैनाराम ने राहगीरों व वाहन चालक को रोककर कोई पूछताछ नहीं की थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–13,14,15 पर किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। यह उसे याद नहीं है कि आईओ चैनाराम ने संबंधित सरपंच या वार्डपंच को मौके पर बुलाया हो। उसके जानकारी नहीं है कि आईओ चैनाराम ने संबंधित सरपंच या वार्डपंच को स्वतंत्र साक्षी बनने के लिए कोई तहरीर दी हो। नक्शा मौका एक दिन बाद, दूसरे दिन बनाया गया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी–13 बनाते समय 5–7 व्यक्ति थे। उसकी जानकारी में नहीं है कि आईओ चैनाराम ने प्रदर्श पी–13, 14, 15 बनाते समय 5–7 व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराये हों। यह कहना सही है कि थाने से रवाना होते है तो रोजनामचा रपट डाली जाती है, उसकी जानकारी में नहीं है कि उस दिन वे थाने से रवाना हुए हो ऐसी कोई रपट डाली गई हो। यह कहना सही है कि उक्त रोजनामचा रपट की प्रति पत्रावली पर नहीं है। यह कहना गलत है कि वह मौके पर नहीं गया हो। यह कहना भी गलत है कि वह चैनाराम के अधीनस्थ कर्मचारी होने से झूठे बयान दे रहा है।

साक्षी पीडब्ल्यू–7 महिपाल सिंह ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 02.06.2014 को पुलिस थाना पुष्कर पर कानि. के पद पर तैनात था। उस रोज शाम के 6:00 बजे के आसपास एसएचओ पुष्कर पूजा अवाना प्रोबेशनर आईपीएस ने उनको अवगत कराया कि उसे मुखबिर खास से इत्तला मिली है कि ग्राम लेसवा में बलवीरसिंह के नोहरे में एक दुकान है तथा दुकान के पीछे बने कमरे में भारी मात्रा में देशी शराब, अंग्रेजी शराब अलग–अलग ब्राण्ड की रखी हुई है, जहां अभी एक बोलेरो गाड़ी व एक पिकअप गाड़ी खडी है, जो कि उक्त शराब के परिवहन के फिराक में खडी है। उक्त इत्तला पर एसएचओ पूजा अवाना के साथ वह, दलपतसिंह एएसआई, सरवर खान हैड कानि. छीतरमल हैड कानि., राजेन्द्र, श्रवणलाल, शिवकरण, देवकरण तथा चालक जगतसिंह व राजेन्द्रसिंह मय अनुसंधान बॉक्स के सरकारी वाहन बोलेरो मय सरकारी जीप से थाने से समय 6:15 पीएम पर रवाना होकर मुताबिक मुखबिर इत्तला 6:45 पीएम पर बलवीर सिंह के नोहरे पर पहुंचे, जहां एसएचओ पूजा अवाना ने छीतरमल हैड कानि. को दो स्वतंत्र साक्षी लाने की हिदायत देकर भेजा, जिसने कुछ समय बाद आकर बताया कि कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी के डर से साक्षी बनने को तैयार नहीं है, जिस पर एसएसएचओ ने जाब्ते में सम्मिलित दलपतसिंह एएसआई, हैड कानि. सरवर खान को साक्षी मामूर किया व मुखबिर के इत्तलानुसार बलवीर सिंह के नोहरे में एक बोलेरो सफेद रंग की, जिसके नंबर आरजे–01–यूए–9484 थे, जिसके अंदर दो आदमी बैठे थे। एक आदमी ड्राइवर सीट पर व एक खलासी साइड पर बैठा था। उसके पास में ही एक पिकअप सफेद रंग की खडी थी, जिसके नंबर आरजे–01–जीए–2631 थे, जिसमें भी एक व्यक्ति ड्राइवर सीट पर व एक व्यक्ति पीछे शराब की पेटियां पिकअप में रख रहा था व एक व्यक्ति कमरे में से पेटिया उठा–

उठाकर पिकअप में रख रहा था, जिस पर एसएचओ के निर्देशानुसार एसएचओ के साथ सबने चारों तरफ से उसे घेरा दिया और एसएचओ ने उन सबको ज्यों के त्यों खडे रहने की हिदायत दी, उसके बाद एसएचओ ने बोलेरो के ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रमेश पुत्र भंवरूराम निवासी पादूखुर्द होना बताया तथा खलासी साइड बैठे व्यक्ति ने अपना नाम श्रवण पुत्र मूलाराम निवासी लेसवा होना बताया तथा एसएचओ ने रमेश व श्रवण से बोलेरो में क्या भरा है, इस बाबत पूछा तो घबरा गए, बाद में तसल्ली देकर पूछने पर बोलेरो में देशी शराब की पेटियां होना बताया। तत्पश्चात एसएचओ ने मौतबिरान व जाब्ते के समक्ष बोलेरो में रखी शराब की गिनती करवाई तो बोलेरो 70 पेटियां रखी हुई थी, जिस पर ढोला मारू देशी शराब का लेबल लगा हुआ था। उक्त कार्टनों को खोलकर चैक किया तो प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे ढोला मारू सादा देशी शराब 180 एमएल क्षमता के थे, जो सीलबंद अवस्था में थे, जिस पर एसएचओ पूजा अवाना ने प्रत्येक कार्टन में से एक–एक पव्वा का ढक्कन खोलकर सूंघा व हम सबको सुंघाया तो सबने उक्त पव्वों में देशी शराब होना पाया, जिस पर रमेश व श्रवण से इतनी मात्रा में बोलेरो में देशी शराब रखने व परिवहन करने बाबत लाइसेंस व परमिट मांगा तो नहीं होना बताया, जिस पर उपरोक्त मुलजिम रमेश व श्रवण का उक्त कृत्य धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का पाया जाने पर उक्त बोलेरो में बरामदगी की 70 पेटी सादा देशी शराब के कार्टन जिनमें एक ही ब्राण्ड की शराब थी, प्रत्येक कार्टन में से एक–एक पव्वा शराब के वास्ते एफएसएल सैम्पल पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का ए–1 से ए–70 अंकित किया तथा शेष बची शराब को उन्हीं कार्टनों में रख दिया जाकर कार्टन को सील्ड मोहर कर मार्का बी–1 से बी–70 अंकित किया तथा बोलेरो को व उक्त 70 शराब के कार्टनों को मौके पर ही कब्जा पुलिस लिया तथा जरिये फर्द जब्त किया तथा मुलजिम रमेश व श्रवण को मौके पर ही जरिये फर्द गिरफ्तार किया व उक्त जब्तशुदा शराब, मुलजिमान, बोलेरों को छीतरलाल हैड कानि. राजेन्द्रसिंह, कानि. श्रवणराम को हिदायत देकर निगरानी हेतु एसएचओ के सुपुर्द किया। तत्पश्चात एसएचओ ने वहां पर खडी सफेद पिकअप आरजे–01–जीए–2631 चालक सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विजय सिंह पुत्र हीरालाल होना बताया तथा पिकअप में पीछे की तरफ कार्टन रखने वाले व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना हिम्मत सिंह पुत्र केसर होना बताया तथा नीचे खडे व्यक्ति, जो कि कमरे में से कार्टन उठाकर पकडा रहा था, उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शक्ति सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह होना बताया। तत्पश्चात एसएचओ ने उपरोक्त व्यक्तियों से पिकअप में भरे कार्टन में क्या सामान है, इस बाबत पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिस पर एसएचओ के निर्देशानुसार दलपतसिंह एएसआई, हैड कानि. सरवर खां के सामने एसएचओ ने पिकअप में भरे विभिन्न ब्राण्ड के कार्टनों को चैक किया व गिना तो 87 कार्टन सादा देशी शराब के, जिनमें मयखाना देशी शराब के 34 कार्टन थे। प्रत्येक कार्टनों में 48 पव्वे सादा देशी शराब के सील बंद अवस्था में थे तथा 53 कार्टन ढोला मारू देशी शराब के थे और प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे शराब के सीलबंद अवस्था में भरे हुए थे। पांच कार्टन हेवर्डस 5000 बियर के थे और प्रत्येक कार्टन में 12–12 बोतल बियर की भरी हुई सील बंद थी। एक कार्टन ड्राईजिन का था, जिसमें 12 बोतल ड्राईजिन शराब की

थी। उसके पास ही एक और कार्टन था, जो ड्राईजिन शराब का ही था। जिसमें 48 पव्वे ड्राईजिन शराब के सील बंद अवस्था में भरे हुए थे। ऑफिसर चॉईस की चार बोतल व दो कार्टन टूबॉर्ग ग्रीन बियर की भरी हुई थी और प्रत्येक कार्टन में 12–12 बोतल बियर की भरी हुई सील बंद थी। साथ ही 17 बोतल स्ट्रांग बियर की 330 एमएल की भरी हुई थी। एक कार्टन बुलेट बियर का था, जिसमें 12 बोतल बियर की भरी हुई सील बंद थी। तत्पश्चात एसएचओ पूजा अवाना, सरवर खां ने प्रत्येक ब्राण्ड में से एक–एक बोतल व पव्वे निकालकर ढक्कन खोलकर सूंघा व जाब्तें को भी दिखाया व सूंघाया तो सबने उक्त कार्टनों में देशी शराब व अंग्रजी शराब होना पाया। तत्पश्चात एसएचओ ने मुलजिम विजय सिंह, हिम्मत सिंह, शक्ति सिंह से इतनी मात्रा में अपने पास शराब रखने व लाने व ले जाने का लाइसेंस व परमिट के बारे में पूछा तो नहीं होना बताय, जिससे मुलजिमान का उक्त कृत्य धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का पाया जाने पर उक्त शराब व पिकअप को कब्जा पुलिस लेकर देशी शराब मयखाना के 84 कार्टनों में से एक–एक पव्वा एफएसएल सैम्पल पृथक–पृथक निकाल कर सील्ड मोहर मार्का सी–1 से सी–34 अंकित किया तथा शेष शराब को उन्हीं कार्टनों में रख दिया जाकर कार्टनों को सील्ड मोहर मार्का डी–1 से डी–34 अंकित किया। ढोला मारू शराब के 53 कार्टनों में से एक–एक पव्वा एफएसएल सैम्पल पृथक–पृथक निकालकर सील्ड मोहर मार्का ई–1 से ई–53 अंकित किया तथा शेष शराब को उन्हीं कार्टनों में रख दिया जाकर कार्टनों को सील्ड मोहर कर मार्का एफ–1 से एफ–53 अंकित किया। इसी प्रकार हेवर्डस 5000 बियर के 5 कार्टनों में से एक–एक बियर की बोतल एफएसएल सैम्पल पृथक–पृथक निकाल कर जी–1 से जी–5 अंकित किया तथा शेष बियर को उन्हीं कार्टनों में रख दिया जाकर कार्टनों को सील्ड मोहर कर मार्का एच–1 से एच–5 अंकित किया। ड्राईजिन के एक कार्टन में से एक बोतल एफएसएल हेतु सैम्पल पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का आई अंकित किया तथा शेष ड्राईजिन बोतल को उसी कार्टन में रख दिया जाकर कार्टन को सील्ड मोहर कर मार्क आई–1 अंकित किया। इसी प्रकार ड्राईजिन के पव्वों के कार्टनों में से एक पव्वा सैम्पल पृथक से निकाल कर सील्ड मोहर कर मार्का जे अंकित किया तथा शेष शराब को उसी कार्टन में रख दिया जाकर कार्टन को सील्ड मोहर कर मार्का जे–1 अंकित किया। ऑफिसर चॉईस की चार बोतलों में से एक बोतल एफएसएल हेतु सैम्पल पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का के अंकित किया तथा शेष शराब की तीन बोतल को सील्ड मोहर कर मार्का के–1, के–2 व के–3 अंकित किया। टूबॉर्ग ग्रीन बियर के दो कार्टनों में से एक–एक बियर की बोतल एफएसएल सैम्पल पृथक–पृथक निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का एल–1 से एल–2 अंकित किया। शेष बियर की बोतलों को उन्हीं कार्टनों में रख कर कार्टनों को सील्ड मोहर मार्का एम–1 व एम–2 अंकित किया। इसी तरह टूबॉर्ग स्ट्रांग बियर की 330 एमएल की 17 छोटी भरी हुई सीलबंद बोतलों में से एक बोतल एफएसएल हेतु सैम्पल पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का एन अंकित किया तथा शेष बची हुई 16 बोतलों को सील्ड मोहर कर मार्का एन–1 से एन–16 अंकित किया। बुलेट बियर के एक कार्टन में से बियर की एक बोतल एफएसएल हेतु सैम्पल पृथक से निकाल कर सील्ड मोहर कर मार्का ओ अंकित किया तथा शेष बची हुई बियर की बोतल को उसी कार्टन में रख दिया जाकर कार्टन को सील्ड

मोहर कर मार्का 1 अंकित किया। पिकअप गाड़ी आरजे–01–जीए–2631 व शराब के कार्टनों को जरिये फर्द जब्त किया व मौके पर ही फर्द जब्ती बनाई। कार्टनों पर मार्कर पैन से मार्का अंकित किया। मौके पर ही मुलजिम विजय सिंह, शक्ति सिंह, हिम्मत सिंह, रमेश व श्रवण को पृथक–पृथक जरिये फर्द गिरफ्तार किया। मौके की कार्यवाही पूर्ण कर मय मुलजिम मय फर्दात मय अनुसंधान बॉक्स के वापसी थाने पीसांगन पहुंचे, जहां पर एसएचओ पूजा अवाना द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट मय फर्दात मय जब्तशुदा शराब आर्टिकल मय जब्तशुदा बोलरों मय पिकअप मय गिरफ्तारशुदा मुलजिम को एसएसएचओ पीसांगन को कार्यवाही हेतु पेश की, जिस पर एसएचओ पीसांगन द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया। दौराने अनुसंधान चैनाराम चौधरी एसएचओ पीसांगन ने उसके कथनानुसार उसके बयान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया कि पुष्कर थाने में वह वर्ष 2008 से वर्ष 2014 तक कार्यरत था। यह कहना सही है कि वह पुष्कर थाने में वर्ष 2008 से वर्ष 2014 तक कार्यरत था, ऐसा कोई दस्तावेज इस पत्रावली में नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–2 पर जब्ती में समय नहीं दर्शाया हुआ है। सैम्पल की फर्द अलग से बनाई हो तो उसे याद नहीं है। पत्रावली देखकर साक्षी ने बताया कि सैम्पल की फर्द अलग से पत्रावली में नहीं है। घटना की सूचना के बारे में उसे पूजा अवाना ने बताया था। यह कहना सही है कि पूजा हवाना ने उसे थाने से रवाना होने से पहले ही बता दिया था कि कहां चलना है। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि जब्तशुदा माल नष्ट कर दिया हो। यह कहना सही है कि जब्तशुदा माल को नष्ट करने से पूर्व पुलिस थाना पीसांगन द्वारा उसे कोई सूचना नहीं दी गई हो। यह कहना सही है कि जब्तशुदा माल को नष्ट करते समय वह मौके पर नहीं था, इसलिए वह नहीं बता सकता की जब्तशुदा माल में से कितनी बोतलें भरी हुई थी और कितनी खाली थी और उसमें क्या–क्या मार्का लगा हुआ था। बोलेरो गाड़ी में रामेश्वर व श्रवण थे और पिकअप में विजय सिंह व हिम्मत सिंह थे। थाने से वे लगभग 6:15 पीएम पर रवाना हुए। सरकारी जीप का चालक कांस्टेबल राजेंद्र सिंह और बोलेरो गाड़ी का चालक जगत सिंह था। उसे याद नहीं है कि उसके सामने राजेंद्र सिंह व चालक जगत सिंह के बयान हुए हों। साक्षी ने पत्रावली देखकर बताया कि चालक राजेंद्र सिंह व जगत सिंह के बयान पत्रावली में लगे हुए नहीं है। यह कहना सही है कि चालक जगत सिंह व राजेन्द्र सिंह से किसी फर्द पर हस्ताक्षर नहीं करवाए थे। यह कहना सही है कि पुष्कर में एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय, राजकीय चिकित्सालय और राजकीय विद्यालय हैं। यह कहना सही है कि उक्त समस्त सरकारी कार्यालयों में से किसी भी कर्मचारी को लेकर पूजा अवाना साथ में लेकर पीसांगन नहीं गई थी। पुष्कर से पीसांगन वे गोविंदगढ़ होकर गए थे। पुष्कर से लेसवा लगभग 15–16 किलोमीटर दूर है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–2 व प्रदर्श पी–7 लगायत पी–12 पर किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–3 लगायत 7 व प्रदर्श पी–12 में आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार वालों को दी हो इसका इंद्राज नहीं है। पिकअप में 87 पेटियां तथा बोलेरो में 70 पेटियां थी। जमीन पर कितनी पेटियां थी उसे याद नहीं है। उसके सामने जब्तशुदा पेटियों में से कोई फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए थे। आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले पहचान संबंधी कोई दस्तावेज नहीं लिए गए थे। यह कहना सही है कि घटनास्थल एक

आबादी क्षेत्र है, वहां लोग रहते हैं। आज उसे याद नहीं है कि पूजा ने मौके पर आस–पड़ोस के लोगों को बुलाया हो। यह कहना सही है कि पूजा अवाना ने पास लोगों को साक्षी बनने के लिए लिखित में तहरीर जारी नहीं की थी। यह कहना सही है कि उसके सामने संबंधित सरपंच, वार्ड पंच को मौके पर नहीं बुलाया था। यह कहना सही है कि उसके सामने संबंधित सरपंच, वार्ड पंच को साक्षी बनाने के लिए लिखित में कोई तहरीर जारी नहीं की थी। घटनास्थल के आसपास किन–किन लोगों के मकान हैं उसे याद नहीं है। यह कहना सही है कि उसने किसी बोतल को खोलकर चखा नहीं था। जब्तशुदा कार्टन पर किसी व्यक्ति का नाम या मार्का नहीं लिखा हुआ था। उसके सामने पूजा अवाना ने बोलेरो, पिकअप के स्टेयरिंग से कोई फिंगरप्रिंट नहीं लिए थे। जब्तशुदा बोतलों के बैच नंबर वह नहीं बता सकता। घटनास्थल पर वे लगभग ढाई–तीन घंटे रुके थे। समस्त फर्दों की लिखा–पढी की कार्यवाही पूजा अवाना ने की थी। वे लेसवा कितने बजे पहुंचे उसे याद नहीं है। वे पीसांगन थाने पर कितने बजे पहुंचे याद नहीं है। यह कहना सही है कि जब्तशुदा बोतलों में से प्रत्येक बोतल में से सैंपल नहीं लिए गए थे। ये सैंपल किसी स्टॉफ वाले को संभालाये उसे याद नहीं है। जब्तशुदा माल में कुल कितनी बोतले थी, उसे याद नहीं है। यह कहना सही है कि उसके सामने पूजा अवाना ने घटनास्थल/बाडे के मालिकाना हक से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं लिए थे। यह कहना सही है कि पूजा अवाना ने धारा 47 का पर्चा बयान उसके सामने नहीं बनाया था। गाड़ियां कौन सी दिशा में खड़ी थी वह नहीं बता सकता। गाड़ियां कितनी दूर खड़ी थी वह नहीं बता सकता। कौन व्यक्ति, कौन से ब्रांड की शराब गाड़ी में भर रहा था वह नहीं बता सकता। गाड़ियों का परिवहन होते उसने नहीं देखा। नमूना निकालकर कहां रखे थे उसे पता नहीं है। जब्तशुदा बोलेरो, पिकअप के इंजन नंबर व चेसिस नंबर वह नहीं बता सकता। जब्तशुदा बोलेरो, पिकअप के मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज पूजा अवाना ने लिए हो तो उसे याद नहीं है। पत्रावली देखकर साक्षी ने बताया कि बोलोरो, पिकअप के मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज पत्रावली में नहीं है। यह कहना सही है कि उसके सामने बाडे के मालिक को मौके पर पूजा अवाना ने नहीं बुलाया था। घटना स्थल के पास में पुष्कर से गोविंदगढ़ जाने वाली सड़क है। यह कहना सही है कि उस सड़क पर वाहन चालक आ जा रहे थे। उसके सामने पूजा अवाना ने किसी राहगीर– चालक को रोककर पूछताछ की हो तो उसे याद नहीं है। उस नोहरे पर किसी व्यक्ति का नाम व मकान नंबर नहीं लिखा हो तो उसे याद नहीं है। यह कहना चाहिए कि प्रदर्श पी–13, पी–14 व पी–15 में किसी मालिक का नाम, मकान नंबर नहीं लिखा है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–2 फर्द जब्ती व प्रदर्श पी–3 लगायत पी–7 फर्द गिरफ्तारी पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। उसके सामने उस दिन पूजा अवाना ने फोटोग्राफ्स लिए हो तो उसे याद नहीं है। साक्षी ने पत्रावली देखकर बताया कि वे फोटोग्राफ पत्रावली में नहीं है। यह कहना सही है कि उस दिन रात 8 बजे नोहरे में अंधेरा था। लेसवा से वे लगभग 10 बजे पीसांगन के लिए रवाना हुए थे। उसके सामने पूजा अवाना ने लेसवा गांव में मौके पर पीसांगन पुलिस थाने वालों को नहीं बुलाया था। उसे याद नहीं है कि पीसांगन थाने कितनी देर रुके थे। यह कहना गलत है कि वह मौके पर नहीं गया हो। यह कहना गलत है कि वह पूजा अवाना के अधीनस्थ कर्मचारी होने से आज झूठें बयान दे रहा है।

साक्षी पीडब्ल्यू–8 सोहनलाल ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 02.06.2014 को हैड कानि.184 पुलिस थाना पीसांगन पर मालखाना इंचार्ज था। उस रोज एसएचओ पुष्कर आईपीएस प्रोबेशनर पूजा अवाना द्वारा प्रकरण संख्या 52/2014 धारा–19/54 राज. आबकारी अधिनियम में जब्तशुदा शराब की 70 पेटी सादा देशी शराब ढोला मारू, जिसमें प्रत्येक पेटी में 47–47 पव्वे थे, जिनमें मार्का बी–1 से बी–70 अंकित थे तथा सैम्पल 70 पव्वे सादा देशी शराब ढोला मारू सील्डसुदा जिसपर मार्का ए–1 से ए–70 अंकित थे। 34 कार्टन सादा देशी शराब महखाना प्रत्येक कार्टन में 47–47 पव्वे थे जिनपर मार्का डी–1 से डी–34 अंकित थे। 34 पव्वे सैम्पल सील्डसुदा सादा देशी शराब महखाना जिस पर मार्का सी– 1 से सी–34 अंकित थे। 53 कार्टन सादा देशी शराब ढोला मारू के थे, जिसके प्रत्येक पेटी में 47–47 पव्वे भरे हुए थे जो मार्का एफ–1 से एफ–53 अंकित थे व सैम्पल पव्वा सादा देशी शराब मार्का ई–1 से ई–53 सील्डसुदा थे। 05 कार्टन हेवर्डस बियर 5000 के थे, जिनमें प्रत्येक में 11–11 बियर की बोतलें भरी हुई थी जिनपर सील्ड मोहर कर मार्का एच–1 से एच–5 अंकित था। 5 हेवर्डस 5000 बियर की बोतले सैम्पल सील्डशुदा जिनपर जी–1 से जी–5 अकित था। एक कार्टन ड्राईजिन अंग्रेजी शराब जिसमें 11 बोतल शराब की भरी हुई जिस पर मार्का आई–1 अंकित था। एक बोतल नमूना सैम्पल ड्राइजीन अंग्रेजी शराब की सीलबंद जिस पर मार्का आई अंकित था। एक कार्टन डाईजिन अंग्रजी शराब के पव्वों का जिसमें 47 पव्वे शराब के भरे हुए थे, जिन पर मार्का जी–1 अंकित था। एक पव्वा सैम्पल डाईजिन अंग्रेजी शराब का जिस पर मार्का जे–1 अंकित था। तीन बोतल ऑफिसर चॉइस अंग्रेजी शराब की भरी हुई थी जिन पर मार्का के–1, के–2, के–3 अंकित था। एक बोतल सैम्पल ऑफिसर चॉइस की सील्डसुदा जिस पर मार्का के अंकित था। दो कार्टन टयूबॉर्ग के थे जिन प्रत्येक में 11–11 बोतले शराब की भरी हुई थी, जिन पर मार्का एम–1 से एम–2 अंकित था। दो बोतल सैम्पल टयूबॉर्ग जिन सीलबन्द मार्का एल–1, एल–2 अंकित थे। 16 बोतल स्ट्रांग बियर 330 एमएल क्षमता की बियर की भरी हुई मार्का एन–1 से एन–16 अंकित था। एक बोतल स्ट्रांग बियर सील्डसुदा सैम्पल मार्का एन था। एक कार्टन जिसमें 11 बुलेट बियर की बोतले भरी हुई, सीलबंद मार्का ओ–1 था। एक बोतल बुलेट बियर सैम्पल मार्का ओ सीलबंद अवस्था में उसके सामने पेश की जिसपर उसके द्वारा जमा मालखाना कर मालखाना रजिस्टर की मद संख्या 19/2014 पर इंद्राज किया। साथ ही एक पिकअप लोडिंग जिसके नंबर आरजे–01–जीए–2631 व एक सफेद बोलेरो गाड़ी जिसके नंबर आरजे–21–यूए–8494 थी, को भी पेश किया जिस पर उसके द्वारा थाना परिसर में सुरक्षार्थ खड़ी की जाकर मालखाना रजिस्टर की मद संख्या 19/2014 पर इंद्राज किया। उसके द्वारा दिनांक 24.06.2014 को सैम्पल वाहक रेखराज को मालखाना में जमा सैम्पल ए–1 से ए–70 तथा सी–1 से सी–34, ई–1 से ई–53, जी–1 से जी–5, आई, जे, के एल–1, एल–2, एन, ओ को एफएसएल में जमा करवाने बाबत सीलबंद अवस्था में दिए, जिसने एफएसएल में जमा करवाकर वापसी में एफएसएल रजिस्टर रसीद दिनांक 24.06.2014 उसे दी जो उसने आई.ओ. को सुपुर्द की। दिनांक 22.08.2013 को जिला आबकारी के आदेश से पिकअप आरजे–01–जीए–2631 हीरालाल को सुपुर्द की तथा बोलेरो आरजे–21–यूए–8494 को

जिला आबकारी के आदेश से रामेश्वर को सुपुर्द की। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–16 है जिस पर ए से बी जमा करवाने का इंद्राज एवं सी से डी सैम्पल लेखराज को देने एवं नमूना प्राप्ति का इंद्राज, ई से एफ उसके हस्ताक्षर, जी से एच सैम्पल वाहक लेखराज के हस्ताक्षर है, आई से जे व के से एल पिकअप व बोलेरो का रिलीज का इंद्राज, एम–से एन और ओ से पी–सुपुर्दकार के हस्ताक्षर है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–16ए है। नमूना प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–10 है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि उस दिन वह मालखाना इंचार्ज हो ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है। अजखुद कहा कि मालखाना इंचार्ज होने की रपट रोजनामचा में अंकित की गई है। यह कहना सही है कि माल बंद अवस्था में था, इसलिए वह नहीं बता सकता कि उसमें क्या था। अजखुद कहा कि उसमें शराब थी। यह कहना सही हे कि प्रदर्श पी–16ए में शराब की बोतल किस बैच की थी, उसके बैच नंबर नहीं लिखे हुए। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–16ए में निर्माता कंपनी का नाम अंकित नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–16ए में पिकअप व बोलेरो गाड़ी के इंजन नंबर व चेसिस नंबर नहीं लिखे हुए हैं। यह कहना सही है कि दौराने अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी ने मालखाना से माल नहीं निकाला था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–16ए में 17 नंबर संख्या में बोतलों की संख्या में काटछांट हो रखी है। यह कहना गलत है कि वह अनुसंधान अधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी होने के कारण से आज न्यायालय में झूठा बयान दे रहा है।

साक्षी पीडब्ल्यू–9 विजेन्द्र सिंह ने सशपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 05.06.2014 को पुलिस थाना पीसांगन में कानि. के पद पर तैनात था। उस रोज थानाधिकारी चैनाराम ने मुकदमा नंबर 52/2014 धारा–19/54 राज. आबकारी अधिनियम में शराब परिवहन में उपयोग ली गई बोलेरो आरजे–21–यूए–9484, जो कि उक्त प्रकरण में जब्त थी। उक्त बोलेरो की आरसी जैर हिरासत मुलजिम रमेश के भाई के लडके सुनिल ने उपस्थित थाना होकर उसके और अश्विनी साक्षी के समक्ष पेश की जिसको जरिये फर्द जब्त की गई जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी–17 जिस पर ए से बी पेशकर्ता सुनिल एवं सी से डी उसके हस्ताक्षर है। आर सी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–18 है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया कि यह कहना सही है कि आरसी थाने पर जब्त की गई थी। यह कहना सही है कि वह उस दिन थाने पर उपस्थित था इस बाबत कोई रपट या कोई दस्तावेज इस पत्रावली में पेश नहीं हैं। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–17 उसके सामने नहीं बनाई हो और एसएचओ के कहने पर उसने हस्ताक्षर किए हो। यह कहना गलत है कि गिरफतारशुदा मुलजिम रमेश प्रदर्श पी–17 बनाते समय नहीं हो। यह कहना सही है कि कोई भी फर्द बनाते है तब फर्द बनाते समय जो–जो उपस्थित होते हैं उनके फर्द पर हस्ताक्षर होते हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–17 पर रमेश के हस्ताक्षर नहीं है।

साक्षी पीडब्ल्यू–10 अश्विनी सिंह ने सशपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 05.06.2014 को पुलिस थाना पीसांगन में कानि. के पद पर तैनात था। उस रोज थानाधिकारी चैनाराम ने मुकदमा नंबर 52/2014 धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में शराब परिवहन में उपयोग ली गई बोलेरो आरजे–21–यूए–9484 जो कि उक्त

प्रकरण में जब्त थी। उक्त बोलेरो की आरसी जैर हिरासत मुलजिम रमेश के भाई के लडके सुनिल ने उपस्थित थाना होकर उसके और साक्षीान के समक्ष पेश की जिसे जरिये फर्द जब्त की गई जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी–17 जिस पर ए से बी पेशकर्ता सुनिल एवं सी से डी उसके हस्ताक्षर है। आर सी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–18 है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने कथन किया कि यह कहना सही है कि आरसी थाने पर जब्त की गई थी। यह कहना सही है कि वह उस दिन थाने पर उपस्थित था इस बाबत कोई रपट या कोई दस्तावेज इस पत्रावली में पेश नहीं हैं। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–17 उसके सामने नहीं बनाई हो और एसएचओ के कहने पर उसने हस्ताक्षर किए हो। यह कहना गलत है कि गिरफतारशुदा मुलजिम रमेश प्रदर्श पी–17 बनाते समय नहीं हो। यह कहना सही है कि कोई भी फर्द बनाते है तब फर्द बनाते समय जो–जो उपस्थित होते हैं उनके फर्द पर हस्ताक्षर होते हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–17 पर रमेश के हस्ताक्षर नहीं है।

साक्षी पीडब्ल्यू–11 हरिराम ने सशपथ पर कथन किया कि पुलिस थाना पीसांगन ने 2014 में शराब के मामले में उसके और धरमीराम के सामने विजय सिंह की पिकअप नंबर आरजे–01–जीए–2631 की असल आरसी व पॉवर अटोर्नी पेश की थी। उक्त पिकअप हीरालाल के नाम से रजिस्टर्ड थी लेकिन उसकी देखरेख विजय सिंह करता था। हीरालाल का उस पिकअप से कोई लेनादेना नहीं था तथा दिनांक 02.06.2014 को भी विजय सिंह ही पिकअप चला रहा था इस बाबत पुलिस ने उसके बयान भी लिए थे। फर्द जब्ती कागजात प्रदर्श पी–19 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, ई से एफ पेशकर्ता विजय सिंह के हस्ताक्षर है, पेश की गई पॉवर ऑफ अटोर्नी प्रदर्श पी–20 है, जो कि 20.05.2014 को हीरालाल ने विजयसिंह के पक्ष में उसके और धर्माराम के सामने की थी, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। आरसी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–21 है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–19 पर उसने पुलिस वालों के कहने पर हस्ताक्षर किए थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–19 बनाई तब वे तो विजय सिंह के साथ ही थाने पर गए थे।

साक्षी पीडब्ल्यू–12 धरमाराम ने शपथ पर कथन किया कि पुलिस थाना पीसांगन ने 2014 में शराब के मामले में उसके और हरिराम के सामने विजय सिंह की पिकअप नंबर आरजे–01–जीए–2631 की असल आरसी व पॉवर अटोर्नी पेश की थी। उक्त पिकअप हीरालाल के नाम से रजिस्टर्ड थी लेकिन उसकी देखरेख विजय सिंह करता था। हीरालाल का उस पिकअप से कोई लेनादेना नहीं था तथा दिनांक 02.06.2014 को भी विजय सिंह ही पिकअप चला रहा था, इस बाबत पुलिस ने उसके बयान भी लिए थे। फर्द जब्ती कागजात प्रदर्श पी–19 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है, ई से एफ पेशकर्ता विजय सिंह के हस्ताक्षर है, पेश की गई पॉवर ऑफ अटोर्नी प्रदर्श पी–20 है, जो कि 20.05.2014 को हीरालाल ने विजयसिंह के पक्ष में उसके और हरिराम के सामने की थी, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। आरसी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–21 है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने कथन किया कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–19 पर उसने पुलिस वालों के कहने पर हस्ताक्षर किए थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–19 बनाई तब

उन तो विजय सिंह के साथ ही थाने पर गए थे।

साक्षी पीडब्ल्यू–13 भागचंद टाक ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 30.07.2014 को पुलिस थाना पीसांगन पर थानाधिकारी के पद पर तैनात था। पूर्व अधिकारी चैनाराम एसआई ने मुकदमा नंबर 52/2014 धारा–19/54, 54क आबकारी अधिनियम में अनुसंधान कर मुलजिम रमेश उर्फ रामेश्वर, विजय सिंह के विरूद्व धारा–19/54, 54क आबकारी अधिनियम व मुलजिम शक्ति सिंह, श्रवण, व हिम्मत सिंह तथा राजेन्द्र उर्फ राजू के विरूद्व धारा–19/54 में अपराध प्रमाणित मान, चालान हेतु पत्रावली उसे प्राप्त हुई जिस पर उसके द्वारा बाद अवलोकन अनुसंधान पत्रावली उपरोक्त मुलजिमान के विरूद्व उपरोक्त धाराओं में ही चार्जशीट किताकर चालान न्यायालय में पेश किया, चार्जशीट के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्गण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया कि यह कहना सही है कि उसने इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का कोई अनुसंधान नहीं किया।

साक्षी पीडब्ल्यू–14 बलवीर सिंह ने शपथ पर कथन किया कि वह ग्राम लेसवा का रहने वाला है। लेसवा में उसका मकान है जिसमें एक कमरा, एक शौचालय व एक स्नानघर है, चारो तरफ चारदीवारी हो रखी है। दिनांक 10.04.2014 को उसने अपने मालिकाना हक की रिहायशी दुकान व परिसर को निवासी ढीमड़ा बेरा ग्राम भांवता के हिम्मत सिंह पुत्र केसर सिंह राजपूत को 2000 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से किराये पर दी थी। उसके पश्चात उस मकान में हिम्मत सिंह क्या करता था उसे जानकारी नहीं है क्योंकि उसने उसे किराये पर दे रखी थी। इस बाबत असल किरायानामा उसने पुलिस को दिया था जो प्रदर्श पी–22 है जिस पर ए से बी बतौर मालिक उसके हस्ताक्षर है तथा सी से डी हिम्म्त सिंह के हस्ताक्षर, ई से एफ साक्षी हरिराम व जी से एच धर्माराम के हस्ताक्षर है जिसने निष्पादन के समय उसके सामने हस्ताक्षर किए थे। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया कि यह कहना सही है कि जो संपत्ति वह किराये देना बता रहा है उस संपत्ति पर उसका कब्जा या मालिकाना हक हो ऐसा कोई दस्तावेज उसने पुलिस को नहीं दिया था।

साक्षी पीडब्ल्यू–15 दलपत सिंह ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 02.06.2014 को पुलिस थाना पुष्कर पर एएसआई के पद पर तैनात था। उस रोज शाम के 6 बजे के आसपास थानाधिकारी पूजा अवाना आईपीएस प्रोबेशनर ने उनको अवगत कराया कि उसे मुखबिर खास से इत्तला मिली है कि लेसवा ग्राम में बलबीर सिंह के नोहरे में एक दुकान है तथा दुकान के पीछे बने कमरे में भारी मात्रा में देशी शराब व अंग्रेजी शराब अलग–अलग ब्राण्ड की रखी हुई है, जहां अभी भी एक बोलेरो गाड़ी व एक पिकअप खड़ी है, जो उक्त शराब के परिवहन की फिराक में खड़ी है, उक्त इत्तला पर एसएचओ पूजा अवाना के साथ वह, सरवर खां एचसी, छीतरलाल एचसी, राजेन्द्र कानि., श्रवणराम कानि., देवकरण कानि., शिवकरण कानि., महिपाल कानि., मय चालक जगत सिंह के साथ मय अनुसंधान बॉक्स सरकारी वाहन बोलेरो व सरकारी जीप से थाने से 6:15 पीएम पर रवाना होकर मुताबिक मुखबिर इत्तला 6:45 पीएम पर बलवीर सिंह के नोहरे पर पहुंचे, जहाँ एसएचओ पूजा अवाना ने छीतरलाल कानि.को दो स्वतंत्र साक्षी लाने की हिदायत देकर भेजा, जिसने कुछ समय बाद आकर बताया कि कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी के डर से साक्षी बनने को तैयार नहीं है, जिस पर एसएचओ ने

जाब्ते में सम्मिलित उसे व हैड कानि. सरवर खां को साक्षी मामूर किया तथा मुखबिर की इत्तला अनुसार बलवीर सिंह के नोहरे में एक बोलेरो सफेद रंग की, जिसके नंबर आरजे–21–यूए–9484 थे, जिसके अन्दर दो आदमी बैठे थे, एक ड्राईवर सीट पर व एक खलासी साईड मे बैठा था जिसके पास में ही एक पिकअप सफेद रंग की खड़ी थी, जिसके नंबर आरजे–01–जीए–2631 थे, जिसमें भी एक व्यक्ति ड्राईवर सीट पर व एक व्यक्ति पीछे शराब की पेटियां पिकअप में रख रहा था व एक व्यक्ति कमरे में से पेटियां उठा–उठा कर पिकअप में चढ़वा रहा था जिस पर एसएचओ के निर्देशानुसार एसएचओ के साथ उन सब ने चारो तरफ से उसे घेरा दिया और एसएचओ ने उन व्यक्तियों को ज्यों के त्यों खड़े रहने की हिदायत दी। तत्पश्चात एसएचओ ने बोलेरो के ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रमेश पुत्र भंवरू राम निवासी पादूखुर्द होना बताया तथा खलासी साईड में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम श्रवण पुत्र मूलाराम निवासी लेसवा होना बताया तथा एसएचओ ने रमेश व श्रवण से बोलेरो में क्या भरा है, इस बाबत पूछा तो घबरा गए। तत्पश्चात तसल्ली देकर पूछने पर बोलेरो में देशी शराब की पेटियां भरी होना बताया। तत्पश्चात एसएचओ ने साक्षी व जाब्ते के समक्ष बोलेरो में रखी शराब की पेटियों की गिनती करवाई तो बोलेरो में 70 पेटियां रखी हुई थी, जिस पर ढोला मारू शराब का लेबल लगा हुआ था। उक्त कार्टनों को खोलकर चैक किया तो प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे ढोला मारू सादा देशी शराब 180 एमएल क्षमता के भरे हुए सीलबंद अवस्था में थे। पूजा अवाना ने प्रत्येक कार्टन में से एक–एक पव्वा का ढक्कन खोलकर सूंघा व उन सब को सुंघाया तो उन सब ने देशी शराब भरा होना पाया, जिस पर रमेश व श्रवण से इतनी मात्रा में शराब बोलेरो में रखने व परिवहन करने बाबत लाइसेंस व परमिट मांगा तो नहीं होना बताया, जिस पर उपरोक्त मुलजिम रमेश व श्रवण का उक्त कृत्य धारा–19/54 आबकारी अधिनियम का पाया जाने पर उक्त बोलेरो में बरामदशुदा 70 पेटी देशी शराब के कार्टन, जिनमें एक ही ब्रान्ड की शराब थी, एसएचओ ने प्रत्येक कार्टन में से एक–एक पव्वा वास्ते एफएसएल सैम्पल पृथक से निकाल कर सील्ड मोहर कर मार्क ए–1 से ए–70 अंकित किया तथा शेष बची शराब को उन्हीं कार्टनों में रहना दिया जाकर कार्टनों को सील्ड मोहर कर मार्का बी–1 से बी–70 अंकित किया तथा बोलेरो को व उक्त 70 शराब के कार्टनों को मौके पर ही कब्जा पुलिस लिया तथा जरिये फर्द जब्त किया तथा मुलजिम रमेश व श्रवण को मौके पर ही जरिये फर्द गिरफ्तार किया तथा जब्तशुदा शराब बोलेरो व मुलजिमान को छीतरलाल एचसी, कानि. राजेन्द्र श्रवणराम को हिदायत देकर निगरानी हेतु एसएचओ ने सुपुर्द किया। तत्पश्चात एसएचओ ने वहां मौके पर खड़ी सफेद पिकअप नंबर आरजे–01–जीए–2631 में चालक सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विजय सिंह पुत्र हीरालाल निवासी डूमाडा होना बताया तथा पिकअप में पीछे की तरफ कार्टन रखने वाले व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हिम्मत सिंह पुत्र केसर सिंह निवासी भांवता होना बताया तथा नीचे खड़े व्यक्ति जो कि कमरे में से कार्टन पकड़ा रहा था उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शक्ति सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी जुगपुरा पीएस थांवला होना बताया। तत्पश्चात एसएचओ ने उक्त व्यक्तियों से पिकअप में भरे कार्टन में क्या सामान है, इस बाबत पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर एसएचओ के निर्देशानुसार उसके व हैड कानि. सरवर खां के सामने

एसएचओ ने पिकअप में भरे विभिन्न ब्रान्ड के कार्टनों को चैक किया और गिना तो पिकअप में 87 कार्टन सादा देशी शराब के, जिनमें महखाना देशी शराब के 34 कार्टन थे। प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे देशी शराब के भरे हुए सीलबंद अवस्था में थे तथा 53 कार्टन ढोला मारू देशी शराब के, थे, जिनमें भी प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे शराब के भरे हुए सीलबंद अवस्था मे थे, 5 कार्टन हेवर्डस 5000 बियर के थे, जिनमें प्रत्येक कार्टन में 12–12 बोतल बियर भरी हुई सीलबंद थी। एक कार्टन ड्राईजिन का था, जिसमें 12 बोतल ड्राईजिन शराब हुई थी। उसके पास ही एक और कार्टन था जो भी ड्राईजिन शराब का ही था, जिसमें 48 पव्वें ड्राईजिन शराब की भरे हुए सीलबंद अवस्था में थे। ऑफिसर्स चॉइस की 4 बोतल भरी हुई सीलबंद अवस्था में थी व 2 कार्टन टूबॉर्ग ग्रीन बियर के भरे हुए थे, जिनमें प्रत्येक कार्टन में 12–12 बोतल बियर की भरी हुई सीलबंद थी, 17 बोतल स्ट्रांग बियर की 330 एमएल की भरी हुई थी। 1 कार्टन बुलेट बियर का था, जिसमें 12 बोतल बियर की भरी हुई, सीलबंद थी। तत्पश्चात सरवर खां एचसी और उसने प्रत्येक ब्राण्ड में से एक–एक बोतल व पव्वा निकाल कर ढक्कन खोलकर सूंघा व उनको व जाब्ते को भी दिखाया, सुंघाया तो उन सब ने उक्त कार्टनों में देशी शराब व अंग्रेजी शराब होना पाया। तत्पश्चात एसएचओ ने मुलजिम विजय सिंह, हिम्मत सिंह व शक्ति सिंह से इतनी मात्रा में अपने पास शराब रखने लाने व ले जाने का लाईसेंस व परमिट के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया, जिससे मुलजिमान का उक्त कृत्य धारा–19/54 राज आबकारी अधिनियम का पाया जाने पर उक्त शराब व पिकअप को कब्जा पुलिस लेकर देशी शराब मयखाना के 34 कार्टनों में से एक–एक पव्वा एफएसएल सैम्पल पृथक–पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का सी–1 से सी–34 अंकित किया तथा शेष शराब को उन्हीं कार्टनों में रहना दिया जाकर कार्टनों को सील्ड मोहर कर मार्का डी 1 से डी–34 अंकित किया। ढोलामारू शराब के 53 कार्टनों में से एक–एक पव्वा एफएसएल सैम्पल पृथक–पृथक निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का ई–1 से ई–53 अंकित किया तथा शेष शराब को उन्हीं कार्टनों में रहना दिया जाकर कार्टनों को सील्ड मोहर कर मार्का एफ–1 से एफ–53 अंकित किया। इसी प्रकार हेवर्डस 5000 बियर के 5 कार्टनों में से एक–एक बियर की बोतल एफएसएल सैम्पल हेतु पृथक–पृथक निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का जी–1 से जी–5 अंकित किया तथा शेष बियर को उन्हीं कार्टनों में रहना दिया जाकर कार्टनों को सील्ड मोहर कर मार्का एच–1 से एच–5 अंकित किया। ड्राईजिन के एक कार्टन में से एक बोतल एफएसएल हेतु सैम्पल पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का आई अंकित किया तथा शेष ड्राईजिन बोतल को उसी कार्टन में रहना दिया जाकर कार्टन को सील्ड मोहर कर मार्का आई–1 अंकित किया। इसी प्रकार ड्राईजिन के पव्वों के कार्टन मे से एक पव्वा एफएसएल सैम्पल पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का जे अंकित किया तथा शेष शराब को उसी कार्टन में रहना दिया जाकर कार्टन को सील्ड मोहर कर मार्का जे–1 अंकित किया। ऑफिसर चॉइस की 4 बोतलों में से 1 बोतल एफएसएल सैम्पल पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का के अंकित किया तथा शेष शराब की तीन बोतलों को सील्ड मोहर कर मार्का के–1, के–2, के–3 अंकित किया। टूबॉर्ग ग्रीन बियर के 2 कार्टनों में से एक–एक बियर की बोतल एफएसएल सैम्पल पृथक–पृथक निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का एल–1 से एल–2 अंकित किया तथा

शेष बियर की बोतलों को उन्हीं कार्टनों में रहना दिया जाकर कार्टनों को सील्ड मोहर कर मार्का एम–1 व एम–2 अंकित किया। इसी तरह टूबॉर्ग स्ट्रांग बियर 330 एमएल की 17 छोटी भरी हुई सीलबंद बोतलों में से भी एक बोतल एफएसएल हेतु सैम्पल पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का एन अंकित किया तथा शेष बची 16 छोटी बोतलों को सील्ड मोहर कर मार्का एन–1 से एन–16 अंकित किया। बुलेट बियर के एक कार्टन में से बियर की एक बोतल एफएसएल हेतु सैम्पल पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का ओ अंकित किया तथा शेष बची बियर की बोतल को उसी कार्टन में रहना दिया जाकर कार्टन को सील्ड मोहर कर मार्का ओ 1 अंकित किया। पिकअप गाड़ी आरजे–01–जीए–2631 को व शराब के कार्टनों को जरिये फर्द जब्त किया। मौके पर ही फर्द जब्ती बनाई, कार्टनों पर मार्कर पेन से मार्का अंकित किया फर्द जब्ती प्रदर्श पी–2 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा ई से एफ मुलजिम श्रवण, जी से एच मुलजिम शक्ति सिंह, आई से जे मुलजिम हिम्मत सिंह, के से एल मुलजिम विजय सिंह व एम–से एन मुलजिम रमेश के हस्ताक्षर है जिन्होने उसके सामने फर्द पर हस्ताक्षर किए थे तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। मौके पर ही मुलजिम विजय सिंह, शक्ति सिंह, हिम्मत सिंह, रमेश व श्रवण को उन साक्षी के समक्ष पृथक–पृथक जरिये फर्द गिरफ्तार किया। मुलजिम रमेश की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–3 है जिस पर सी से डी मुलजिम रमेश व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है, मुलजिम श्रवण की गिरफ्तारी प्रदर्श पी–4 है जिस पर सी से डी मुलजिम श्रवण व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है, मुलजिम विजय सिंह की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–5 है जिस पर भी सी से डी मुलजिम व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है, मुलजिम हिम्मत सिंह की गिरफ्तारी प्रदर्श पी–6 है जिस पर सी से डी मुलजिम हिम्मत सिंह व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है, मुलजिम शक्ति सिंह की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–7 है जिस पर भी सी से डी मुलजिम शक्ति सिंह व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। मौके की कार्यवाही पूर्ण कर मय माल, मय मुलजिम, मय फर्दात, मय अनुसंधान बॉक्स के वापसी थाने पीसांगन पर पहुंचे, जहाँ एसएचओ पूजा अवाना द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट मय फर्दात, मय जब्तशुदा शराब आर्टिकल मय जब्तशुदा बोलेरो, मय पिकअप मय गिरफ्तारशुदा मुलजिमान को एसएचओ पीसांगन को सुपुर्द कर एसएचओ द्वारा लिखित रिपोर्ट पेश की, जिस पर एसएचओ पीसांगन द्वारा प्रकरण दर्ज किया। दौराने अनुसंधान एसएचओ पीसांगन ने उसके कथनानुसार उसके बयान लेखबद्व कर शामिल पत्रावली किए। उनकी थाने से रवानगी की रपट प्रदर्श पी–23 है जिस पर ए से बी प्रमाणित कर उसके हस्ताक्षर है। मुखबिर की इत्तला तथा सरकारी जीप व बोलेरो की रवानगी व मोहम्मद निसार को थाना जिम्मे की गई। रपट प्रदर्श पी–24 है जिस पर ए से बी विजय सिंह के हस्ताक्षर है जिनके साथ काम करने से उनके हस्ताक्षर वह पहचानता है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि वह पुष्कर थाने पर 2012 से 2014 तक पदस्थापित रहा था, वह पुष्कर थाने पर पदस्थापित रहा ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। घटना की रिपोर्ट पीसांगन थाने पर लिखी थी। रिपोर्ट किसने लिखी थी उसे पता नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–1 में बोलेरो के रजिस्ट्रेशन नम्बर में कांटछांट हो रखी है। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–2 में भी बोलेरो गाड़ी के नम्बर में कांटछांट हो रखी है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–2 के प्रथम पेज पर समय का अंकन नहीं

है, अजखुदकहा की लास्ट पेज पर अंकित है। पूजा अवाना ने इस प्रकरण में कार्यवाही करने हेतु एसपी से लिखित में आदेश लिया या नहीं व आदेश एसएचओ ने शामिल पत्रावली किया या नहीं किया, वह पत्रावली देखकर नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि फर्द नमूना सील की अलग से फर्द बनाई हो, वो पत्रावली पर नहीं है। यह कहना सही है कि फर्द नमूना सील नहीं बनाई गई थी, इसलिए पत्रावली पर नहीं है। इस घटना के बारे में उसे एसएचओ पूजा अवाना ने बताया था। यह कहना सही है कि पूजा अवाना ने उन्हे थाने से रवाना होते समय यह बता दिया था कि लेसवा चलकर कार्यवाही करनी है। इस शराब को नष्ट कर दिया हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। यह कहना सही है कि शराब को नष्ट करते समय उसे मौके पर नहीं बुलाया था इसलिए वह नहीं बता सकता कि नष्ट करते समय कितनी बोतले भरी हुई थी व कितनी खाली थी। यह कहना सही है कि वह शराब नष्ट करने के समय मौके पर नहीं था इसलिए वह नहीं बता सकता कि शराब को नष्ट करते समय क्या क्या मार्क डाले गए थे। वे थाने से शाम को 6 बजे रवाना हुए थे, वे थाने से सरकारी गाड़ी व एक बोलेरो गाड़ी से गए। थे। उसे पता नहीं है कि पूजा अवाना ने राजकीय चिकित्सालय पुष्कर से किसी कर्मचारी को साथ लिया था या नहीं। पुष्कर से लेसवा कितना किलोमीटर दूर है उसे ध्यान नहीं है। लेसवा पहुंचने में उन्हे 15 मिनट लगे थे। पुष्कर से लेसवा जाने के लिए कितने रास्ते हैं उसकी जानकारी में नहीं है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पूजा अवाना ने पीसांगन थाने पर सूचना दी या नहीं दी उसके ध्यान में नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–2 से लगायत पी–7 पर किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि आरोपीगण को गिरफ्तार करने से पूर्व उनके परिवारजनो को सूचना देने का इन्द्राज प्रदर्श पी–3 लगायत पी–7 पर नहीं है। आरोपीगण ने उस दिन किस कलर के कपड़े पहने थे उसे याद नहीं है, अजखुदकहा फर्द में लिखा हुआ है। बोलेरो गाड़ी में 2 आदमी बैठे थे व पिकअप गाड़ी में 3 आदमी थे अजखदुकहा 1 बैठा था व 2 जने भर रहे थे। पिकअप गाड़ी में शराब की कितनी पेटियां थी आज उसे याद नहीं है, नीचे जमीन पर कितनी पेटियां पड़ी थी उसे आज याद नहीं है। बोलेरो गाड़ी में 48 पेटियां ढोला मारू की थी, उस बोलेरो गाड़ी के नीचे शराब की पेटियां पड़ी हो तो उसे ध्यान नहीं दिया था। जब्तशुदा पेटियों पर किसी व्यक्ति का नाम व मार्का लगा हुआ हो तो उसे ध्यान नहीं है, जब्तशुदा शराब किस कम्पनी से निर्मित थी उसे ध्यान नहीं है। पूजा अवाना ने जब्तशुदा शराब की पेटियों से फिंगर प्रिन्ट लिए हो या नहीं लिए हो उसकी जानकारी में नहीं है। यह कहना सही है कि उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार करने से पहले उनसे पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं लिए गए। थे। यह कहना सही है कि घटनास्थल आबादी क्षेत्र है आसपास में मकान बने हुए हैं। हैड कानि. छीतरमल को साक्षी लाने के लिए भेजा था लेकिन कोई साक्षी बनने को तैयार नहीं हुआ। संबंधित सरपंच या वार्डपंच को मौके पर नहीं बुलाया था। उसकी जानकारी में नहीं है कि संबंधित सरपंच या वार्डपंच को साक्षी बनने के लिए लिखित में तहरीरी जारी की थी या नहीं। लेसवा गांव में सरकारी अस्पताल हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। सभी बोतलों व पव्वों को उसे, सरवर खां व सभी स्टॉफ वालों को नहीं चखाया था। वे वहां पर 3 घण्टे रूके थे। समस्त फर्दो की लिखा–पढी की कार्यवाही किसने की उसे ध्यान नहीं है। लेसवा से वे सवा नौ बजे रवाना हुए थे। यह कहना सही है कि पूजा अवाना ने घटनास्थल किसके मालिकाना

हक व कब्जे का है, ऐसा कोई दस्तावेज लिया हो तो उसे ध्यान नहीं है, साक्षी ने पत्रावली देखकर बताया कि पत्रावली पर सलंग्न नहीं है। यह कहना सही है कि किसी मकान की तलाशी लेने से पहले धारा–47 का वारण्ट बनाया जाता है। साक्षी ने पत्रावली देखकर बताया कि धारा–47 का सर्च वारण्ट पत्रावली पर नहीं है। जब्तशुदा माल में कितनी बोतले व कितने पव्वे थे, लम्बा समय हो जाने के कारण उसे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि उसके सामने प्रत्येक बोतल व प्रत्येक पव्वे से सैम्पल नहीं लिया गया था। घटनास्थल पर गाड़ियां कौन–कौन सी दिशा में खड़ी थी, आज उसे याद नहीं है। दोनों गाड़ियों के बीच 7 मीटर की दूरी थी। वह नहीं बता सकता कि कौनसा व्यक्ति कौनसे ब्राण्ड की शराब गाड़ी में चढ़ा रहा था। उसने दोनों गाड़ियों को परिवहन करते हुए नहीं देखा था। यह कहना सही है कि उसने किसी व्यक्ति को शराब खरीदते व बेचते हुए नहीं देखा था। यह कहना सही है कि उसके सामने बोलेरो व पिकअप गाड़ी की स्टीयरिंग से केाई फिंगर प्रिन्ट नहीं लिए गए। थे। जब्तशुदा शराब के बैच नम्बर उसे याद नहीं है। जब्तशुदा कार्टनों पर सब पर बैच नम्बर अलग–अलग थे। बोलेरो गाड़ी में रमेश ड्राईवर था व पिकअप में विजय सिंह ड्राईवर था। सैम्पल को मौके पर उनके स्टॉफ में से किसको संभलाया था उसे पता नहीं है। बोलेरो व पिकअप गाड़ी के इंजन नम्बर व चेसिस नम्बर वह नहीं बता सकता। बोलेरो व पिकअप गाड़ी के इंजन नम्बर व चेसिस नम्बर ट्रेस किए हो तो उसे आज याद नहीं है। दोनों गाड़ियों में से कागजात जब्त किए थे, आरसी, इंश्योरेंस व लाईसेंस जब्त किए थे। उसके सामने नोहरे के मालिक को मौके पर बुलाया हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। यह कहना सही है कि घटनास्थल के पास पीसांगन से पुष्कर जाने वाली सड़क है, उस सड़क पर राहगीर व वाहन चालक निकले हो तो उसने ध्यान नहीं दिया। यह उसे जानकारी नहीं है कि पूजा अवाना ने किसी राहगीर या वाहन चालक को रोककर इस संबंध में पूछताछ की हो। यह कहना सही है कि बाड़ा/नोहरा खुला था। अजखुदकहा उपर से खुला था, चारदीवारी थी। यह कहना गलत है कि उस बाड़े में कोई भी व्यक्ति आ–जा सकता हो। वे उस बाड़े में गए, तब बाड़े का गेट खुला था। उसकी जानकारी में नहीं है कि बाड़े के मैनगेट व कमरे पर किसी व्यक्ति का नाम व मकान नम्बर लिखे हो। पीसांगन थाने पर उन लगभग दो–ढाई घण्टे रूके थे। पीसांगन थाने वालो को मौके पर नहीं बुलाया था। यह कहना गलत है कि सभी आरोपीगण को एकसाथ गिरफ्तार किया हो। घटनास्थल के पास किस–किस के मकान है वह नहीं बता सकता। उन दोनों गाड़ियों में खलासी कौन–कौन थे वह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि समस्त फर्दे थाने पर बैठकर बनाई हो व वह मौके पर नहीं गया हो। यह कहना गलत है कि वह पूजा अवाना का अधीनस्थ कर्मचारी होने से झूठे बयान दे रहा है।

साक्षी पीडब्ल्यू–16 चैनाराम ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 02.06.2014 को पुलिस थाना पीसांगन पर थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस रोज परिवादिया पूजा अवाना आईपीएस प्रोबेशनर थानाधिकारी पुष्कर मय जब्तशुदा शराब सीलबंद अवस्था में मय बोलेरो, मय पिकअप, मय गिरफ्तारशुदा मुलजिमान विजय सिंह, शक्ति सिंह, हिम्मत सिंह, रमेश, श्रवण के थाना हाजा पर उपस्थित होकर एक टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट उसके सामने पेश की, जिस पर उसके द्वारा कार्यवाही पुलिस अंकित कर प्रकरण धारा–

19/54 मुकदमा नंबर 52/2014 में दर्ज कर माल नियमानुसार जमा मालखाना करवाकर मुलजिमान को संतरी के हवाले कर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार स्वयं के नाम अनुसंधान जिम्मे कर अनुसंधान प्रारंभ किया। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 है, जिस पर सी से डी कार्यवाही पुलिस अंकित कर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी–32 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी परिवादिया के हस्ताक्षर है। परिवादिया की बाद कार्यवाही पुलिस थाना पीसांगन पर वापसी की रोजनामचा आम में जो रपट डाली गई थी उसकी नकल रपट प्रदर्श पी–25 है जिस पर ए से बी उसके प्रमाणित कर हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दौराने अनुसंधान फर्द जब्ती प्रदर्श पी–2, मुलजिमान फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–7 शामिल पत्रावली कर अनुसंधान प्रारंभ किया। दौराने अनुसंधान साक्षी पूजा अवाना, दलपत सिंह, देवकरण, सरवर खां, महिपाल सिंह, छीतरलाल, रेखराज, सोहनलाल, हरिराम, धर्माराम, बलवीर सिंह, सोहन लाल पुत्र देवी जी के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्व कर शामिल पत्रावली किए। उसके द्वारा दौराने अनुसंधान साक्षी इन्द्राज व भारतराम के सामने मौके के साक्षी सरवर खां की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शामौका घटनास्थल बनाया जो प्रदर्श पी–15 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है, पुश्त भाग पर हालात मौका अंकित है। दौराने अनुसंधान जैर हिरासत मुलजिमान रमेश ने उसको स्वेच्छा से धारा–27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला दी कि उसने 70 कार्टन हिम्मत सिंह से खरीद कर अपनी बोलेरो नंबर आरजे–21–यूए–9484 में भरकर राजू को देने थे, राजू भी एस्कॉर्ट करने लेसवा आया था जिसको वह साथ चलकर बता सकता है। धारा–27 की इत्तला प्रदर्श पी–26 है, ए से बी इत्तला, सी से डी मुलजिम रमेश के व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है जिस पर मुलजिम की इत्तला से राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू को बाद तस्दीक साक्षी के समक्ष जरिये फर्द प्रदर्श पी–12 गिरफ्तार किया जिस पर ए से बी, ई से एफ साक्षी, सी से डी मुलजिम, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान जैर हिरासत मुलजिमान रमेश व श्रवण ने पृथक–पृथक उसको स्वेच्छा से धारा–27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला दी कि अवैध शराब कहां से भरी थी, वह किसकी थी, कहां पर देनी थी, के बारे में साथ चलकर बता सकता है। मुलजिम रमेश व श्रवण की धारा–27 की इत्तला प्रदर्श पी–27 व पी–28 है, जिन पर ए से बी इत्तला, सी से डी मुलजिमान के व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है जिस पर उसके द्वारा मुलजिमान की इत्तला अनुसार दिनांक 03.06.2014 को ही इन्द्राज व भारतराम साक्षी के समक्ष मुलजिम के बताए अनुसार लेसवा पहुँच कर उनकी निशादेही से घटनास्थल की तस्दीक कर तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल बनाया जो प्रदर्श पी–13 है जिस पर ए से बी व सी से डी मुलजिम रमेश व श्रवण के हस्ताक्षर है ई से एफ, जी से एच साक्षी,आई से जे उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान जैर हिरासत मुलजिमान विजय सिंह, हिम्मत सिंह, शक्ति सिंह ने पृथक–पृथक उसको स्वेच्छा से धारा–27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला दी कि अवैध शराब जहां से भरी थी, वह किसकी थी व कहां पर देनी थी के बारे में साथ चलकर बता सकता है। मुलजिम विजय सिंह, हिम्मत सिंह, शक्ति सिंह की धारा–27 की इत्तला प्रदर्श पी–29 व पी–30, पी–31 है, जिन पर ए से बी इत्तला, सी से डी मुलजिमान के व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है जिस पर उसके द्वारा मुलजिमान की इत्तला अनुसार दिनांक 03.06.2014 को ही इन्द्राज व भारतराम

साक्षी के समक्ष मुलजिम के बताए अनुसार लेसवा पहुँच कर उनकी निशादेही से घटनास्थल की तस्दीक कर तस्दीक नक्शामौका घटनास्थल बनाया जो प्रदर्श पी–14 है जिस पर ए से बी मुलजिम विजय सिंह,व सी से डी मुलजिम शक्ति सिंह, ई से एफ मुलजिम हिम्मत सिंह, जी से एच, आई से जे साक्षी, के से एल उसके हस्ताक्षर हैं। पुश्त भाग पर हालात मौका अंकित है। दौराने अनुसंधान दिनांक 05.06.2014 को जैर हिरासत मुलजिम रमेश के भाई के लड़के सुनील ने उपस्थित थाना होकर जितेन्द्र और अश्वीन साक्षी के समक्ष प्रकरण हाजा में उपयोग ली गई बोलेरो नंबर आरजे–21–यूए–9484 की मूल आरसी पेश की जिसको उसके द्वारा जरिये फर्द प्रदर्श पी–17 जब्त किया जिस पर ए से बी पेशकर्ता सुनील, सी से डी, ई से एफ साक्षी व जी से एच उसके हस्ताक्षर है जिसकी पेश आरसी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–18 है। दौराने अनुसंधान दिनांक 22.06.2014 को मुलजिम विजय सिंह द्वारा शराब परिवहन में उपयोग ली गई पिकअप नंबर आरजे–01–जीए–2631 की मूल आरसी व पॉवर ऑफ अटोर्नी हरिराम व धर्माराम साक्षी के समक्ष उसको पेश की जिसको उसके द्वारा जरिये फर्द प्रदर्श पी–19 जब्त किया जिस पर ए से बी , सी से डी, साक्षी ई से एफ पेशकर्ता व जी से एच उसके हस्ताक्षर है, पॉवर ऑफ अटोर्नी प्रदर्श पी–20 है तथा आरसी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–20 है। दौराने अनुसंधान प्रकरण हाजा में जब्तशुदा शराब के सैम्पल एफएसएल में जमा कराने बाबत पुलिस अधीक्षक से अग्रेषण पत्र बनवाने के लिए उसके द्वारा तहरीरी जारी कर अग्रेषण पत्र बनवाया जो प्रदर्श पी–9 है तथा प्रकरण हाजा के सैम्पल, सैम्पल वाहक रेखराज के मार्फत सील्डशुदा हालत में जमा करवाकर नमूना प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–10 शामिल पत्रावली की, जिस पर सी से डी शामिल पत्रावली का नोट अंकित कर उसके हस्ताक्षर है, जिसकी एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी–11 है, जो शामिल पत्रावली है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–16 ए शामिल पत्रावली की जिन पर प्रत्येक पृष्ठ पर आई से जे शामिल पत्रावली का नोट अंकित कर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दौराने अनुसधान बलवीर सिंह द्वारा लेसवा में स्थित रिहायसी दुकान हिम्मत सिंह को किराये पर दिए जाने बाबत असल किरायानामा प्रदर्श पी–22 लेकर शामिल पत्रावली किया जिस पर ई से एफ शामिल पत्रावली का नोट अंकित कर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा प्रकरण में सर्च वारण्ट के संबंध में एसएचओ पुष्कर को जरिये पत्र जवाब चाहा गया, उसके द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1834 दिनांक 01.07.2014 प्रदर्श पी–33 है, ए से बी उसका पत्र, सी से डी उसके हस्ताक्षर है, ई से एफ पीएस पुष्कर पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर हैं जिसकी पालना में एसएचओ पूजा अवाना द्वारा उसे जवाब भेजा जो प्रदर्श पी–34 है जिस पर ए से बी एसएचओ पूजा अवाना के हस्ताक्षर है। परिवादिया द्वारा जरिये जवाब उसे सूचित किया कि इसके संबंध में थाना हाजा पर रपट संख्या 81 दिनांक 02.06.2014 में दर्ज कर कार्यवाही की गई थी और पुलिस अधीक्षक द्वारा उसको अधिकृत किया था। उसके सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिम हिम्मत सिंह पुत्र केसर सिंह, श्रवण पुत्र मूलाराम, शक्ति सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू पुत्र नारायण सिंह, के विरूद्व धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम व रमेश उर्फ रामेश्वर पुत्र भंवरू राम, विजय सिंह पुत्र हीरालाल के विरूद्व धारा–19/54 व 54 ए राजस्थान आबकारी अधिनियम में अपराध प्रमाणित पाया गया। तत्पश्चात उसका स्थानांतरण हो जाने पर पत्रावली चालान हेतु

तत्कालीन थानाधिकारी भागचंद जी को सुपुर्द की। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि वह पीसांगन थाने पर कब से कब तक एसएचओ के पद पर तैनात था, तारीख उसे याद नहीं है, अजखुदकहा की वह दिनांक 02.06.2014 को पुलिस थाना पीसांगन पर थानाधिकारी के पद पर तैनात था। यह कहना सही है कि वह दिनांक 02.06.2014 को पुलिस थाना पीसांगन पर थानाधिकारी के पद पर तैनात हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। इस घटना की तहरीरी रिपोर्ट किसने लिखी व कहां लिखी उसकी जानकारी में नहीं है। यह कहना सही है कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में ए से बी भाग में बोलेरो के नंबर आरजे–21–यूए–8494 लिखे हुए हैं व फर्द जब्ती में ए से बी भाग में बोलेरो गाड़ी के नंबर आरजे–21–यूए–9484 लिखे हुए हैं। यह कहना सही है कि उसके सामने एसएचओ पुष्कर प्रोबेशनर आईपीएस पूजा अवाना ने पुलिस अधीक्षक अजमेर का उक्त प्रकरण में कार्यवाही करने का कोई लिखित में आदेश उसे नहीं दिया। यह कहना सही है कि पूजा अवाना उसके उच्च पद पर थी। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण में जब जब्तशुदा माल नष्ट किया गया था तब उसे मौके पर नहीं बुलाया गया था इसलिए वह नहीं बता सकता कि कितनी बोतले भरी थी और कितनी खाली थी और वह यह भी नहीं बता सकता कि इसमें क्या–क्या मार्का डला हुआ था। एसएचओ पुष्कर पूजा अवाना ने पुष्कर थाने से रवाना होने से पहले उसे सूचना नहीं दी। यह कहना सही है कि एसएचओ पुष्कर पूजा अवाना ने जब्ती स्थल पर तलाशी लेने से पूर्व कोई सर्च वारन्ट नहीं बनाया था। यह कहना सही है कि जब्ती स्थल का मालिकाना हक बलवीर सिंह से संबंधित कोई दस्तावेज उसके द्वारा नहीं लिया गया। यह कहना सही है कि वह जब्तशुदा वाहन बोलेरो एवं पिकअप के इंजन व चैसिस नंबर आज नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि जब्तशुदा पिकअप व बोलेरो से संबंधित आरटीओ से कोई अनुसंधान नहीं किया गया। यह कहना सही है कि जब्तशुदा शराब की कंपनी, ब्रान्ड के बारे में उसने कंपनी में जाकर कोई अनुसंधान नहीं किया। यह कहना गलत है कि जब्तीस्थल कोई खुला स्थल हो और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता हो। यह कहना सही है कि जब्ती स्थल पर स्थित मकान पर किसी व्यक्ति का नाम व मकान नंबर लिखे हुए नहीं थे। जब्तीस्थल के आसपास के मकान मालिक के नाम पते के बारे में वह नहीं बता सकता। अजखुद कहा कि घटनास्थल के नक्शे मौके में अंकन है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–26 लगायत 31 लिखाने से पहले उसने आरोपीगणं से इस संबंध में अलग से कोई तहरीर नहीं लिखवाई थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–13,14,15,17,19 पर किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। प्रदर्श पी–13,14,15 बनाया था तब वहाँ पर कोई नहीं था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–13,14,15 में दर्शित जब्ती स्थल के सामने पुष्कर से गोविन्दगढ जाने वाली सड़क है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–13,14,15 बनाते समय सड़क पर लोग व वाहन चालक आते जाते थे। यह कहना सही है कि उसने राहगिरों व वाहन चालक से प्रदर्श पी–13,14,15 के बारे में पूछताछ नहीं की। यह कहना सही है कि जब्तीस्थल के सामने केसर बानो पत्नी मोहन का मकान है। यह कहना सही है कि उसने केसर बानो के बयान नहीं लिए और न ही किसी फर्द पर हस्ताक्षर करवाए। प्रदर्श पी–14 में स्थित जगह के पास चम्पा जॉगिड़ का नाम लिखा है परन्तु वह खाली है अथवा मकान है, इसका अंकन नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–

14 व 15 में समय में कांटछांट हो रखी है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–19 में समय का अंकन नहीं है। यह कहना सही है कि उसने प्रदर्श पी–22 की कोई जब्ती नहीं बनाई। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–9, 10 व 11 में एफएसएल के सैम्पल ले जाने वाले के कहीं पर हस्ताक्षर नहीं है। दौराने अनुसंधान उसने मालखाने से जब्तशुदा माल नहीं निकलवाया। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–16ए में सैम्पल लेकर जाने वाले को जो माल दिया गया था, उसने प्राप्त किया उसके हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–16ए पर मूल मालखाना रजिस्टर से मिलान करके बनाया गया हो, ऐसी लिखावट प्रदर्शपी–16ए पर नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्श डी–3 में समय व स्थान बाद में लिखा गया है तथा प्रदर्श डी–4 में समय नहीं लिखा हुआ है और दिनांक में कांटछांट हो रखी है। प्रदर्श डी–5 में स्थान नहीं लिखा हुआ है। यह कहना सही है कि थाने से रवाना होने से पहले रपट डाली गई थी, जिसकी प्रति पत्रावली पर नहीं है। सभी साक्षीों के बयान अलग–अलग उनके कथनानुसार लिए गए थे। यह कहना गलत है कि उसने समस्त फर्दे थाने पर बैठकर बनाई हो। यह कहना भी गलत है वह मौके पर नहीं गया हो। यह कहना गलत है कि उसनें आरोपीगण के विरूद्ध गलत अनुसंधान कर झूंठा फसाया हो।

साक्षी पीडब्ल्यू–17 सरवर खां ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 02.06.2014 को पुलिस थाना पुष्कर पर हैड कानि. के पद पर तैनात था, उस रोज शाम के 6 बजे के आसपास थानाधिकारी पूजा अवाना आईपीएस प्रोबेशनर ने उनको अवगत कराया कि उसे मुखबिर खास से इत्तला मिली है कि लेसवा ग्राम में बलबीर सिंह के नोहरे में एक दुकान है तथा दुकान के पीछे बने कमरे में भारी मात्रा में देशी शराब व अंग्रेजी शराब अलग–अलग ब्राण्ड की रखी हुई है, जहां अभी भी एक बोलेरो गाड़ी व एक पिकअप खड़ी है, जो उक्त शराब के परिवहन की फिराक में खड़ी है, उक्त इत्तला पर एसएचओ पूजा अवाना के साथ वह, दलपत सिंह एएसआई, छीतरलाल एचसी, राजेन्द्र कानि., श्रवणराम कानि., देवकरण कानि., शिवकरण कानि., महिपाल कानि., मय चालक जगत सिंह के साथ मय अनुसंधान बॉक्स से सरकारी वाहन बोलेरो व सरकारी जीप से थाने से 6:15 पीएम–पर रवाना होकर मुताबिक मुखबिर इत्तला 6:45 पीएम–पर बलवीर सिंह के नोहरे पर पहुंचे, जहाँ एसएचओ पूजा अवाना ने छीतरलाल हैड कानि. को दो स्वतंत्र साक्षी लाने की हिदायत देकर भेजा, जिसने कुछ समय बाद आकर बताया कि कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी के डर से साक्षी बनने को तैयार नहीं है, जिस पर एसएचओ ने जाब्ते में सम्मिलित उसे व दलपत सिंह को साक्षी मामूर किया तथा मुखबिर की इत्तला अनुसार बलवीर सिंह के नोहरे में एक बोलेरो सफेद रंग की, जिसके नंबर आरजे–21–यूए–9484 थे, जिसके अन्दर दो आदमी बैठे थे, एक ड्राईवर सीट पर व एक खलासी साईड मे बैठा था जिसके पास में ही एक पिकअप सफेद रंग की खड़ी थी, जिसके नंबर आरजे–01–जीए–2631 थे, जिसमें भी एक व्यक्ति ड्राईवर सीट पर व एक व्यक्ति पीछे शराब की पेटियां पिकअप में रख रहा था व एक व्यक्ति कमरे में से पेटियां उठा–उठा कर पिकअप में चढ़वा रहा था, जिस पर एसएचओ के निर्देशानुसार एसएचओ के साथ उन सब ने चारो तरफ से उसे घेरा दिया और एसएचओ ने उन व्यक्तियों को ज्यों के त्यों खड़े रहने की हिदायत दी। तत्पश्चात एसएचओ ने बोलेरो के ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने

अपना नाम रमेश पुत्र भंवरू राम निवासी पादूखुर्द होना बताया तथा खलासी साईड में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम श्रवण पुत्र मूलाराम निवासी लेसवा होना बताया तथा एसएचओ ने रमेश व श्रवण से बोलेरो में क्या भरा है, इस बाबत पूछा तो घबरा गए। तत्पश्चात तसल्ली देकर पूछने पर बोलेरो में देशी शराब की पेटियां भरी होना बताया। तत्पश्चात एसएचओ ने साक्षी व जाब्ते के समक्ष बोलेरो में रखी शराब की पेटियों की गिनती करवाई तो बोलेरो में 70 पेटियां रखी हुई थी, जिस पर ढोला मारू शराब का लेबल लगा हुआ था जिस पर उक्त कार्टनों को खोलकर चैक किया तो प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे ढोला मारू सादा देशी शराब 180 एमएल क्षमता के भरे हुए सीलबंद अवस्था में थे, जिस पर पूजा अवाना ने प्रत्येक कार्टन में से एक पव्वे का ढक्कन खोलकर सूंघा व उन सब को सुंघाया तो उन सब ने देशी शराब भरा होना पाया, जिस पर रमेश व श्रवण से इतनी मात्रा में शराब बोलेरो में रखने व परिवहन करने बाबत लाइसेंस व परमिट मांगा तो नहीं होना बताया, जिस पर उपरोक्त मुलजिम रमेश व श्रवण का उक्त कृत्य धारा–19/54 आबकारी अधिनियम का पाया जाने पर उक्त बोलेरो में बरामदशुदा 70 पेटी देशी शराब के कार्टन, जिनमें एक ही ब्रान्ड की शराब थी, जिस पर एसएचओ ने प्रत्येक कार्टन में से एक–एक पव्वा वास्ते एफएसएल सैम्पल पृथक से निकाल कर सील्ड मोहर कर मार्क ए–1 से ए–70 अंकित किया तथा शेष बची शराब को उन्हीं कार्टनों में रहना दिया जाकर कार्टनों को सील्ड मोहर कर मार्का बी–1 से बी–70 अंकित किया तथा बोलेरो को व उक्त 70 शराब के कार्टनों को मौके पर ही कब्जा पुलिस लिया तथा जरिये फर्द जब्तकिया तथा मुलजिम रमेश व श्रवण को मौके पर ही जरिये फर्द गिरफ्तार किया तथा जब्तशुदा शराब बोलेरो व मुलजिमान को छीतरलाल एचसी, कानि. राजेन्द्र श्रवणराम को हिदायत देकर निगरानी हेतु एसएचओ ने सुपुर्द किया। तत्पश्चात एसएचओ ने वहां मौके पर खड़ी सफेद पिकअप नंबर आरजे–01–जीए–2631में चालक सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विजय सिंह पुत्र हीरालाल निवासी डूमाडा होना बताया तथा पिकअप में पीछे की तरफ कार्टन रखने वाले व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हिम्मत सिंह पुत्र केसर सिंह निवासी भांवता होना बताया तथा नीचे खड़े व्यक्ति जो कि कमरे में से कार्टन पकड़ा रहा था उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शक्ति सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी जुगपुरा पीएस थांवला होना बताया। तत्पश्चात एसएचओ ने उक्त व्यक्तियों से पिकअप में भरे कार्टन में क्या सामान है, इस बाबत पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया जिस पर एसएचओ के निर्देशानुसार उसके व दलपत सिंह के सामने एसएचओ ने पिकअप में भरे विभिन्न ब्रान्ड के कार्टनों को चैक किया और गिना तो पिकअप में 87 कार्टन सादा देशी शराब के, जिनमें महखाना देशी शराब के 34 कार्टन थे। प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे देशी शराब के भरे हुए सीलबंद अवस्था में थे तथा 53 कार्टन ढोला मारू देशी शराब के थे, जिनमें भी प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे शराब के भरे हुए सीलबंद अवस्था मे थे, 5 कार्टन हेवर्डस 5000 बियर के थे, जिनमें प्रत्येक कार्टन में 12–12 बोतल बियर भरी हुई सीलबंद थी। एक कार्टन ड्राईजिन का था, जिसमें 12 बोतल ड्राईजिन शराब हुई थी। उसके पास ही एक और कार्टन था जो भी ड्राईजिन शराब का ही था, जिसमें 48 पव्वें ड्राईजिन शराब की भरे हुए सीलबंद अवस्था में थे। ऑफिसर्स चॉइस की 4 बोतल भरी हुई सीलबंद अवस्था में थी व 2 कार्टन टूबॉर्ग ग्रीन बियर के भरे हुए थे, जिनमें प्रत्येक

कार्टन में 12–12 बोतल बियर की भरी हुई सीलबंद थी, 17 बोतल स्ट्रांग बियर की 330 एमएल की भरी हुई थी। 1 कार्टन बुलेट बियर का था, जिसमें 12 बोतल बियर की भरी हुई सीलबंद थी। तत्पश्चात सरवर खां एचसी, और उसने प्रत्येक ब्राण्ड में से एक–एक बोतल व पव्वा निकाल कर ढक्कन खोलकर सूंघा व उनको व जाब्ते को भी दिखाया, सुंघाया तो उन सब ने उक्त कार्टनों में देशी शराब व अंग्रेजी शराब होना पाया। तत्पश्चात एसएचओ ने मुलजिम विजय सिंह, हिम्मत सिंह व शक्ति सिंह से इतनी मात्रा में अपने पास शराब रखने लाने व ले जाने का लाईसेंस व परमिट के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया, जिससे मुलजिमान का उक्त कृत्य धारा–19/54 राज आबकारी अधिनियम का पाया जाने पर उक्त शराब व पिकअप को कब्जा पुलिस लेकर देशी शराब मयखाना के 34 कार्टनों में से एक–एक पव्वा एफएसएल सैम्पल पृथक–पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का सी–1 से सी–34 अंकित किया तथा शेष शराब को उन्हीं कार्टनों में रहना दिया जाकर कार्टनों को सील्ड मोहर कर मार्का डी 1 से डी–34 अंकित किया। ढोलामारू शराब के 53 कार्टनों में से एक–एक पव्वा एफएसएल सैम्पल पृथक–पृथक निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का ई–1 से ई–53 अंकित किया तथा शेष शराब को उन्हीं कार्टनों में रहना दिया जाकर कार्टनों को सील्ड मोहर कर मार्का एफ–1 से एफ–53 अंकित किया। इसी प्रकार हेवर्डस 5000 बियर के 5 कार्टनों में से एक–एक बियर की बोतल एफएसएल सैम्पल पृथक–पृथक निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का जी–1 से जी–5 अंकित किया तथा शेष बियर को उन्हीं कार्टनों में रहना दिया जाकर कार्टनों को सील्ड मोहर कर मार्का एच–1 से एच–5 अंकित किया। ड्राईजिन के एक कार्टन में से एक बोतल एफएसएल हेतु सैम्पल पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का आई अंकित किया तथा शेष ड्राईजिन बोतल को उसी कार्टन में रहना दिया जाकर कार्टन को सील्ड मोहर कर मार्का आई–1 अंकित किया। इसी प्रकार ड्राईजिन के पव्वों के कार्टन मे से एक पव्वा एफएसएल सैम्पल पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का जे अंकित किया तथा शेष शराब को उसी कार्टन में रहना दिया जाकर कार्टन को सील्ड मोहर कर मार्का जे–1 अंकित किया। ऑफिसर चॉइस की 4 बोतलों में से 1 बोतल एफएसएल सैम्पल पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का के अंकित किया तथा शेष शराब की तीन बोतलों को सील्ड मोहर कर मार्का के–1, के–2, के–3 अंकित किया। टूबॉर्ग ग्रीन बियर के 2 कार्टनों में से एक–एक बियर की बोतल एफएसएल सैम्पल पृथक–पृथक निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का एल–1 से एल–2 अंकित किया तथा शेष बियर की बोतलों को उन्हीं कार्टनों में रहना दिया जाकर कार्टनों को सील्ड मोहर कर मार्का एम–1 व एम–2 अंकित किया। इसी तरह टूबॉर्ग स्ट्रांग बियर 330 एमएल की 17 छोटी भरी हुई सीलबंद बोतलों में से भी एक बोतल एफएसएल हेतु सैम्पल पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का एन अंकित किया तथा शेष बची 16 छोटी बोतलों को सील्ड मोहर कर मार्का एन–1 से एन–16 अंकित किया। बुलेट बियर के एक कार्टन में से बियर की एक बोतल एफएसएल हेतु सैम्पल पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का ओ अंकित किया तथा शेष बची बियर की बोतल को उसी कार्टन में रहना दिया जाकर कार्टन को सील्ड मोहर कर मार्का ओ 1 अंकित किया। पिकअप गाड़ी आरजे–01–जीए–2631 व शराब के कार्टनों को जरिये फर्द जब्त किया। मौके पर ही फर्द जब्ती बनाई, कार्टनों पर मार्कर पेन से मार्का अंकित किया

फर्द जब्ती प्रदर्श पी–2 है जिस पर ओ से पी उसके हस्ताक्षर है तथा ई से एफ मुलजिम श्रवण, जी से एच मुलजिम शक्ति सिंह, आई से जे मुलजिम हिम्मत सिंह, के से एल मुलजिम विजय सिंह व एम–से एन मुलजिम रमेश के हस्ताक्षर है, जिन्होने उसके सामने फर्द पर हस्ताक्षर किए थे तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। मौके पर ही मुलजिम विजय सिंह, शक्ति सिंह, हिम्मत सिंह, रमेश व श्रवण को उन साक्षी के समक्ष पृथक–पृथक जरिये फर्द गिरफ्तार किया। मुलजिम रमेश की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–3 है जिस पर सी से डी मुलजिम रमेश व जी से एच उसके हस्ताक्षर है, मुलजिम श्रवण की गिरफ्तारी प्रदर्श पी–4 है जिस पर सी से डी मुलजिम श्रवण व जी से एच उसके हस्ताक्षर है, मुलजिम विजय सिंह की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–5 है जिस पर भी सी से डी मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है, मुलजिम हिम्मत सिंह की गिरफ्तारी प्रदर्श पी–6 है जिस पर जी से एच मुलजिम हिम्मत सिंह व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है, मुलजिम शक्ति सिंह की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–7 है जिस पर भी सी से डी मुलजिम शक्ति सिंह व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। मौके की कार्यवाही पूर्ण कर मय माल, मय मुलजिम, मय फर्दात, मय अनुसंधान बॉक्स के वापसी थाने पीसांगन पर पहुंचे, जहाँ एसएचओ पूजा अवाना द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट मय फर्दात, मय जब्तशुदा शराब आर्टिकल मय जब्तशुदा बोलेरो, मय पिकअप मय गिरफ्तारशुदा मुलजिमान को एसएचओ पीसांगन को सुपुर्द कर एसएचओ द्वारा लिखित रिपोर्ट पेश की, जिस पर एसएचओ पीसांगन द्वारा प्रकरण दर्ज किया। दौराने अनुसंधान एसएचओ पीसांगन ने उसके कथनानुसार उसके बयान लेखबद्व कर शामिल पत्रावली किए। उनकी थाने से रवानगी की रपट प्रदर्श पी–23 है। मुखबिर की इत्तला तथा सरकारी जीप व बोलेरो की रवानगी व मोहम्मद निसार को थाना जिम्मे की गई रपट प्रदर्श पी–24 है जिस पर ए से बी विजय सिंह के हस्ताक्षर है जिनके साथ काम करने से उनके हस्ताक्षर वह पहचानता है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने कथन किया कि यह कहना सही है कि प्रदर्श डी–6 में बोलेरो रंग सफेद आरजे–21–यूए–9484 पर ए से बी, सी से डी भाग में कांट छांट हो रखी है। वह पुष्कर थाने पर 2014 से 2015 तक तैनात था। यह कहना सही है कि वह 2014 से 2015 तक पुलिस थाना पुष्कर पर पदस्थापित था, ऐसा कोई आदेश पत्रावली पर नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–2 के प्रथम पृष्ठ पर समय का अंकन नहीं है, अजखुदकहा की अंतिम पृष्ठ पर समय 9:15 डाला हुआ है। तहरीरी रिपोर्ट पूजा अवाना ने लिखी थी, पीसांगन थाने पर लिखी थी। यह कहना सही है कि नमूना सील की अलग से फर्द बनाई हो तो वो पत्रावली पर उपल्बध नहीं है। यह कहना सही है कि थाने से रवाना होने से पहले घटनास्थल पर जाने से पूर्व उनको बता दिया था। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण में जब्तशुदा माल को नष्ट किया गया था तब उसे मौके पर नहीं बुलाया था इसलिए वह नहीं बता सकता कि नष्टीकरण के समय कितनी बोतले भरी थी व कितनी खाली थी व उन पर क्या–क्या मार्का लगे हुए थे। वे थाने से शाम को 6 बजे रवाना हुए थे। वह रवाना हुआ तब उसके साथ पूजा अवाना, छीतर जी, दलपत जी, महिपाल, चालक जगत सिंह, श्रवण जी थे। यह कहना सही है कि चालक जगत सिंह के न तो उसके सामने कोई बयान हुए न ही एसएचओ ने उसके सामने किसी फर्द पर उसके हस्ताक्षर करवाये। यह कहना सही है कि पुष्कर में एसडीएम, तहसील कार्यालय, राजकीय चिकित्सालय, विधालय अन्य सभी सरकारी

कार्यालय है। यह कहना सही है कि पूजा अवाना ने राजकीय चिकित्सालय व अन्य किसी कार्यालय से किसी सरकारी कर्मचारी को अपने साथ में नहीं लिया था। पुष्कर से लेसवा कितना किलोमीटर पड़ता है उसे आज याद नहीं है। वे पुष्कर से पीसांगन पिचैलिया होते हुए गए। थे। यह कहना सही है कि फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–3 से पी–7 व प्रदर्श पी–12 पर किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–3 से पी–7 व प्रदर्श पी–12 पर आरोपीगण के किसी परिवार वालो को सूचना दी हो इसका इन्द्राज नहीं है, अजखुदकहा की पृथक से दी गई थी। बोलेरो में 2 आदमी थे, पिकअप में 2 आदमी थे व एक आदमी नीचे था। पिकअप में 85 पेटियां थी, बोलेरो में 70 पेटियां थी नीचे जमीन पर कोई पेटियां नहीं थी। यह कहना सही है जब्तशुदा पेटियों से कोई फिंगर प्रिन्ट नहीं लिए गए। थे। यह कहना सही है कि बोलेरो गाड़ी व पिकअप गाड़ी की स्टीयरिंग से कोई फिंगर प्रिन्ट नहीं लिए गए। थे। यह कहना सही है कि आरोपीगण को गिरफ्तार करने से पहले पहचान संबंधी दस्तावेज लिए जाते है। पूजा अवाना ने आरोपीगण के पहचान सबंधी दस्तावेज लिए हो तो उसे याद नहीं है, एवं आरोपीगण के पहचान सबंधी दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यह कहना सही है कि घटनास्थल आबादी वाला क्षेत्र है। यह कहना सही है कि पूजा अवाना ने आसपड़ोसियो को उसके सामने मौके पर नहीं बुलाया था। मै घटनास्थल के आसपास के पड़ोसियों के नाम पते नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि संबंधित सरपंच व वार्डपंच को मौके पर नहीं बुलाया था ना ही स्वतंत्र साक्षी बनने के लिए लिखित में तहरीरी जारी की थी। यह कहना सही है कि लेसवा गांव में राजकीय चिकित्सालय है। उसके सामने पूजा अवाना ने राजकीय चिकित्सालय से किसी कर्मचारी को मौके पर नहीं बुलाया था। उसने सभी बोतलों को चखा नहीं था। यह कहना सही है कि जब्तशुदा कार्टन पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा हुआ था। वे घटनास्थल पर 4 घण्टे रूके थे। समस्त फर्दो की लिखापढ़ी पूजा अवाना नें की थी। पीसांगन थाने पर वे 10:15 बजे पहुंचे थे। जब्तशुदा माल उन्हीं गाड़ियों में लेकर गए। थे। बोलेरो गाड़ी को छीतर जी चलाकर लेकर गए। व पिकअप गाड़ी महिपाल जी चलाकर पीसांगन थाने लेकर गए। थे। जब्तशुदा माल में से लिए गए। सैम्पलो को पूजा अवाना ने छीतर जी को संभलाया था। यह कहना सही है कि प्रत्येक बोतल व प्रत्येक पव्वे से सैम्पल नहीं लिए गए। थे। यह कहना सही है कि उसके सामने पूजा अवाना ने बरामदगी स्थल के मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज नहीं लिए थे। यह कहना सही है कि उसके सामने पूजा अवाना ने बरामदगी स्थल की तलाशी लेने के लिए धारा–47 सर्च वारण्ट नहीं बनाया था अजखुदकहा की एसपी–साहब से मौखिक आदेश लिए थे। उसके सामने 85 बोतले व 70 कार्टन में प्रत्येक कार्टन में 48 पव्वे जब्त किए, पव्वों की वास्तविक संख्या वह नहीं बता सकता। बोलेरो गाड़ी उतर दिशा में खड़ी थी, पिकअप का मुहं दक्षिण दिशा में था। गाड़ीयां 10 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। यह उसे पता नहीं है कि शराब चढ़ाने वाला व्यक्ति कौन से ब्रान्ड की शराब पिकअप में चढ़ा रहा था। उसने उन गाड़ियों को परिवहन करते हुए नहीं देखा था। यह कहना सही है कि उसने किसी व्यक्ति को शराब खरीदते–बेचते हुए नहीं देखा था। वह जब्तशुदा शराब के बैच नम्बर नहीं बता सकता। जब्तशुदा शराब से लिए गए। सैम्पल का अलग से कार्टन नहीं बनाया था। वह जब्तशुदा बोलेरो व पिकअप के इंजन नंबर चेसिस नंबर नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि उसके सामने

पूजा अवाना ने उसके सामने जब्तशुदा वाहनों के मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज नहीं लिए थे। यह कहना सही है कि उसके सामने पूजा अवाना ने उस बाड़े के मालिक को मौके पर नहीं बुलाया था। यह कहना सही है कि घटनास्थल के सामने पुष्कर से गोविन्दगढ़ जाने वाली सड़क है। यह कहना सही है कि उस समय पुष्कर से गोविन्दगढ़ जाने वाली सड़क पर राहगीर व वाहन चालक आ जा रहे थे। यह कहना सही है उसके सामने पूजा अवाना ने किसी राहगीर व वाहन चालक को रोककर पूछताछ नहीं की थी। वे वहां घटनास्थल पर गए। तो नोहरे का गेट खुला हुआ था। यह कहना सही है कि उस नोहरे के मैन गेट पर किसी व्यक्ति का नाम व मकान नम्बर नहीं लिखा हुआ था। उसके सामने पूजा अवाना ने बरामदगी स्थल की फोटोग्राफी करवाई थी, जो फोटो लिए थे वो पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यह कहना सही है कि वे जब बरामदगी स्थल लेसवा पहुँचे तब पूजा अवाना ने पुलिस थाना पीसांगन के किसी स्टॉफ को मौके पर नहीं बुलाया था। यह कहना गलत है कि वह मौके पर नहीं गया हो, यह कहना भी गलत है कि उसने समस्त फर्दो पर हस्ताक्षर थाने पर किए हो। यह कहना गलत है कि वह पूजा अवाना के अधीनस्थ कर्मचारी होने के कारण झूठे बयान दे रहा है।

साक्षी पीडब्ल्यू–18 छीतरलाल ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 02.06.2014 को पुलिस थाना पुष्कर पर हैड कानि. के पद पर तैनात था। उस रोज शाम के 6 बजे के आसपास थानाधिकारी पूजा अवाना आईपीएस प्रोबेशनर ने उनको अवगत कराया कि उसे मुखबिर खास से इत्तला मिली है कि लेसवा ग्राम में बलबीर सिंह के नोहरे में एक दुकान है तथा दुकान के पीछे बने कमरे में भारी मात्रा में देशी शराब व अंग्रेजी शराब अलग–अलग ब्राण्ड की रखी हुई है, जहां अभी भी एक बोलेरो गाड़ी व एक पिकअप खड़ी है, जो उक्त शराब के परिवहन की फिराक में खड़ी है। उक्त इत्तला पर एसएचओ पूजा अवाना के साथ वह, दलपत सिंह एएसआई, सरवर खां एचसी, राजेन्द्र कानि., श्रवणराम कानि., देवकरण कानि., शिवकरण कानि., महिपाल कानि., मय चालक जगत सिंह मय अनुसंधान बॉक्स सरकारी वाहन बोलेरो व सरकारी जीप से थाने से 6:15 पीएम पर रवाना होकर मुताबिक मुखबिर इत्तला 6:45 पीएम पर बलवीर सिंह के नोहरे पर पहुंचे, जहाँ एसएचओ पूजा अवाना ने उसे दो स्वतंत्र साक्षी लाने की हिदायत देकर भेजा, जिस पर उसने कुछ समय बाद आकर बताया कि कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी के डर से साक्षी बनने को तैयार नहीं है, जिस पर एसएचओ ने जाब्ते में सम्मिलित सरवर खां व दलपत सिंह को साक्षी मामूर किया तथा मुखबिर की इत्तला अनुसार बलवीर सिंह के नोहरे में एक बोलेरो सफेद रंग की, जिसके नंबर आरजे–21–यूए–9484 थे, जिसके अन्दर दो आदमी बैठे थे, एक ड्राईवर सीट पर व एक खलासी साईड मे बैठा था जिसके पास में ही एक पिकअप सफेद रंग की खड़ी थी, जिसके नंबर आरजे–01–जीए–2631 थे, जिसमें भी एक व्यक्ति ड्राईवर सीट पर व एक व्यक्ति पीछे शराब की पेटियां पिकअप में रख रहा था व एक व्यक्ति कमरे में से पेटियां उठा–उठा कर पिकअप में चढ़वा रहा था। एसएचओ के निर्देशानुसार एसएचओ के साथ उन सब ने चारो तरफ से उसे घेरा दिया और एसएचओ ने उन व्यक्तियों को ज्यों के त्यों खड़े रहने की हिदायत दी। तत्पश्चात एसएचओ ने बोलेरो के ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रमेश पुत्र भंवरू राम निवासी पादूखुर्द होना बताया तथा खलासी साईड में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम

श्रवण पुत्र मूलाराम निवासी लेसवा होना बताया तथा एसएचओ ने रमेश व श्रवण से बोलेरो में क्या भरा है, इस बाबत पूछा तो घबरा गए। तत्पश्चात तसल्ली देकर पूछने पर बोलेरो में देशी शराब की पेटियां भरी होना बताया। तत्पश्चात एसएचओ ने साक्षी व जाब्ते के समक्ष बोलेरो में रखी शराब की पेटियों की गिनती करवाई तो बोलेरो में 70 पेटियां रखी हुई थी, जिस पर ढोला मारू शराब का लेबल लगा हुआ था जिस पर उक्त कार्टनों को खोलकर चैक किया तो प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे ढोला मारू सादा देशी शराब 180 एमएल क्षमता के भरे हुए सीलबंद अवस्था में थे, जिस पर पूजा अवाना ने प्रत्येक कार्टन में से एक पव्वे का ढक्कन खोलकर सूंघा व उन सब को सुंघाया तो उन सब ने देशी शराब भरा होना पाया, जिस पर रमेश व श्रवण से इतनी मात्रा में शराब बोलेरो में रखने व परिवहन करने बाबत लाइसेंस व परमिट मांगा तो नहीं होना बताया, जिस पर उपरोक्त मुलजिम रमेश व श्रवण का उक्त कृत्य धारा–19/54 आबकारी अधिनियम का पाया जाने पर उक्त बोलेरो में बरामदशुदा 70 पेटी देशी शराब के कार्टन, जिनमें एक ही ब्रान्ड की शराब थी, जिस पर एसएचओ ने प्रत्येक कार्टन में से एक–एक पव्वा वास्ते एफएसएल सैम्पल पृथक से निकाल कर सील्ड मोहर कर मार्क ए–1 से ए–70 अंकित किया तथा शेष बची शराब को उन्हीं कार्टनों में रहना दिया जाकर कार्टनों को सील्ड मोहर कर मार्का बी–1 से बी–70 अंकित किया तथा बोलेरो को व उक्त 70 शराब के कार्टनों को मौके पर ही कब्जा पुलिस लिया तथा जरिये फर्द जब्तकिया तथा मुलजिम रमेश व श्रवण को मौके पर ही जरिये फर्द गिरफ्तार किया तथा जब्तशुदा शराब बोलेरो व मुलजिमान को उसे व कानि. राजेन्द्र श्रवणराम को हिदायत देकर निगरानी हेतु एसएचओ ने सुपुर्द किया। तत्पश्चात एसएचओ ने वहां मौके पर खड़ी सफेद पिकअप नंबर आरजे–01–जीए–2631में चालक सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विजय सिंह पुत्र हीरालाल निवासी डूमाडा होना बताया तथा पिकअप में पीछे की तरफ कार्टन रखने वाले व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हिम्मत सिंह पुत्र केसर सिंह निवासी भांवता होना बताया तथा नीचे खड़े व्यक्ति जो कि कमरे में से कार्टन पकड़ा रहा था उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शक्ति सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी जुगपुरा पीएस थांवला होना बताया। तत्पश्चात एसएचओ ने उक्त व्यक्तियों से पिकअप में भरे कार्टन में क्या सामान है, इस बाबत पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया जिस पर एसएचओ के निर्देशानुसार सरवर खां व दलपत सिंह के सामने एसएचओ ने पिकअप में भरे विभिन्न ब्रान्ड के कार्टनों को चैक किया और गिना तो पिकअप में 87 कार्टन सादा देशी शराब के, जिनमें महखाना देशी शराब के 34 कार्टन थे। प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे देशी शराब के भरे हुए सीलबंद अवस्था में थे तथा 53 कार्टन ढोला मारू देशी शराब के, थे, जिनमें भी प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे शराब के भरे हुए सीलबंद अवस्था मे थे, 5 कार्टन हेवर्डस 5000 बियर के थे, जिनमें प्रत्येक कार्टन में 12–12 बोतल बियर भरी हुई सीलबंद थी। एक कार्टन ड्राईजिन का था, जिसमें 12 बोतल ड्राईजिन शराब हुई थी। उसके पास ही एक और कार्टन था जो भी ड्राईजिन शराब का ही था, जिसमें 48 पव्वे ड्राईजिन शराब की भरे हुए सीलबंद अवस्था में थे। ऑफिसर्स चॉइस की 4 बोतल भरी हुई सीलबंद अवस्था में थी व 2 कार्टन टूबॉर्ग ग्रीन बियर के भरे हुए थे, जिनमें प्रत्येक कार्टन में 12–12 बोतल बियर की भरी हुई सीलबंद थी, 17 बोतल स्ट्रांग बियर की 330 एमएल की भरी हुई थी। 1 कार्टन

बुलेट बियर का था, जिसमें 12 बोतल बियर की भरी हुई सीलबंद थी। तत्पश्चात एसएचओ ने प्रत्येक ब्राण्ड में से एक–एक बोतल व पव्वा निकाल कर ढक्कन खोलकर सूंघा व उनको व जाब्ते को भी दिखाया, सुंघाया तो उन सब ने उक्त कार्टनों में देशी शराब व अंग्रेजी शराब होना पाया। तत्पश्चात एसएचओ ने मुलजिम विजय सिंह, हिम्मत सिंह, व शक्ति सिंह से इतनी मात्रा में अपने पास शराब रखने लाने व ले जाने का लाईसेंस व परमिट के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया, जिससे मुलजिमान का उक्त कृत्य धारा–19/54 राज आबकारी अधिनियम का पाया जाने पर उक्त शराब व पिकअप को कब्जा पुलिस लेकर देशी शराब मयखाना के 34 कार्टनों में से एक–एक पव्वा एफएसएल सैम्पल पृथक– पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का सी–1 से सी–34 अंकित किया तथा शेष शराब को उन्हीं कार्टनों में रहना दिया जाकर कार्टनों को सील्ड मोहर कर मार्का डी 1 से डी–34 अंकित किया। ढोलामारू शराब के 53 कार्टनों में से एक–एक पव्वा एफएसएल सैम्पल पृथक–पृथक निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का ई–1 से ई–53 अंकित किया तथा शेष शराब को उन्हीं कार्टनों में रहना दिया जाकर कार्टनों को सील्ड मोहर कर मार्का एफ–1 से एफ–53 अंकित किया। इसी प्रकार हेवर्डस 5000 बियर के 5 कार्टनों में से एक–एक बियर की बोतल एफएसएल सैम्पल पृथक–पृथक निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का जी–1 से जी–5 अंकित किया तथा शेष बियर को उन्हीं कार्टनों में रहना दिया जाकर कार्टनों को सील्ड मोहर कर मार्का एच–1 से एच–5 अंकित किया। ड्राईजिन के एक कार्टन में से एक बोतल एफएसएल हेतु सैम्पल पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का आई अंकित किया तथा शेष ड्राईजिन बोतल को उसी कार्टन में रहना दिया जाकर कार्टन को सील्ड मोहर कर मार्का आई–1 अंकित किया। इसी प्रकार ड्राईजिन के पव्वों के कार्टन मे से एक पव्वा एफएसएल सैम्पल पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का जे अंकित किया तथा शेष शराब को उसी कार्टन में रहना दिया जाकर कार्टन को सील्ड मोहर कर मार्का जे–1 अंकित किया। ऑफिसर चॉइस की 4 बोतलों में से 1 बोतल एफएसएल सैम्पल पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का के अंकित किया तथा शेष शराब की तीन बोतलों को सील्ड मोहर कर मार्का के–1, के–2, के–3 अंकित किया। टूबॉर्ग ग्रीन बियर के 2 कार्टनों में से एक–एक बियर की बोतल एफएसएल सैम्पल पृथक–पृथक निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का एल–1 से एल–2 अंकित किया तथा शेष बियर की बोतलों को उन्हीं कार्टनों में रहना दिया जाकर कार्टनों को सील्ड मोहर कर मार्का एम–1 व एम–2 अंकित किया। इसी तरह टूबॉर्ग स्ट्रांग बियर 330 एमएल की 17 छोटी भरी हुई सीलबंद बोतलों में से भी एक बोतल एफएसएल हेतु सैम्पल पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का एन अंकित किया तथा शेष बची 16 छोटी बोतलों को सील्ड मोहर कर मार्का एन–1 से एन–16 अंकित किया। बुलेट बियर के एक कार्टन में से बियर की एक बोतल एफएसएल हेतु सैम्पल पृथक से निकालकर सील्ड मोहर कर मार्का ओ अंकित किया तथा शेष बची बियर की बोतल को उसी कार्टन में रहना दिया जाकर कार्टन को सील्ड मोहर कर मार्का ओ 1 अंकित किया। पिकअप गाड़ी आरजे–01–जीए–2631 अजकब्जा विजय सिंह, हिम्मत सिंह, शक्ति सिंह व सफेद रंग की बोलेरा आरजे–2–यूए–8498 अजकब्जा मुलजिम रमेश व शराब के कार्टनों को जरिये फर्द जब्त किया। मौके पर ही फर्द जब्ती बनाई, कार्टनों पर मार्कर पेन से मार्का अंकित किया। मौके पर ही मुलजिम

विजय सिंह, शक्ति सिंह, हिम्मत सिंह, रमेश व श्रवण को साक्षी के समक्ष पृथक–पृथक जरिये फर्द गिरफ्तार किया। मौके की कार्यवाही पूर्ण कर मय मुलजिम, मय फर्दात, मय माल, मय अनुसंधान बॉक्स के वापसी थाने पर आए, जहां एसएचओ पूजा अवाना द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट मय फर्दात मय जब्तशुदा शराब, मय जब्तशुदा बोलेरो, पिकअप, मय गिरफ्तारशुदा मुलजिमान एसएचओ पीसांगन को सुपुर्द कर कार्यवाही हेतु पेश की, जिस पर एसएचओ पीसांगन द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया। दौराने अनुसंधान, आईओ चैनाराम द्वारा उसके कथनानुसार उसके बयान लेखबद्व कर शामिल पत्रावली किए। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि उसने जब्तशुदा वाहनों को परिवहन करते हुए नहीं देखा था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–2 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना गलत है कि वह फर्द जब्ती बनाते समय मौके पर नहीं हो इसलिए उसके हस्ताक्षर प्रदर्श पी–2 पर नहीं हो। यह कहना सही है कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–4 पर ए से बी स्थान पर बोलेरो के नंबर और फर्द जब्ती के ए से बी भाग में बोलेरो गाड़ी के नंबर अलग–अलग लिखे हुए हैं। यह उसे ध्यान नहीं है कि घटना की तहरीरी रिपोर्ट किसने लिखी, अजखुदकहा लिखी तो मौके पर थी, किसने लिखी उसे ध्यान नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–2 के प्रथम पृष्ठ पर समय का इन्द्राज नहीं है, अजखुदकहा पीछे पृष्ठ पर समय लिखा हुआ है। नमूना सील की अलग से फर्द बनाई हो तो उसे ध्यान नहीं है। इस घटना की सूचना एसएचओ पूजा अवाना ने दी थी। यह कहना सही है कि एसएचओ पूजा अवाना ने थाने से रवाना होने से पहले बता दिया था कि कहां पर चलना है। इस माल को नष्ट किया गया तब उसे मौके पर नहीं बुलाया गया था इसलिए वह नहीं बता सकता कि नष्ट करते समय कितनी बोतले खाली थी व कितनी भरी हुई थी व जब्तशुदा माल पर क्या–क्या मार्का था। वे थाने से 06:15 पीएम पर रवाना हुए थे। वे थाने से रवाना हुए तब गाड़ियों के राजेन्द्र सिंह व जगत सिंह ड्राईवर थे। उसके सामने जगत सिंह व राजेन्द्र सिंह के कोई बयान नहीं लिए गए। थे। यह कहना सही है कि पुष्कर में एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, राजकीय चिकित्सालय है। यह कहना सही है कि पूजा अवाना जब कार्यालय से रवाना हुई तब इन कार्यालयों से किसी कर्मचारी को साथ में नहीं लिया था। वे गनाहेडा, किशनपुरा, गोविन्दगढ होते हुए लेसवा गए। थे फिर पीसांगन गए थे। पुष्कर से लेसवा कितना दूर है उसे आईडिया नहीं है, अजखुदकहा की 20 से 25 किलोमीटर होगा। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–2 पर किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। बोलेरो गाड़ी में 2 व्यक्ति थे। पिकअप में 3 आदमी थे। पिकअप में कुल कितनी पेटियां थी उसे याद नहीं है, जमीन पर कोई पेटी नहीं थी। अजखुदकहा की कमरे में पड़ी थी। बोलेरो में 70 पेटियां थी। बोलेरो गाड़ी के नीचे कितनी पेटियां थी उसने नहीं देखी। पिकअप गाड़ी में शक्ति सिंह पेटियां चढ़ा रहा था, बोलेरो के पीछे कोई नहीं खड़ा था। उसके सामने जब्तशुदा पेटियों से फिंगर प्रिन्ट नहीं लिए थे। यह उसे याद नहीं है कि आरोपियों को गिरफ्तार करने से पूर्व उनके कोई पहचान सबंधी दस्तावेज लिए या नहीं। घटनास्थल के आसपड़ोस में कोई नहीं था अजखुदकहा कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। घटनास्थल के आसपास किन–किन के मकान है उसे ध्यान नहीं है। यह कहना सही है कि पूजा अवाना ने आसपास के व्यक्तियों को लिखित में तहरीरी जारी नहीं

की थी, अजखुदकहा उसे मौखिक रूप से स्वतंत्र साक्षी लाने के लिए रवाना किया था लेकिन कोर्ट कचहरी के डर से कोई स्वतंत्र साक्षी बनने को तैयार नहीं हुआ। यह कहना सही है कि उसके सामने संबंधित सरपंच, वार्डपंच को मौके पर नहीं बुलाया था, ना ही संबंधित सरपंच, वार्डपंच को लिखित में तहरीरी जारी की थी। उसे पता नहीं है कि लेसवा में राजकीय चिकित्सालय हो। उसने सभी बोतलों को चखा नहीं था। यह उसे याद नहीं है कि जमीन पर कितने कार्टन रखे हुए थे एवं उन कार्टनों पर किसी व्यक्ति का नाम या मार्का लगा हो। जब्तशुदा गाड़ियों के स्टीयरिंग से कोई फिंगर प्रिन्ट नहीं लिया गया था। वे वहां पर 2–3 घण्टे रूके थे। समस्त लिखा–पढी की कार्यवाही पूजा अवाना ने करवाई थी, किस स्टॉफ से करवाई थी, उसे आज याद नहीं है। वे पीसांगन थाने पर 10:30 पीएम–पर पहुंचें थे। यह उसे याद नहीं है कि जब्तशुदा बोलेरो व पिकअप को थाने पर कौन चलाकर लेकर गया था। यह कहना सही है कि उसके सामने प्रत्येक बोतल मे से सैम्पल नहीं लिया था, अजखुदकहा प्रत्येक पेटी से सैम्पल लिया था। यह उसे याद नहीं है कि मौके पर सैम्पल किसको संभलाये थे। यह कहना सही है कि उसके सामने पूजा अवाना ने घटनास्थल का मालिकाना हक से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं लिया था। यह उसे ध्यान नहीं है कि पूजा अवाना ने घटनास्थल की तलाशी के लिए धारा–47 का पर्चा बनाया हो। यह कहना सही है कि धारा–47 का पर्चा पत्रावली में नहीं है। यह उसे याद नहीं कि जब्तशुदा माल में कितनी बोतले व कितने पव्वे थे। दोनों गाड़ियों का मुंह उत्तर दिशा की ओर था। गाड़िया कितनी दूरी पर खड़ी थी यह उसे पता नहीं है। वह यह नहीं बता सकता कि कौनसा व्यक्ति कौनसी ब्रान्ड की शराब गाड़ी में चढ़ा रहा था। वह जब्तशुदा शराब का बैच नहीं बता सकता। उसे आज पता नहीं है कि जब्तशुदा शराब के बैच नंबर एक ही थे या अलग–अलग थे। बोलेरो में रमेश डाईविंग सीट पर बैठा था व पिकअप में विजय सिंह बैठा था। जब्तशुदा सैम्पल का अलग से कार्टन नहीं बनाया था। बोलेरो व पिकअप के इंजन नंबर, चेसिस नंबर नहीं बता सकता। उसने नहीं देखा की पूजा अवाना ने बोलेरो व पिकअप के इंजन नंबर चेसिस नंबर ट्रेस किए हों। उसे पता नहीं है कि पूजा अवाना ने बोलेरो व पिकअप के मालिकाना हक के दस्तावेज लिए हो। यह उसे याद नहीं कि पूजा अवाना ने नोहरे के मालिक को बुलाया था या नहीं। यह कहना सही है कि घटनास्थल के सामने पुष्कर से गोविन्दगढ जाने वाली सड़क है। उसके सामने पूजा अवाना ने राहगीर व वाहन चालक को रोककर पूछताछ नहीं की थी। वे वहां गए, तब नोहरे का गेट खुला था। उस नोहरे में कमरे बने हुए हैं, कितने बने हुए हैं ध्यान नहीं है, अजखुदकहा एक कमरा बना हुआ था। उस कमरे पर किसी व्यक्ति का नाम या नाम प्लेट नहीं थी। उसके सामने पूजा अवाना ने घटनास्थल की कोई फोटो खींची हो तो उसे ध्यान नहीं है व फोटोग्राफ पत्रावली पर नहीं है। यह कहना सही कि घटनास्थल के पास भैरू यादव और केसर बानो के मकान है, उसके सामने पूजा अवाना ने इन लोगो से पूछताछ नहीं की, ना ही किसी फर्द पर हस्ताक्षर कराये। यह उसे याद नहीं कि लेसवा से कितने बजे रवाना हुए। 10:30 पीसांगन पहुंच गए थे। यह उसे याद नहीं है कि उनके लेसवा पहुंचने पर पीसांगन थाने से पूजा अवाना ने किसी पुलिस वाले को मौके पर बुलाया हो। पीसांगन थाने पर वे आधा–पौन घण्टे रूके थे। यह कहना गलत है कि वह मौके पर नहीं गया हो। यह कहना गलत है कि वह पूजा अवाना का अधीनस्थ कर्मचारी होने से झूठे बयान दे रहा है।

12- इस प्रकार अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध के संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध सकल मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य सामग्री का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में आपराधिक अभियांत्रिकी का प्रादुर्भाव परिवादिया पूजा अवाना,आईपीएस (पी) थानाधिकारी पुलिस थाना पुष्कर जिला अजमेर द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना पीसांगन के समक्ष दिनांक 02.06.2014 को एक टाईपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 करने पर हुआ, जिसके माध्यम से उसने कथन किया कि उसे जरिये टेलीफोन मुखबिर खास ने इत्तला दी कि ग्राम लेसवा में बलवीर सिंह के नोहरे में एक दुकान व दुकान के पीछे एक कमरा बना हुआ है, जिसमें सादा देशी व अंग्रेजी शराब विभिन्न ब्राण्ड की पड़ी है, जहां अभी–अभी एक सफेद रंग की पिकअप व काले शीशे की सफेद बोलेरो गाड़ी में सादा देशी व अंग्रेजी शराब परिवहन करने की फिराक में है, जिस पर वह, दलपत सिंह एएसआई, सरवर खां एच.सी., छीतरलाल एच.सी. कानि. राजेन्द्र सिंह, श्रवण कुमार, देवकरण, शिवकरण, महिपाल मय बोलेरो वाहन आरजे–01–यूए–4584 चालक जगतसिंह व सरकारी जीप आरजे–01–यूए–5340 चालक राजेन्द्र सिंह मय अनुसंधान बॉक्स के थाना पुष्कर से रवाना होकर ग्राम लेसवा में मुताबिक ईतला मुखबीर के 06:45 पीएम पर बलवीर सिंह के नोहरे पर पहुँचे व स्वतंत्र साक्षी के अभाव में हमराही जाप्ता में से ही दलपत सिंह एएसआई व सरवर खाँ एचसी.197 को साक्षी मामूर किया, जहाँ बोलेरो बरंग सफेद आरजे–21–यूए–9484 जिसके अन्दर दो आदमी एक ड्राईवर सीट पर व एक पास में खलासी साईड में बैठा मिला व पास में एक पिकअप बरंग सफेद नंबर आरजे–01–जीए–2631 खड़ी मिली, जिसमें ड्राईवर सीट पर बैठा था व एक व्यक्ति पीछे शराब की पेटियां पिकअप में रख रहा था। एक व्यक्ति कमरे में से पेटियां उठाकर लाकर पिकअप में चढवा रहा था। उसने रूबरू मौतबिरान बोलेरो के ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछा तो अपना नाम रमेश बताया तथा खलासी साईड में बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम श्रवण बताया, जिनसे बोलेरो में भरे सामान के बारे में पूछा तो सादा देशी शराब की पेटियां होना बताया, जिस पर मौतविरान के समक्ष बोलेरो की खिड़कियाँ को खोलकर अन्दर देखा व गिना तो 70 पेटी सादा देशी शराब ढोला मारू का लेबल लगे हुए कार्टन मिले। कार्टनों को खोलकर चैक किया तो ढोला मारू सादा, देशी शराब 180 एमएल के पव्वे प्रत्येक में 48–48 पव्वे भरे मिले। इस पर रमेश व श्रवण से इतनी भारी मात्रा में सादा देशी शराब बोलेरो में रखना व परिवहन करने का लाईसेन्स व परमिट माँगा तो नहीं होना बताया है, जो जुर्म धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का पाया जाने पर 70 पेटी सादा देशी शराब के कार्टनों, जो एक ही ब्रान्ड के होने के कारण प्रत्येक कार्टन में से एक–एक पव्वा सैम्पल निकाल सील मोहर किया व शेष बचे कार्टनों को अलग से सील मोहर कर मय वाहन बोलेरो नंबर आरजे–21–यूए–8494 के जब्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। मुल्जिम रमेश व श्रवण को गिरफ्तार कर छीतरलाल, राजेन्द्र सिंह व श्रवणराम को सुपुर्द किया। तत्पश्चात उसने पिकअप वाहन आरजे–01–जीए–2631 में बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम विजय सिंह बताया व पीछे कार्टन लेने वाले का नाम पूछा तो अपना नाम हिम्मत सिंह बताया व नीचे से कार्टन पकड़वाने वाले से नाम पता पूछा तो अपना नाम शक्ति सिंह बताया, जिनको साक्षी दलपत सिंह व सरवर खाँ के समक्ष पिकअप में भरे विभिन्न ब्रान्ड के कार्टनों को चैक कर गिना

तो 87 कार्टन सादा देशी शराब, जिसमें महखाना देशी शराब के पव्वे के कुल 34 कार्टन प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे व ढोला मारू के कुल 53 कार्टन प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे भरे मिले, इसी प्रकार से हेवर्डस 5000 बियर के 5 कार्टन प्रत्येक कार्टन में 12–12 बोतल मिली। ड्राईजिन का एक कार्टन जिसमें 12 बोतल व एक कार्टन ड्राईजिन का जिसमें 48 पव्वे भरे मिले। इसी प्रकार से ऑफिसर चॉईस की कुल 4 बोतल, टूबॉर्ग के दो कार्टन प्रत्येक कार्टन में 12–12 बोतल, स्ट्रांग बियर की कुल 17 बोतल छोटी 330 एमएल, बुलेट बियर का एक कार्टन जिसमें 12 बोतल मिली, जिस पर मुल्जिम विजय सिंह, हिम्मत सिंह व शक्ति सिंह से इतनी भारी मात्रा में शराब अपने पास रखने व लाने व ले जाने का लाईसेन्स व परमिट मांगा तो नहीं होना बताया, जो जुर्म धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का पाए जाने से प्रत्येक ब्राण्ड शराब में से एक–एक पव्वा व बोतल बाबत एफएसएल जांच सैम्पल निकाल कर चिटचैपा किया गया। मुल्जिमान विजय सिंह, शक्ति सिंह, हिम्मत सिंह, रमेश व श्रवण को मौके पर गिरफ्तार किया गया, जिससे प्रकट होता है कि प्रकरण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी परिवादिया पूजा अवाना स्वयं एवं जाब्ती की कार्यवाही में शामिल रहे दलपत सिंह, सरवर खां, छीतरलाल, राजेन्द्र सिंह, श्रवणराम, देवकरण, शिवकरण, महिपाल पुलिसकर्मी हैं, जो न्यायालय के समक्ष क्रमशः पीडब्ल्यू–1, पीडब्ल्यू–15, पीडब्ल्यू–17, पीडब्ल्यू–18 पीडब्ल्यू–2, पीडब्ल्यू–7 के रूप में परीक्षित हुए, जिनमें से साक्षी पूजा अवाना पीडब्ल्यू–1 ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं द्वारा प्रस्तुत तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में वर्णित तथ्यों की विस्तृत रूप से पुनरावृत्ति की और उक्त साक्षी ने अपने कथनों के समर्थन में कुल 8 दस्तावेज प्रदर्शित कराए हैं, जिनमें तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1, फर्द जब्ती शराब व वाहन प्रदर्श पी–2, प्रदर्श पी–3 लगायत पी–7 फर्द गिरफ्तारी अभियक्तगण व प्रदर्श पी–8 जब्तशुदा माल को नष्ट करने के पचंनामा मय फोटोग्राफ्स हैं। उक्त साक्षी से अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–1 पर ए से बी भाग में कांछ–छांट हो रखी तथा प्रदर्श पी–2 तहरीरी रिपोर्ट में समय का अंकन नहीं है। आगे इस सुझाव को स्वीकार किया कि इस प्रकरण में कार्यवाही करने हेतु एसपी अजमेर से कोई लिखित आदेश उसे नहीं मिला, अज खुद कहा कि जरिये टेलीफोन निर्देश मिला। यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–2, पी–3, पी–4 व पी–5 पर किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं हैं। आगे यह स्वीकार किया कि किसी स्थल पर तलाशी लेने से पहले धारा 47 का पर्चा बनाया जाता है और धारा 47 का पर्चा पत्रावली पर नहीं है। आगे इस साक्षी ने बताया कि बोलेरो में रमेश चालक व श्रवण खलासी था तथा पिकअप में विजय चालक व हिम्मत सिंह तथा शक्ति सिंह खलासी थे। इस प्रकार उक्त साक्षी से अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई लेकिन उक्त साक्षी अपने मुख्य परीक्षण के कथनों के संदर्भ में अखंडित रही।

13- उक्त साक्षी पूजा अवाना पीडब्ल्यू–1 ने जिन पुलिसकर्मियों का जब्ती की कार्यवाही में शामिल रहना बताया, उनमें पुलिस थाना पुष्कर का पुलिसकर्मी साक्षी देवकरण पीडब्ल्यू–2 ने अपने मुख्य परीक्षण में साक्षी पूजा अवाना पीडब्ल्यू–1 जब्तीकर्ता के कथनों की भांति कथन किए हैं और अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि प्रदर्श डी–1 पुलिस बयान देवकरण में बोलेरो रंग सफेद नंबर आरजे–21–यूए–9484 पर

ए से बी व सी से डी भाग पर कांट–छांट हो रखी है। यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–2 के पृष्ठ संख्या–1 पर समय का अंकन नहीं किया। यह भी स्वीकार किया कि एसएचओ पूजा अवाना ने थाने से रवाना होने से पहले बता दिया था कि कहां चलना है। आगे यह स्वीकार किया कि फर्द जब्ती व फर्द गिरफ्तारी पर किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह भी स्वीकार किया कि उसके सामने पूजा अवाना ने घटनास्थल की तलाशी लेने के लिए धारा 47 का पर्चा बनाया हो तो उसे आज याद नहीं है और धारा 47 का पर्चा पत्रावली पर नहीं है। इस प्रकार उक्त साक्षी से अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई लेकिन उक्त साक्षी अपने मुख्य परीक्षण के कथनों के संदर्भ में अखंडित रहा।

14- आगे साक्ष्य की इसी कड़ी में प्रकरण में वर्णित उक्त जब्ती कार्यवाही में शामिल रहे अन्य साक्षी महिपाल सिंह पीडब्ल्यू–7, दलपत सिंह पीडब्ल्यू–15, सरवर खां पीडब्ल्यू–17 व छीतरलाल पीडब्ल्यू–18 ने भी अपने–अपने मुख्य परीक्षण में साक्षी पूजा अवाना जब्तीकर्ता पीडब्ल्यू–1 के मुख्य परीक्षण के कथनों की भांति ही कथन किए हैं। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में साक्षी महिपाल पीडब्ल्यू–7 ने यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–2 फर्द जब्ती में समय नहीं दर्शाया गया हुआ है। यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–2 व प्रदर्श पी–7 व पी–12 पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं। आगे यह भी स्वीकार किया कि घटनास्थल एक आबादी क्षेत्र है व लोगबाग रहते हैं। यह भी स्वीकार किया कि उसे सामने पूजा अवाना ने घटनास्थल/बाडा के मालिकाना हक व कब्जे सम्बंधित कोई दस्तावेज नहीं लिए थे और पूजा अवाना ने धारा 47 का पर्चा बयान उसके सामने नहीं बनाया था। इसी प्रकार से जब्ती के साक्षी दलपत सिंह पीडब्ल्यू–15 ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि इस घटना के बारे में उसे एसएचओ पूजा अवाना ने बता दिया था कि लेसवा चलकर कार्यवाही करने है। इस साक्षी ने आगे यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–2 लगायत पी–7 पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह भी स्वीकार किया कि किसी मकान की तलाशी लेने से पहले धारा 47 का वारंट बनाया जाता है और धारा 47 का सर्च वारंट पत्रावली पर नहीं हैं। आगे इसी कड़ी में जब्ती के अन्य साक्षी सरवर खां पीडब्ल्यू–17 ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि प्रदर्श डी–6 बोलेरो रंग सफेद आरजे–21–यूए–9484 पर ए से बी, सी से डी भाग में कांटछांट हो रखी है । आगे इस साक्षी ने स्वीकार किया कि फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–3 से पी–7 व पी–12 पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह भी स्वीकार किया कि उसके सामने पूजा अवाना ने बरामदगी स्थल के मालिकाना हक सम्बंधी दस्तावेज नहीं लिए थे। जब्ती के अन्य गवाह छीतरलाल पीडब्ल्यू–18 ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि उसने जब्तशुदा वाहनों को परिवहन करते हुए नहीं देखा और प्रदर्श पी–2 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। यह भी स्वीकार किया कि एसएचओ पूजा अवाना ने थाने से रवाना होने से पहले बता दिया था कि कहां पर चलना है। यह भी स्वीकार किया कि उसके सामने प्रत्येक बोतल में से सैम्पल नहीं लिया गया था, अज खुद कहा कि प्रत्येक पेटी से सैम्पल लिया था। इसका ध्यान नहीं होना बताया कि पूजा अवाना ने घटनास्थल की तलाशी के लिए धारा 47 का पर्चा बनाया हो। आगे स्वीकार किया कि धारा 47 का पर्चा पत्रावली पर नहीं है। इस प्रकार

उक्त साक्षीगण से अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई लेकिन उक्त समस्त साक्षीगण अपने मुख्य परीक्षण के कथनों के संदर्भ में अखंडित रहे हैं।

15- उक्त प्रकरण में जब्तशुदा माल को मालखाना में जमा करने की पुष्टि साक्षी सोहनलाल पीडब्ल्यू–8 ने अपने मुख्य परीक्षण में करते हुए बताया कि दिनांक 02.06.2014 को एसएचओ पुष्कर आईपीएस प्रोबेशनर पूजा अवाना ने प्रकरण संख्या 52/2014 धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में जब्तशुदा शराब व सैम्पल को मालखाना में जमा कराया, जिसका उसने मालखाना रजिस्टर की मद संख्या 19/2014 पर इंद्राज किया और पिकअप लोडिंग नंबर आरजे–01–जीए–2631 व एक सफेद बोलेरो गाड़ी नंबर आरजे–21–यूए–8494 को भी जमा कराया जिसका उसने मालखाना रजिस्टर की मद संख्या 19/2014 पर इंद्राज किया। आगे इस साक्षी ने यह भी बताया कि असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–16 है जिस पर ए से बी जमा करवाने का इंद्राज है और मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–16 ए है। इस साक्षी की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि साक्षी पीडब्ल्यू–1 पूजा अवाना जब्तीकर्ता ने अभियुक्तगण के कब्जे से जिस अवैध शराब व उसको परिवहन करने के साधन पिकअप व बोलेरो गाड़ी को जब्त किया था, उसको उसने पुलिस थाना पीसांगन के मालखाना में जमा कराया था। इस साक्षी से अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई लेकिन उक्त साक्षी अपने मुख्य परीक्षण के कथनों के संदर्भ में अखंडित रहा है।

16- आगे साक्षी रेखराज पीडब्ल्यू–3 ने अपनी साक्ष्य में जब्तशुदा शराब के सैम्पल मालखाना इंचार्ज से सीलबंद अवस्था में प्राप्त कर एसपी कार्यालय अजमेर के अग्रेषण पत्र के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला अजमेर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–10 प्राप्त कर मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द करना और एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी–11 होना बताया है और वजह सबूत सैम्पल को एफएसएल में जमा कराने हेतु सीलबंद अवस्था में देने की पुष्टि सोहनलाल पीडब्ल्यू–8 मालखाना इंचार्ज ने अपनी साक्ष्य में की। उक्त दोनो साक्षीगण से अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा सैम्पल को मालखाने में रखने से लेकर सैम्पल को एफ.एस.एल. में जमा कराने के क्रम में विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई लेकिन उक्त साक्षी अपने मुख्य परीक्षण के कथनों के संदर्भ में अखंडित रहे हैं।

17- आगे साक्षी मुखराम पीडब्ल्यू–4 ने अभियुक्त राजेन्द्र सिंह की फर्द गिरफ्तारी के सम्बंध में औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है। इन्द्राज सिंह पीडब्ल्यू–5 व भारतराम पीडब्ल्यू–6 ने नक्शा मौका घटना स्थल, अभियुक्तगण की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना, तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल व फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त राजेन्द्र सिंह के सम्बंध में औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है। यहां यह उल्लेख करना वांछनीय हो कि प्रकरण में धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना बरामदगी के सम्बंध में नहीं होकर केवल तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल के सम्बंध में है और उक्त सूचना के अनुसरण में अभियुक्तगण की निशादेही से तस्दीक नक्शा मौका घटना स्थल तैयार किया गया है। साक्षी विजेन्द्र सिंह पीडब्ल्यू–9 व साक्षी अश्विनी पीडब्ल्यू–10 ने प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत बोलेरो गाड़ी नंबर आरजे–21–यूए–9484 की आरसी की प्रमाणित प्रति, पॉवर ऑफ अटोर्नी पुलिस थाने में पेश करने

पर उनको जब्त करने के सम्बंध में औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है। इसी प्रकार से साक्षी निम्बाराम पीडब्ल्यू–12 ने भी प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत पिकअप नंबर आरजे–01–जीए–2631 की आरसी व पॉवर ऑफ अटोर्नी को जब्त करने के सम्बंध में औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है। पीडब्ल्यू–13 भागचंद टाक ने प्रकरण में पूर्व अनुसंधान अधिकारी चैनाराम द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित प्रमाणित मान पत्रावली उसे सुपुर्द करने पर उसके द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र पेश करने की औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है।

18- अंत में प्रकरण में साक्षी चैनाराम पीडब्ल्यू–16 ने स्वयं के द्वारा किए गए अनुसंधान बाबत् विस्तृत सकारात्मक साक्ष्य दी है एवं अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि परिवादिया पूजा अवाना द्वारा जब्तशुदा शराब सीलबंद अवस्था में मय बोलेरो, पिकअप, गिरफ्तारशुदा मुलजिमान विजय सिंह, शक्ति सिंह, हिम्मत सिंह, रमेश, श्रवण के थाना हाजा पर उपस्थित होकर टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट उसके सामने पेश करने पर उसके द्वारा कार्यवाही पुलिस अंकित कर प्रकरण धारा–19/54 मुकदमा नंबर 52/2014 में दर्ज कर माल जमा मालखाना करवाया और अनुसंधान प्रारंभ किया। दौराने अनुसंधान साक्षी ने पूजा अवाना, दलपत सिंह, देवकरण, सरवर खां, महिपाल सिंह, छीतरलाल, रेखराज, सोहनलाल, हरिराम, धर्माराम, बलवीर सिंह, सोहन लाल पुत्र देवी जी के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्व कर शामिल पत्रावली करने, साक्षी इन्द्राज व भारतराम के सामने मौके के साक्षी सरवर खां की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी–15 बनाने का कथन किया। इस साक्षी ने आगे यह भी कथन किया कि दौराने अनुसंधान जैर हिरासत मुलजिमान रमेश की धारा–27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्श पी–26 के अनुसरण में उसके द्वारा मुलजिम राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू को फर्द प्रदर्श पी–12 के गिरफ्तार किया। आगे यह भी बताया कि उसे दौराने अनुसंधान मुलजिमान रमेश व श्रवण ने धारा–27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्श पी–27 व पी–28 दी जिसके अनुसरण में उसक द्वारा लेसवा पहुँच कर उनकी निशादेही से घटनास्थल की तस्दीक कर तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–13 बनाया और मुलजिमान विजय सिंह, हिम्मत सिंह, शक्ति सिंह की धारा–27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्श पी–29 व पी–30, पी–31 के अनुसरण में दिनांक 03.06.2014 लेसवा पहुँच कर उनकी निशादेही से घटनास्थल की तस्दीक कर तस्दीक नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी–14 बनाया। दौराने अनुसंधान मुलजिम रमेश के भाई के लड़के सुनील द्वारा प्रकरण हाजा में उपयोग ली गई बोलेरो नंबर आरजे–21–यूए–9484 की मूल आरसी पेश करने पर उसके द्वारा उसे फर्द प्रदर्श पी–17 के जब्त किया। आरसी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–18 है। दौराने अनुसंधान ही उसके द्वारा मुलजिम विजय सिंह द्वारा शराब परिवहन में उपयोग ली गई पिकअप नंबर आरजे–01–जीए–2631 की मूल आरसी व पॉवर ऑफ अटोर्नी को जरिये फर्द प्रदर्श पी–19 जब्त किया, जिसकी पॉवर ऑफ अटोर्नी प्रदर्श पी–20 है। आगे साक्षी ने जब्तशुदा शराब के सैम्पल एफएसएल में जमा कराने बाबत पुलिस अधीक्षक से अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–9 बनवाकर सैम्पल वाहक रेखराज के मार्फत एफएसएल में जमा करवाकर नमूना प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–10 व एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी–11 प्राप्त करना बताया। आगे इस साक्षी ने यह भी बताया कि दौराने अनुसधान बलवीर सिंह द्वारा लेसवा में स्थित रिहायशी

दुकान हिम्मत सिंह को किराये पर दिए जाने बाबत असल किरायानामा प्रदर्श पी–22 लाकर उसके समक्ष पेश करने पर उसे शामिल पत्रावली किया एवं अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर मुलजिम हिम्मत सिंह पुत्र केसर सिंह, श्रवण पुत्र मूलाराम, शक्ति सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू पुत्र नारायण सिंह के विरूद्व धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम व रमेश उर्फ रामेश्वर पुत्र भंवरू राम, विजय सिंह पुत्र हीरालाल के विरूद्व धारा–19/54 व 54 ए राजस्थान आबकारी अधिनियम में अपराध प्रमाणित पाया और पत्रावली चालान हेतु तत्कालीन थानाधिकारी भागचंद जी को सुपुर्द की। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने स्वीकार किया कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में ए से बी भाग में बोलेरो के नंबर आरजे–21–यूए–8494 लिखे हुए हैं तथा फर्द जब्ती प्रदर्श पी–2 में ए से बी भाग में बोलेरो गाड़ी के नंबर आरजे–21–यूए–9484 लिखे हुए हैं। इस सुझाव को गलत बताया कि जब्तीस्थल कोई खुला स्थल हो और वहां पर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता हो। यह स्वीकार किया कि जब्ती स्थल पर स्थित मकान पर किसी व्यक्ति का नाम व मकान नंबर लिखे हुए नहीं थे। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई लेकिन उक्त साक्षी अपने कथनों के संदर्भ में अखंडित रहा।

19- जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का दौराने बहस तर्क रहा कि प्रदर्श पी–1 तहरीरी रिपोर्ट में समय व दिनांक का अंकन परिवादिया ने नहीं किया है, जिससे अभियोजन कहानी पर संदेह उत्पन्न होता है। इस संदर्भ में न्यायालय का विनम्र मत है कि जब्ती के साक्षीगण की साक्ष्य से यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि वे पुलिस थाना पुष्कर से 6:15 पर रवाना हुए और मौके पर 6:45 पर पहुॅच गए थे, जिसकी पुष्टि प्रदर्श पी–23 नकल रपटरोजनामचा से होती है और परिवादिया व जब्ती के अन्य साक्षीगण ने जब्ती कार्यवाही में ढाई से तीन घंटे समय लगने का तथ्य बताया है और परिवादिया पूजा अवाना ने भी अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 यह अंकित किया है कि वह मौके से 9:30 बजे पुलिस थाना पीसांगन के लिए रवाना हो गई थी। इसी क्रम में प्रदर्श पी–2 फर्द जब्ती का अवलोकन किया जाए तो दर्शित होता है कि जब्ती की संपूर्ण कार्यवाही 9:15 पीएम पर पूरी कर ली गई थी और उसके पश्चात बरामदशुदा अवैध शराब को परिवहन कर पुलिस थाना पीसांगन पर लाया गया। प्रदर्श पी–32 प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 02.06.2014 को समय 10:30 पीएम पर मुर्तिब हुई है। इससे दर्शित होता है कि परिवादिया द्वारा जब्ती की कार्यवाही के उपरान्त लगभग साढे 9 बजे पुलिस थाना पीसांगन पहुॅच कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की कार्यवाही निष्पादित करवाई गई, जिसमें लगभग आधा घंटा व्यतीत हुआ होगा और परिवादिया द्वारा पुलिस थाना पीसांगन पर दिनांक 02.06.2014 को लगभग साढे 9 से 10 PM पर तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 प्रस्तुत कर दी गई थी और जिसके अनुसरण में प्रदर्श पी–32 प्रथम सूचना रिपोर्ट व प्रदर्श पी–25 नकल रपट रोजनामचा पुलिस थाना पीसांगन तैयार की गई।

20- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि परिवादिया द्वारा धारा 47 राजस्थान आबकारी अधिनियम की पालना नहीं की गई है। इस सम्बंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि परिवादिया ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 का समर्थन करते हुए अपनी मौखिक साक्ष्य में स्पष्ट रूप से बताया है कि मुखबीर से शराब भरकर परिवहन करने की

फिराक में अभियुक्तगण के होने की इत्तला मिलने पर उसने पुलिस अधीक्षक अजमेर से हालात निवेदन कर सर्च वारंट व दिगर रहबरी का निवेदन किया तो पुलिस अधीक्षक अजमेर ने मौखिक रूप से उसे उक्त कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिया। इसी तथ्य का अंकन प्रदर्श पी–23 नकल रपट रोजनामचा रवानगी में किया हुआ है। वैसे भी धारा 47 आबकारी अधिनियम यह उपबंध करती है कि धारा 47(1) के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रैंक (Prescribed Rank) का एक अधिकारी किसी स्थान पर बिना वारंट तलाशी कर सकता है, अगर उसे विश्वास हो कि उस स्थान पर इस अधिनियम के तहत कोई अपराध हुआ है, हो रहा है, या होने की संभावना है। यह प्रावधान तब लागू होता है जब वारंट प्राप्त करने से अपराधी को भागने या सबूत छिपाने का मौका मिल सकता है। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के अनुसार भी परिवादिया पूजा अवाना ने प्रदर्श पी–1 में "पुलिस अधीक्षक अजमेर से हालात निवेदन कर सर्च वारंट व दिगर रहबरी का निवेदन किया।" करने का अंकन किया है अर्थात परिवादिया को यह आशंका थी कि यदि वारंट प्राप्त करने में देरी हुई तो अपराधी को भागने या सबूत छिपाने का मौका मिल सकता है और जैसा कि प्रकरण में जिस भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है, उससे परिवादिया पूजा अवाना की इस आशंका को मजबूती मिलती है कि यदि वह वारंट प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करती तो सम्भवतः अपराधी को भागने या सबूत छिपाने का मौका मिल जाता है। अतः अधिवक्ता अभियुक्तगण का उक्त तर्क भी माने जाने योग्य नहीं है।

21- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह रहा कि प्रदर्श पी–1 व प्रदर्श पी–2 फर्द जब्ती में वाहन बोलेरो के नंबर में कांटछांट की हुई है, जिससे दर्शित होता है कि उक्त वाहन को प्रकरण में जबरदस्ती लिप्त किया गया है। अधिवक्ता अभियुक्तगण के उक्त तर्कों के प्रकाश में प्रदर्श पी–1 व पी–2 दस्तावेज का अवलोकन किया जाए तो दर्शित होता है कि वाहन बोलेरो के नंबर में कांटछांट अवश्य हो रखी है किंतु यहां यह उल्लेख करना वांछनीय होगा कि जब्ती के सभी साक्षी ने वाहन बोलेरो संख्या आरजे–21–यूए–9484 जब्त करना बताया है और यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी अश्विनी सिंह पीडब्ल्यू–10 ने उक्त जब्तशुदा वाहन की आर.सी. की प्रमाणित प्रति जैर हिरासत अभियुक्त रमेश के भाई के लड़के सुनिल द्वारा उपस्थित थाने होकर पेश करना बताया है और प्रदर्श पी–18 आर.सी. की प्रमाणित प्रति के अनुसार उक्त् वाहन अभियुक्त रामेश्वर के नाम से पंजीकृत है। यह भी उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता अभियुक्तगण ने इसके खण्डन में रमेश के भाई के लड़के सुनील को साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया है।

22- अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा कि बरामदगी स्थल के स्वामित्व बाबत् कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किए, बरामदगी स्थल के आस–पास मकान होना परिवादिया ने स्वीकार किया किन्तु फिर भी उनके स्वतंत्र साक्षी के रूप में कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाना अभियोजन कहानी को दूषित करता है। इस सम्बंध में अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो प्रकट होता है कि साक्षी छीतरलाल पीडब्ल्यू–18 ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि पूजा अवाना ने उसे दो स्वतंत्र साक्षी लाने की हिदायत देकर भेजा लेकिन कोर्ट कचहरी के डर से कोई बनने को तैयार नहीं हुआ। उक्त साक्षी के कथनों की पुष्टि साक्षी देवकरण पीडब्ल्यू–2, साक्षी महिपाल पीडब्ल्यू–7 व साक्षी सरवर खां पीडब्ल्यू–16 ने अपनी साक्ष्य में करते हुए बताया कि पूजा अवाना ने छीतरलाल को दो स्वतंत्र साक्षी लाने भेजा

लेकिन कोई साक्षी बनने को तैयार नहीं हुआ। हालांकि परिवादिया व जब्ती की कार्यवाही में शामिल रहे साक्षीगण ने यह स्वीकार किया कि जब्ती स्थल के सरपंच अथवा वार्ड पंच व आस–पास के लोगों को साक्षी बनने के लिए नहीं दी थी। बरामदगी के स्वतंत्र साक्षी नहीं होने से उनका साक्षिक मूल्य क्या है, के सम्बंध में इस न्यायालय का विनम्र मत है कि किसी दस्तावेज का साक्षी पुलिसकर्मी होने के आधार उसकी साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता है। जब्तीकर्ता/अनुसंधान अधिकारी की अभियुक्तगण से ईर्ष्या प्रकट नहीं हुई, जिससे यह प्रतीत हो कि वह मिथ्या रूप से अभियुक्तगण को संलिप्त करें। ऐसी कोई विधि नहीं है कि बरामदगी व जब्ती अकेले अन्वेषण अधिकारी अथवा जब्तीकर्ता की साक्ष्य से सिद्व नहीं हो सकती। पुलिस साक्षीगण की उपस्थिति में बरामदगी को मात्र इस आधार पर फर्जी स्वीकार किया जाना उचित नहीं है कि वहां कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। यदि स्वतंत्र साक्षी को लेने का प्रयास किया गया, किन्तु स्वतंत्र साक्षी नहीं आये तो मात्र इसी आधार पर बरामदगी को अविश्वसनीय स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। हस्तगत प्रकरण में साक्षी छीतरलाल पीडब्ल्यू–18, साक्षी देवकरण पीडब्ल्यू–2, साक्षी महिपाल पीडब्ल्यू–7 व साक्षी सरवर खां पीडब्ल्यू–16 ने अपनी साक्ष्य में बताया कि स्वतंत्र साक्षी लाने का प्रयास किया गया किन्तु लेकिन कोई साक्षी बनने को तैयार नहीं हुआ, मात्र इसी आधार पर फर्द जब्ती को अविश्वसनीय स्वीकार किए जाने के संबंध में बचाव पक्ष का तर्क उचित नही है। विधि का ऐसा कोई सिद्वांत नहीं है कि स्वतंत्र साक्षियों के सम्पोषक साक्ष्य के अभाव में पुलिसकर्मियों की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। न्यायालय भारतीय समाज की इस धरातलीय वास्तविकताओं की ओर ध्यान रखता है कि सामान्य परिस्थितियों में भी आमजन कोई पुलिस दल जो किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने जा रहा हो या निजी परिसर की तलाशी ले रहा हो, के साथ जाने के प्रति अनिच्छुक होते हैं। इसलिए केवल मात्र स्वतंत्र साक्षियों के सम्पोषक साक्ष्य के अभाव में पुलिसकर्मियों की साक्ष्य को संदिग्ध नहीं माना जा सकता है और केवल मात्र पुलिस विभाग के कर्मचारी होने से अभियोजन की संपूर्ण साक्ष्य दूषित नहीं हो जाती है। अतः विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

23- जहां तक बरामदगी स्थल के स्वामित्व के सम्बंध में दस्तावेज प्राप्त नहीं किए जाने का प्रश्न है, तो परिवादिया पूजा अवाना ने यह स्वीकार किया है कि उसने बरामदगी स्थल के स्वामित्व के सम्बंध में दस्तावेज प्राप्त नहीं किया था किन्तु न्यायालय यहां यह उल्लेख करना वांछनीय समझता है कि किसी अनियमितता या कमी या आंशिक लोप के आधार पर अभियोजन केस को अस्वीकृत किए जाने का कोई औचित्य नही है, यदि अभियोजन कथानक अन्य प्रकार से साबित हो रहा है। यहां यह उल्लेख करना वांछनीय होगा कि अनुसंधान अधिकारी साक्षी चैनाराम पीडब्ल्यू–16 ने इसके सम्बंध में अपनी साक्ष्य में बताया कि दौराने अनुसंधान बलवीर सिंह ने लेसवा स्थित रिहायशी दुकान हिम्मत सिंह को किराये पर दिए जाने के सम्बंध में असल किरायानामा प्रदर्श पी–22 पेश किया और प्रदर्श पी–22 किरायानामा का अवलोकन किए जाने पर दर्शित होता है कि इस किरायानामा के जरिये प्रथम पक्षकार किरायेदार हिम्मत सिंह पुत्र केसर सिंह आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम भांवता, तहसील व अजमेर अजमेर, जो इस प्रकरण में बतौर अभियुक्त लिप्त है, के द्वारा द्वितीय पक्षकार/मालिक बलवीर

सिंह पुत्र सुगन सिंह आयु 54 वर्ष निवासी ग्राम लेसवा उपतहसील पुष्कर जिला अजमेर से ग्राम लेसवा में स्थित उसका मकान दिनांक 01.05.2014 अर्थात घटना की दिनांक 02.6.2014 से पूर्व 1000/–रूपये प्रतिमाह की दर से किराये पर लिया गया था। इसके खण्डन में अभियुक्तगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि जब्ती की संपूर्ण कार्यवाही अभियुक्त हिम्मत सिंह के सामने ही की गई थी और अभियुक्त हिम्मत सिंह मौके पर ही मौजूद था लेकिन अभियुक्त हिम्मत सिंह ने अपने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों में एवं साक्ष्य सफाई में किसी ठोस मौखिक एवं दस्तावेज को पेश कर यह प्रकट नहीं किया है कि बरामदगी स्थल उसके कब्जे/आधिपत्य/स्वामित्व का मकान नहीं हो। इस किरायानामा प्रदर्श पी–22 की ताईद साक्षी बलवीर सिंह पीडब्ल्यू–14 ने अपनी मौखिक साक्ष्य से भी की है, जिससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्त हिम्मत सिंह द्वारा बरामदगी स्थल को किराये पर लिया गया था।

24- बचाव पक्ष का यह भी तर्क रहा है कि बरामदशुदा शराब की सभी बोतलों से सैम्पल नहीं लिया गया है। इस सम्बंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय व विभिन्न उच्च न्यायालयों ने यह मत प्रतिपादित किया है कि एक ही ब्राण्ड की शराब बरामद होने पर हर ब्राण्ड में से सैम्पल लेना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां, शराब की भारी मात्रा हो एवं एक ही ब्राण्ड की शराब हो तो रेण्डम पद्धति से सैम्पल लिया जा सकता है। जब्ती के साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट किया है कि मौका तलाशी में विभिन्न प्रकार की अंग्रेजी व देशी शराब से भरी बोतलों एवं पव्वों के कार्टन मिले थे, जिनमें से रेण्डमली सैम्पल लेकर सील मोहर किया, जिन पर साक्षीगण व अभियुक्तगण के हस्ताक्षर हैं।

25- जहां तक अभियुक्त रमेश उर्फ रामेश्वर एवं अभियुक्त विजय सिंह के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप का प्रश्न है, तो अभियोजन की उपरोक्त संपूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे साबित पाया गया है कि मौके पर से वाहन बोलेरो संख्या आरजे–21–यूए–9484 व पिकअप नंबर आरजे–01–जीए–2631 को अवैध शराब परिवहन हेतु भरा जा रहा था। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदर्श पी–18 प्रमाणित प्रति आरसी वाहन बोलेरो संख्या आरजे–21–यूए–9484 के अनुसार उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी अभियुक्त रमेश उर्फ रामेश्वर रहा है तथा वाहन पिकअप नंबर आरजे–01–पीए–2631 को विजय सिंह द्वारा प्रदर्श पी–20 जनरल पॉवर ऑफ अटोर्नी के माध्यम से उसके पंजीकृत स्वामी हीरालाल से परिवहन करने हेतु प्राप्त किया गया था, जिससे यह तथ्य भलीभांति साबित पाया जाता है कि उक्त दोनो वाहन क्रमशः अभियुक्त रमेश उर्फ रामेश्वर व विजय सिंह के स्वामित्व/कब्जे के वाहन थे जिनमें वक्त घटना अवैध शराब परिवहन हेतु भरी जा रही था।

26- इस प्रकार से पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से जब्ती के सम्बंध में जो श्रृंखलाबद्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है, उसकी कोई भी कड़ी कमजोर नजर नहीं आती है और पेश श्रृंखलाबद्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से भलीभांति प्रमाणित होता है कि परिवादिया पूजा अवाना ने दिनांक 02.06.2014 को मय पुलिस जाप्ते के अभियुक्तगण शक्ति सिंह, श्रवण व अभियुक्त हिम्मत सिंह के कब्जे से भारी मात्रा में देशी व अंग्रेजी शराब बिना

लाईसेंस व परमिट के बरामद की और अभियुक्त हिम्मत सिंह के किरायाशुदा परिसर से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी व देशी शराब को अभियुक्त रमेश उर्फ रामेश्वर के स्वामित्व वाले वाहन बोलेरो संख्या आरजे–21–यूए–9484 एवं अभियुक्त विजय सिंह के जनरल पॉवर ऑफ अटोर्नी से कब्जे में रहे वाहन संख्या आरजे–01–जीए–2631 में परिवहनित करने हेतु भरते हुए अभियुक्तगण पाए गए। ऐसी स्थिति में यह तथ्य पूर्ण रूप से साबित होता है कि अभियुक्तगण के चैतन्य आधिपत्य से प्रकरण में जब्तशुदा शराब बरामद की गई, जिसे अपने पास रखने के लिए कोई वैध अनुज्ञा–पत्र अभियुक्तगण के पास नहीं था। इस प्रकार अभियोजन पक्ष स्वयं द्वारा प्रस्तुत की गई अभियोजन कहानी को अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से पुष्ट करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है।

27- सम्प्रति, अभियोजन पक्ष, अपनी मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर इस अवधारणीय बिंदु को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा कि दिनांक ''अभियुक्त शक्ति सिंह से दिनांक 02.06.2014 को करीब 6:00 पीएम के लगभग ग्राम लेसवा में वाहन पिकअप संख्या आरजे–01–जीए–2631 में महखाना देशी शराब के 34 कार्टून व 53 कार्टून धोलामारू देशी शराब के जिसमें प्रत्येक कार्टून में 48–48 पव्वे थे व इसी प्रकार हेवर्ड 5000 बियर के 5 कार्टून प्रत्येक में 12–12 बोतल व ड्राईजिन का एक कार्टून जिसमें 12 बोतल व एक कार्टन ड्राईजिन का जिसमें 48 पव्वे व ऑफिसर चॉईस की कुल 4 बोतल व टूबॉर्ग ग्रीन के दो कार्टन जिसमें 12–12 बोतल व स्ट्रांग बियर की 17 बोतल छोटी 330 एम एल व बुलेट बियर का एक कार्टून जिसमें 12 बोतल बरामद हुई, अभियुक्त रमेश उर्फ रामेश्वर से दिनांक 02.06.2014 को ही करीब 6:00 पीएम के लगभग ग्राम लेसवा में वाहन बोलेरो संख्या आरजे–21–यूए–9484, जिसका स्वामी अभियुक्त था, में 70 पेटी सादा देशी शराब ढोलामारू, जिसमें प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे थे, बरामद हुए, अभियुक्त श्रवण से दिनांक 02.06.2014 को करीब 6:00 पीएम के लगभग ग्राम लेसवा में वाहन बोलेरो संख्या आरजे–21–यूए–9484 में 70 पेटी सादा देशी शराब ढोलामारू, जिसमें प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे बरामद हुए, अभियुक्त विजय सिंह से दिनांक 02.06.2014 को करीब 6:00 पीएम के लगभग ग्राम लेसवा में वाहन पिकअप संख्या आरजे–01–जीए–2631, जिसका स्वामी अभियुक्त था, में महखाना देशी शराब के 34 कार्टन व 53 कार्टन ढोलामारू देशी शराब के, जिसमें प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे थे व इसी प्रकार हेवर्डस 5000 बियर के 5 कार्टन प्रत्येक में 12–12 बोतल व ड्राइजिन का एक कार्टन, जिसमें 12 बोतल व एक कार्टन ड्राइजिन का जिसमें 48 पव्वे व ऑफिसर चॉईस की कुल 4 बोतल व टूबॉर्ग ग्रीन के दो कार्टन जिसमें 12–12 बोतल व स्ट्रांग बियर की 17 बोतल छोटी 330 एम एल व बुलेट बियर का एक कार्टून जिसमें 12 बोतल मिली और अभियुक्त हिम्मत सिंह से दिनांक 02.06.2014 को करीब 6:00 पीएम के लगभग ग्राम लेसवा में वाहन पिकअप संख्या आरजे–01–जीए–2631 में महखाना देशी शराब के 34 कार्टन व 53 कार्टन ढोलामारू देशी शराब के, जिसमें प्रत्येक कार्टन में 48–48 पव्वे थे व इसी प्रकार हेवर्डस 5000 बियर के 5 कार्टन प्रत्येक में 12–12 बोतल व ड्राइजिन का एक कार्टन, जिसमें 12 बोतल व एक कार्टन ड्राइजिन का जिसमें 48 पव्वे व ऑफिसर चॉईस की कुल 4 बोतल व टूबॉर्ग ग्रीन के दो कार्टन जिसमें 12–12 बोतल व

स्ट्रांग बियर की 17 बोतल छोटी 330 एम एल व बुलेट बियर का एक कार्टून जिसमें 12 बोतल मिली, जिन्हे रखने एवं परिवहनित करने का लाईसेंस/ परमिट नहीं था

28- परिणामस्वरूप अभियुक्त 1–रमेश उर्फ रामेश्वर पुत्र श्री भंवरूराम उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम पादू खुर्द पुलिस थाना पादूकला जिला नागौर व 2–विजय सिंह पुत्र श्री हीरालाल उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम डूमाडा पुलिस थाना मांगलियावास, जिला अजमेर उनके विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–19/54 व 19/54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध के आरोप के तहत एवं अभियुक्त 3–शक्ति सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी जसवंतपुरा ग्राम पंचायत सुदवाड़ पुलिस थाना थांवला जिला नागौर 4– श्रवण पुत्र श्री मूलाराम उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम लेसवा पुलिस थाना पीसांगन, अजमेर 5–हिम्मत सिंह पुत्र श्री केशर सिंह उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम ढीमडा बेरा, भांवता पुलिस थाना पीसांगन जिला अजमेर उनके विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध के आरोप के तहत दोषसिद्ध किए जाने योग्य हैं।

आदेश

29- परिणामतः अभियुक्त 1–रमेश उर्फ रामेश्वर पुत्र श्री भंवरूराम उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम पादू खुर्द पुलिस थाना पादूकला जिला नागौर व 2–विजय सिंह पुत्र श्री हीरालाल उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम डूमाडा पुलिस थाना मांगलियावास, जिला अजमेर को धारा–19/54 व 19/54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध के आरोप तहत एवं अभियुक्त 3–शक्ति सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी जसवंतपुरा ग्राम पंचायत सुदवाड़ पुलिस थाना थांवला जिला नागौर 4– श्रवण पुत्र श्री मूलाराम उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम लेसवा पुलिस थाना पीसांगन, अजमेर 5–हिम्मत सिंह पुत्र श्री केशर सिंह उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम ढीमडा बेरा, भांवता पुलिस थाना पीसांगन जिला अजमेर को धारा–19/54 ए राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध के आरोप के तहत दोषसिद्ध करार दिया जाता है।

30- अभियुक्त राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू की मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध दिनांक 04–12–2021 को कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है।

(डॉ. विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुष्कर, अजमेर न्याय क्षेत्र

31– सजा के प्रश्न पर सुना गया। सजा के बिन्दू पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियुक्तगण गरीब व्यक्ति हैं। यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण द्वारा कभी भी न्यायालय द्वारा दी गई परिवीक्षा का लाभ नहीं लिया है, अतः अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

32– विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्तगण को उचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

33- उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन

किया। अभियुक्तगण पर भारी मात्रा में अंग्रेजी एवं देशी शराब बिना लाईसेंस/परमिट के अपने कब्जे में रखने का अपराध प्रमाणित होने से अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया गया है। इस प्रकृति के अपराध वर्तमान में उत्तरोत्तर बढते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान नहीं उचित प्रतीत नहीं होता। अतः अभियुक्त को निम्न दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित होगा।

दण्डादेश

34- अतः अभियुक्त 1–रमेश उर्फ रामेश्वर पुत्र श्री भंवरूराम उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम पादू खुर्द पुलिस थाना पादूकला जिला नागौर व 2– विजय सिंह पुत्र श्री हीरालाल उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम डूमाडा पुलिस थाना मांगलियावास, जिला अजमेर प्रत्येक को अपराध धारा 19/54 व 19/54 एराजस्थान आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध हेतु निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता है–

क्रं.सं.	अपराध अंतर्गत	अपराध में दण्ड का प्रावधान	दोषसिद्धि पर सजा	अदम अदायगी जुर्माना में सजा
1–	धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम	05 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों	03 वर्ष का साधारण कारावास और 20000/– रूपये जुर्माना	03 माह का साधारण कारावास
2–	धारा 19/54 एराजस्थान आबकारी अधिनियम	05 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों	03 वर्ष का साधारण कारावास और 20000/– रूपये जुर्माना	03 माह का साधारण कारावास

साथ ही अभियुक्त 3–शक्ति सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी जसवंतपुरा ग्राम पंचायत सुदवाड़ पुलिस थाना थांवला जिला नागौर 4– श्रवण पुत्र श्री मूलाराम उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम लेसवा पुलिस थाना पीसांगन, अजमेर 5–हिम्मत सिंह पुत्र श्री केशर सिंह उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम ढीमडा बेरा, भांवता पुलिस थाना पीसांगन जिला अजमेर प्रत्येक को अपराध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध हेतु निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता है–

क्रं.सं.	अपराध अंतर्गत	अपराध में दण्ड का प्रावधान	दोषसिद्धि पर सजा	अदम अदायगी जुर्माना में सजा
1–	धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम	05 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों	03 वर्ष का साधारण कारावास और 20000/– रूपये जुर्माना	03 माह का साधारण कारावास

35– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अंतर्गत सिद्धदोष अभियुक्त की पूर्व में पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को मूल कारावास सजा में समायोजित किया जाये। अदम अदायगी जुर्माना की सजा पृथक से भुगतेगा।

36– अभियुक्तगण का सजा वारण्ट उपरोक्तानुसार जाए जिस पर यह नोट अंकित हो कि

सिद्धदोष अपराधी द्वारा अधिरोपित जुर्माने की राशि अदा नहीं की गई है। निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को अविलम्ब निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाए।

(डॉ. विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुष्कर, अजमेर न्याय क्षेत्र

37– निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर उद्घोषित कर हस्ताक्षरित किया गया।

(डॉ. विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पुष्कर, अजमेर न्याय क्षेत्र